सत्यमेव जयते

सोमवार,
३० नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, ३० नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूनीसेफ (यू० एन० आई० सी० ई० एफ०)

*३८८. **सरदार हुकम सिंह**: (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनीसेफ ने हाल में भारत को और सहायता देने की स्वीकृति दी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो स्वीकृत राशि क्या है ?

(ग) क्या इस सहायता की स्वीकृति विशेष प्रयोजनों के लिए दी गई है अथवा भारत इसे जैसे चाहे प्रयोग कर सकेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) ९४२,००० अमेरीकन डालर।

(ग) जी हां, यू० एन० आई० सी० ई० एफ० की कार्यपालिका मंडली द्वारा सितम्बर १९५३ में स्वीकृत की गई बातों का जो भारत में विभिन्न स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमों के लिए हैं, एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [देखिये परिशिष्ट

544 P. S. D.

२, अनुबंध संख्या ५३] सहायता यू० एन० आई० सी० ई० एफ० कार्यपालिका मंडली द्वारा अनुमोदित विशेष प्रयोजनों के लिए है और यू० एन० आई० सी० ई० एफ० के प्राधिकारियों की सहमति के बिना अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती।

सरदार हुकम सिंह: भारत इस कार्य के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए इस योजना में क्या अंशदान करेगा।

श्रीमती चन्द्रशेखर: १९५३ के लिए भारत का अंशदान १५ लाख रुपये है।

सरदार हुकम सिंह: क्या इस योजना के अधीन कोई विशेष विशेषज्ञ आमन्त्रित किए गये थे अथवा किये जाने हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: नहीं श्रीमान्। इस योजना के लिए कोई विशेषज्ञ आमंत्रित नहीं किए गये।

सरदार हुकम सिंह: क्या विशेष क्षेत्र पर व्यय निकाय पर ही छोड़ दिया जाता है अथवा भारत सरकार ऐसे क्षेत्र चुन सकती है जिन में इस योजना के अधीन व्यय किया जा सकता है ;

श्रीमती चन्द्रशेखर: राज्य सरकारों के पास सुझाव आते हैं जो उन्हें हमारे पास भेज देती हैं। फिर डी० जी० एच० एस० और स्वास्थ्य मंत्रालय सब प्राविधिक समस्याओं

पर विचार करते हैं और फिर यदि यह स्वीकार किया जाए तो इस पर कार्य किया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : वे विशेषज्ञ क्षेत्र कौन से हैं जो चुने गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे ।

राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

*३८९. **सरदार हुकम सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सितम्बर १९५३ के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में कृषि तथा सहयोग के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ?

(ख) किन राज्यों का प्रतिनिधित्व उन के मंत्रियों ने किया था ?

(ग) किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या सिपारिशें की गईं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णाप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) आसाम, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल, देहली, हिमाचल प्रदेश, और विंध्यप्रदेश ।

(ग) बहुत से विषयों पर चर्चा की गई थी । उन का विस्तार कार्यवाही की प्रति में जो कि सदन पटल पर रखी गई है, दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४**]. मंत्रियों के सम्मेलन ने प्रत्येक विषय पर कई सिपारिशें कीं जो इतनी अधिक है कि विवरण नहीं दिया जा सकता । इन सिपारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने यह देखने के लिए कि इन सिपारिशों को क्रियान्वित किया जाए और कोई पग उठाए हैं अथवा कोई निकाय स्थापित किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इन सिपारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिए किसी विशेष निकाय की आवश्यकता नहीं । राज्य सरकारें स्वयम् इन सिपारिशों को क्रियान्वित करेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई निकाय स्थापित किया है ? राज्य सरकारें तो इन्हें क्रियान्वित करेंगी ही ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इन सिपारिशों पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है और फिर वे राज्य सरकारों को भेजी जाएंगी और राज्य सरकारें उन्हें कार्यान्वित करेंगी — मेरा अभिप्राय है कि वे योजनाएं जो उन के विषय हैं । जो विषय हमारे क्षेत्राधीन हैं उन्हें हम प्रत्यक्षतः कार्यान्वित करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन सिपारिशों में उन कृषकों को ऋण की सुविधा देने के उपबंध के संबंध में सिपारिश है जिन के पास इन्हें कार्यान्वित करने के लिए धन नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ऋण सम्बंधी सुविधाएं कार्यवाही के विषयों में से एक था । इस पर विस्तार से चर्चा की गई और इस विषय में प्रत्येक राज्य सरकार का अपना अभिमत है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्मेलन में इस विषय में कोई सिपारिशें की गई हैं कि एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी कृषि भूमि होनी चाहिये और क्या इस सम्बंध में योजना आयोग की सिपारिश को संशोधित करने के सम्बंध में कोई सिपारिश की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां। इस के सम्बंध में कुछ कहा गया था। बहुमत यह था कि सामाजिक न्याय के विचार से ये विधान अनावश्यक हैं, परन्तु यह निश्चय करने के लिए कि इस सम्बंध में राज्य सरकारों की ओर से कोई कार्यवाही कृषि उत्पादन में कोई रुकावट उत्पन्न न करे, आवश्यक सुरक्षा साधनों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या फसल के उन भागीदारों को ऋण की सुविधाएं प्रदान करने के उपबंध पर कुछ निर्णय किया गया था जो राज्य कृषि ऋणों के अधीन ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उन की प्रति पटल पर रखी गई है और उस में सब विवरण हैं।

कई माननीय सदस्य उठे —

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।

परिवार आयोजन केन्द्र

*३९०. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) सरकार द्वारा अभी तक खोले गये परिवार आयोजन केन्द्रों की संख्या क्या है ;

(ख) अक्तूबर १९५३ तक उन पर कितना व्यय किया गया ; और

(ग) अब तक क्या सफलता मिली ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तीन।

(ख) लगभग डेढ़ लाख रुपये।

(ग) क्योंकि सब अग्रगामी योजनाएं हैं इस लिए निश्चित परिणाम का निर्णय करना कठिन है।

सेठ गोविन्द दास : मैं जान सकता हूं कि वे कौन से स्थान हैं जहां पर ये केन्द्र खोले गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस समय एक राम नगर में, एक नई दिल्ली लोधी कालोनी में और एक लेडी हार्डिंग मेडीकल कालिज में।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार को इन केन्द्रों के कार्य के सम्बंध में कालावधि प्रतिवेदन मिलते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां हमें प्रतिवेदन मिलते हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या ऐसे और केन्द्र खोलने की प्रस्थापना है ; यदि हां तो कितने ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जब तक हमें निश्चित परिणाम नहीं मिलते हम यह नहीं कह सकते कि और केन्द्र खोले जाएंगे।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय में हमारी जन संख्या के अपढ़ भाग को शिक्षा देने का कोई प्रयास किया गया है ;

श्रीमती चन्द्रशेखर : जो लोग इन केन्द्रों में आते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है।

राज्य सरकारों के लिए प्रमुख कर्मचारिवृन्द का निर्माण

*३९१. **श्री अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने सब राज्य सरकारों को एक प्रश्न सूची यह बताने के लिए भेजी है कि कृषि तथा पशुपालन के विभागों में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाने वाले पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में उनकी क्या आवश्यकता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : हां श्रीमान।

श्री अमजद अली : मैं जान सकता हूं कि वह विशेष प्रयोजन क्या है जिस के लिए यह प्रश्न सूची जारी की गई है और राज्य सरकारों के उत्तर क्या हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रमुख प्रयोजन पंच वर्षीय योजना के अधीन योजनाओं के कारण देश में कई स्थानों पर नौकरियों को भरने के लिए पदाधिकारियों की बढ़ती हुई मांग है । इस लिए हम ने विभिन्न राज्य सरकारों से सिपारिश की है कि कृषि और पशुपालन विभागों में प्रमुख नौकरियों में भरती के समय उन्हें एक योजना का अनुसरण करना चाहिये और इन रिक्तियों को भरने की योजना पहले बनाई जानी चाहिये । हम ने सुझाव रखा कि विभिन्न राज्यों को प्रमुख नौकरियों की एक सूची रखनी चाहिये और भर्ती से लगभग दो वर्ष पूर्व प्रस्थापनाएं भेजनी चाहियें ।

श्री अमजद अली : राज्य सरकारों पर इस का क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह अभी नहीं कहा जा सकता । हम ने सब राज्य सरकारों को प्रश्न सूची भेज दी है ; कुछ ने उत्तर भेजे हैं और कुछ ने अभी नहीं भेजे ।

श्री नानादास : आंध्र राज्य का कोई वर्णन नहीं है । क्या मैं यह समझूं कि आंध्र राज्य को यह नहीं भेजा गया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जब सम्मेलन हुआ आंध्र राज्य का अस्तित्व नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैं ने एक दिन कहा था आंध्र राज्य के सम्बंध में कोई प्रश्न समय से पूर्व है । इस का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन पदाधिकारियों को किन स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण के लिए किस श्रेणी के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : देश में हमारे पास कई संस्थाएं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम अब अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे ।

छोटी सिंचाई योजनाएं

*३९२. **श्री अमजद अली** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक अन्न उपजाऊ जांच समिति ने १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५५–५६ के तीन वर्षों के बीच विशेष छोटी सिंचाई योजनाओं का उपक्रम करने का उपबंध करने के लिए एक अतिरिक्त धन राशि की सिपारिश की है ;

(ख) क्या अभी तक किसी धन राशि की स्वीकृति दी गई है ;

(ग) क्या ऐसा है तो कितनी; तथा

(घ) वे स्थान (राज्य) कौन से हैं जहां इन का प्रयोग किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख) हां श्रीमान् ।

(ग) १९५२–५३ में ६३५·८४ लाख रुपये और १९५३–५४ में १९-११-५३ तक ६२७·२५ रुपये ।

(घ) १९५२–५३ और १९५३–५४ में विभिन्न राज्यों में स्वीकृत की गई योजनाओं के विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखे गये हैं । **[देखिए परिशिष्ट २ अनुबन्ध सं० ५५]**

श्री अमजद अली : क्या भाग (क) के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : योजना के वर्षों में प्रति वर्ष के लिये १० करोड़ रुपये।

श्री अमजद अली : यह कितने वर्ष तक दी जायेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : और तीन वर्ष तक।

सरदार हुकम सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों से इन छोटी मोटी सिंचाई योजनाओं पर पूंजी व्यय करने के लिये एक विशेष उपकर या सुधार शुल्क लगाने के लिये कहा गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कुछ मामलों में उन्हें शुल्क लगाने के लिये कहा जाता है। स्थिति यह है कि राज्य सरकारों को इन राशियों में से ऋण दिया जायेगा। उन्हें पांच वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की अवधि में इस ऋण को किस्तों में चुकाना होगा। क्योंकि उन्हें यह ऋण चुकाना होगा अत: हम ने उन्हें स्थानीय सुविधा के अनुसार सुधार शुल्क या कोई उपकर लगाने के लिये कहा है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या छोटे मोटे सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों को करने के लिये दिये गये ऋण को चुकाने के नियमों के सम्बन्ध में कोई ढील दी गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे ज्ञान में तो नहीं दी गई।

श्री अमजद अली : मैं यह जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों को ये अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस प्रश्न पर इसके गुणों के आधार पर विचार किया जाता है। प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है और उन की पड़ताल की जाती है और ये योजनायें मंजूर की जाती हैं।

भादसों परियोजना

*३९३. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भादसों परियोजना के क्षेत्र में अब तक कुल कितने एकड़ खेती न करने योग्य भूमि कृषि योग्य बनाई गई है ?

(ख) परियोजना के कितने गांवों में चकबन्दी का काम आरम्भ किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) २५२३ एकड़।

(ख) १३३ गांवों में।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं यह जान सकता हूं कि क्या चकबन्दी का काम अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है अथवा ग्रामीण इस का विरोध कर रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह तो उन मामलों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में जहां ग्रामीणों का अधिक सहयोग प्राप्त होता है, वे प्रसन्नता से ऐसा कर लेते हैं। बहुत से स्थानों में ग्रामीण दकियानूसी मनोवृत्ति के होते हैं और वहां इस में कठिनाई होती है।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि सरकार उन क्षेत्रों में चकबन्दी के काम को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रचार द्वारा और ग्रामीणों से अनुरोध करके।

बाढ़ से क्षति

*३९४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्षा ऋतु में भयंकर

बाढ़, भारी वर्षा और तूफानों के कारण बिहार राज्य में संचार व्यवस्था को कितनी हानि पहुंची है ?

(ख) क्या इन सब को पुनः ठीक कर दिया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) कोई भारी हानि नहीं हुई। संचरण व्यवस्था को पुनः ठीक करने पर लगभग ८,९०० रुपये व्यय हुए।

(ख) जी हां।

चावल

*६९५. **श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सितम्बर, १९५३ में चावल तथा अन्य अनाजों के भाव काफी गिर गये थे ?

(ख) इस के मुख्य कारण क्या हैं ?

(ग) अनाज के भावों में कमी को रोकने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) तथा (ख). इस में सन्देह नहीं कि कुछ मामलों में सितम्बर में अनाज के भाव काफी गिर गये हैं किन्तु इसे न तो असाधारण कहा जा सकता है और न ही आकस्मिक कहा जा सकता है। जब खरीफ की फसल अच्छी होती है जैसा कि इस वर्ष हुआ है तो सितम्बर में और उसके पश्चात् फसल कटने के समय भाव सदा ही गिरते हैं।

(ग) सरकार स्थिति को ध्यान से देख रही है और ऐसे उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिन्हें कि भावों के एक दम गिरने की दशा में काम में लाया जा सकता है; उस के विचार में इस समय तुरन्त कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० पी० सिन्हा: देश के किस भाग में किस अनाज का भाव सब से अधिक गिरा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह कमी लगभग सभी अधिक अनाज वाले राज्यों और कमी वाले राज्यों के कुछ अधिक अनाज वाले भागों में और चावल, मकई, जवार और बाजरा आदि सभी अनाजों में हुई है। भविष्य में अच्छी फसल की आशा के कारण और उपयोगी मानसून के कारण इन दो मासों में इन पदार्थों के भाव गिर गये हैं ?

श्री के० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि बिहार के कुछ भागों में इन दिनों चावल ११ रुपये या १२ रुपये के मन के भाव बिक रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: श्रीमान्, यह सत्य हो सकता है।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या सरकार अनाजों का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त भाव रखने के लिये इन का समाहार करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हम ने समाहार बन्द नहीं किया है। हम ने सारे वर्ष के लिये योजना बनाई है। हमारा पत्री वर्ष खाद्य वर्ष होता है। अतः हमारे इस सारे वर्ष के समाहार के भाव वही हैं जो कि हम ने गत वर्ष निश्चित किये थे। इस प्रकार प्रत्येक राज्य को उन भावों पर समाहार करने की पूर्ण स्वच्छन्दता है जिन भावों पर कि हम ने गत वर्ष समाहार किया था। जब सरकार समाहार करेगी, तो भाव चढ़ जायेंगे।

श्री हेडा: जहां तक चावल का सम्बन्ध है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह

समझती है कि किसी राज्य में चावल का का भाव गिर गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बहुत से स्थानों में । मद्रास जैसे कमी वाले राज्य में तंजोर में चावल का भाव काफी गिर गया है । वहां समाहार का भाव धान का प्रति बोरा १६ रुपये ८ आने है जब कि दीपावली के आस पास खुले बाजार का भाव गिर कर १२ रुपये तक आ गया था । अब फिर यह बढ़ रहा है । आन्ध्र में चावल उगाने के एक महत्वपूण केन्द्र तडेपल्लीगुडम् में चावल का भाव हमारे समाहार के भाव से बहुत अधिक गिर गया है ।

प्रथम श्रेणी के डिब्बे

*३९६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मुख्य लाइन की कुछ गाड़ियों में अब भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे रहते हैं ?

(ख) यदि हां, तो कब तक जारी रहेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रथम श्रेणी के डिब्बे केवल १५ गाड़ियों में रखे गये हैं; ये भी यथासमय हटा लिये जायेंगे, परन्तु यह ठीक ठीक बतलाना कठिन है कि ये कब तक रखे जायेंगे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि प्रथम श्रेणी अभी तक क्यों जारी रखी गई है ?

श्री शाहनवाज खां : इसका मुख्य कारण पर्यटक यातायात की आवश्यकता पूर्ति है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : प्रथम श्रेणी को समाप्त करने पर क्या शीतोष्ण नियामित श्रेणी सब से उंची श्रेणी रहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह प्रश्न पहले भी रखा गया था । माननीय सदस्य से मैं ने कहा था कि वह जैसा चाहें वैसा समझें ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि बाहर से आने वाले पर्यटक शीतोष्ण नियामित डिब्बों में यात्रा करते हैं ? यह सही है तो इतनी अधिक गाड़ियों में प्रथम श्रेणी बनाये रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसा करने का कारण यह है कि केवल दस गाड़ियों में ही शीतोष्ण नियामित स्थान की व्यवस्था है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या द्वितीय, मध्यम और तृतीय श्रेणियों के स्थान पर इनका नाम पुनः प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर देने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हम इन श्रेणियों के नाम पुनः वही नहीं रख सकते हैं क्योंकि प्रथम श्रेणी अब भी विद्यमान है । जब प्रथम श्रेणी पूरी तरह समाप्त हो जायगी तब हम इन श्रेणियों के नाम परिवर्तन पर विचार करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : अब हमें दूसरा प्रश्न लेना चाहिये ।

श्री सैय्यद अहमद : प्रस्तुत विषय के सम्बंध में अभी पर्याप्त प्रश्न नहीं उपस्थित किये गये हैं ?

टिड्डियां

*६९७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५३ में कितने टिड्डी दल दिखाई दिये थे ?

(ख) क्या यह सच है कि नियंत्रक कार्यवाही पूर्ण वेग में रहने पर भी बहुतेरे टिड्डी दल नष्ट होने से बच गये ?

(ग) क्या यह सच है कि कई क्षेत्रों में टिड्डियों के बच्चे पैदा होने के लिये अवस्थाएँ उपयुक्त हैं ?

(घ) टिड्डियों के आक्रमण के विरुद्ध सरकार कौन से प्रभावशाली नियंत्रणात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) लगभग तीस टिड्डी दल ।

(ख) नहीं ।

(ग) सितम्बर और अक्टूबर में अवस्थाएं अनुकूल थीं किन्तु उसके बाद अत्यधिक शीत होने से दुबारा टिड्डी वंश उत्पन्न होना कठिन है ।

(घ) पेप्सू, सौराष्ट्र, बम्बई, कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में पर्याप्त टिड्डी-विरोधी केन्द्रीय संगठन है । टिड्डियों से पीड़ित अन्य सभी राज्यों के पास टिड्डी-विरोधी संगठन हैं । इस विभीषिका से युद्ध करने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों को प्रकट करने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

श्री ईश्वर रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष और पिछले वर्ष कितने एकड़ भूमि टिड्डियों से प्रभावित हुई और फसल की कितनी हानि हुई ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : टिड्डियों के दल राजस्थान के रेतीले भाग में आते हैं । एकड़ का हिसाब लगाना अत्यंत दुष्कर है क्योंकि वे सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं । भारत में प्रवेश करने वाले समग्र टिड्डी दल से युद्ध करने में हम समर्थ हुए हैं और उनमें से कुछ भी अवशेष नहीं है । यदि वे बाहर से आये हैं तो उनका पता लगाया जा सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित हुआ है कि तामिलनाद और विशेष कर चिंगलपत और दक्षिण अर्काट जिलों में सहसा ही टिड्डियों का आक्रमण हुआ था और यदि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था तो क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, मेरे पास सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो तो मैं उन्हें बाद में सूचना दे दूंगा ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि टिड्डी विभाग में नियोजित कर्मचारी वर्ष में छै या सात महीने बेकार रहते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जब कभी भी वर्ष के अधिकतम प्रबलता वाले भाग में इसकी आवश्यकता होती है हम कर्मचारियों की भरती करते हैं । अन्यथा, अधिकांश समय स्थामी में कर्मचारी वृन्द ही काम करते हैं । यह स्वभाविक ही है कि जब टिड्डियां आती हैं उन्हें अधिक काम करना पड़ता है और जब टिड्डियां नहीं रहती हैं तो हम उनसे यह नहीं कह सकते कि वे रेगिस्तान में ही कृमिनाशक औषधि छिड़का करें ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या यह सच है कि राजस्थान में टिड्डियों से प्रभावित होने वाली भूमि में इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा पांच गुना वृद्धि हो गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस वर्ष इनकी प्रबलता थी । पिछले वर्ष के आरम्भ में वे पाकिस्तान से आई थीं और इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है । इनका आगमन मई से आरम्भ हुआ; सितम्बर तक हमने सब टिड्डियों की अंत्येष्टि कर दी किन्तु सितम्बर में कुछ टिड्डी दल पाकिस्तान क्षेत्र से आये, उनकी संख्या लगभग दो दर्जन थी, हम उन्हें मारने में भी सफल हो गये ।

अनिवार्य सेवा निवृत्ति

*३९८. **श्री गिडवानी** : (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा के रक्षार्थ) नियमों के अन्तर्गत बम्बई जिले के दूरभाष अधीक्षक ने बम्बई जिले के दूरभाष उपनिरीक्षक को अनिवार्य सेवा-निवृत कर दिया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने बम्बई के दूरभाष अधीक्षक द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है ?

(ग) क्या सरकार ने इस तरह के मामलों में भविष्य के लिये कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) भारत सरकार भविष्य के लिये उपयुक्त आदेश जारी कर रही है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि उपनिरीक्षक को दूरभाष अधीक्षक श्री के० सी० डे० की ओर से यह नोटिस दिया गया था कि वह (उपनिरीक्षक) साम्यवादी दल का सदस्य था और वह कुछ ऐसे विध्वंसात्मक कार्यों के सम्पर्क में था कि उसकी विश्वसनीयता में सन्देह उत्पन्न होता था और उस निरीक्षक द्वारा इस अभियोग का मौखिक और लिखित रूप में और अभ्यावेदन द्वारा मना कर दिया गया था ?

श्री राज बहादुर : नोटिस दिया गया था और आरोप से इन्कार कर दिया था किन्तु सम्बद्ध पदाधिकारी की सम्मति में उस आरोप के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण थे और इस कारण उस पदाधिकारी से सेवा-निवृत होने के लिये कहा गया था । प्रावैधिक आधार पर उच्च न्यायालय ने लेख प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि न्यायाधिपति श्री देसाई ने अपने आदेश में व्यक्त किया था कि अनिवार्य सेवानिवृत्तिअत्यन्त कठोर दण्ड है ; न्याय की यह मांग है कि नियमों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाय और अभिलेख में इस आशय की कोई बात नहीं थी जिससे यह प्रकट हो कि उक्त अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हो कि प्रार्थी के सेवा में बने रहने से राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि का भय है ।

श्री राज बहादुर : यह अपना अपना विचार है । यह युक्ति संगत तथ्य है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेता है तब सेवा में नियोजित रहकर उस नियम का उल्लंघन करते हुए जिसे मानने के लिये समस्त कर्मचारीगण बाध्य हैं उसके लिये सेवा से निवृत होजाना ही अधिक श्रेयस्कर है ।

श्री गिडवानी खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री गिडवानी : केवल एक प्रश्न और, श्रीमान ।

अध्यक्ष महोदय : हमें वैयक्तिक प्रश्न ही नहीं पूछते जाना चाहिये ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है......

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं नहीं समझता कि इस में कोई सिद्धान्त का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ।

श्री गिडवानी : एक और प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वयं प्रश्न ही व्यक्ति से सम्बधित है ।

श्री पुन्नस : श्रीमान् यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री गिडवानी : केवल एक प्रश्न, श्रीमान् —

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या हमें सरकार से यह मालूम करने का अधिकार नहीं है कि ....

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि न्यायाधिपति श्री देसाई ने यह निर्णय दिया था कि प्रतिवादी श्री डे और भारत संघ प्रार्थी को ६०० रु० खर्च के रूप में दे ?

श्री राज बहादुर : मैं स्वयं निर्णय की ओर ही माननीय सदस्य को निर्देशित करूंगा । मैं फिर दौहरा दूं कि केवल एक प्रावैधिक आधार पर ही प्रार्थना पत्र स्वकृित किया गया है ; न्यायाधीश श्री देसाई की सम्मति में उक्त नोटिस को जारी करने वाला पदाधिकारी इस कार्य को करने के लिये समर्थ नहीं था । एक अधीनस्थ पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया था और यही केवल एक प्रावैधिक विन्दु है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र उपस्थित करने की अनुमति दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री एच० एन० मुकर्जी कुछ आपत्ति अथवा कोई विन्दु प्रस्तुत करना चाहते थे । वह विन्दु क्या है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरे विन्दु की सृष्टि माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये प्रश्न से उत्पन्न हुई है । यह किसी विशिष्ट मामले के न्यायिक निर्णयन के सम्बंध में थी और माननीय उपमंत्री ने जो अर्थ लगाया है उससे यह सम्बंधित न्यायाधीश के आचरण पर आक्षेप कर रहे हैं ।

श्री राज बहादुर : कदापि नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि केवल यह व्याख्या करने से कि प्रार्थनापत्र एक प्रावैधिक आधार पर स्वीकृत किया गया है इसमें किसी प्रकार का आक्षेप अन्तर्गत है । उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है अन्यथा वैयक्तिक मामले से सम्बंधित प्रश्न स्वीकार ही नहीं किया जाता ।

बम्बई को खाद्यान्न सम्भरण

*३९९. **श्री दाभी** : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय संग्रह से वर्ष १९५३ में बम्बई सरकार को सम्भरित किये गये प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्न की मात्रा ;

(ख) सम्भरित किये गये प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्न की कीमतें;

(ग) बम्बई सरकार को वर्ष १९५३ के लिये प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्न की कितनी कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ; और

(घ) बम्बई सरकार की वास्तविक मांग कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) आंकड़े उपलब्ध होने की नवीनतम तिथि प्रथम जनवरी से ७ नवम्बर, १९५३ तक खाद्यान्न की निम्न मात्राएं सम्भरित की गई थीं :

चावल	६६,००० टन
गेहूं	४४,००० टन
दूसरे खाद्यान्न	१४४,००० टन
कुल योग .	६५७,००० टन

(ख) दूसरे राज्यों और समुद्र पार के देशों के अनाज में से बम्बई को सम्भरित किये गये खाद्यान्न की कीमतों का विवरण सदन पटल पर रखा है। [देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]

(ग) सन् १९५३ में बम्बई को निर्धारित किया गया खाद्यान्न निम्न है :–

चावल	१२६,००० टन
गेहूं	४०५,००० टन
दूसरे खाद्यान्न	१६१,००० टन
कुल योग	६९५,००० टन

(घ) आज तक की परिवर्द्धित मांग निम्न है :

चावल	१७५,००० टन
गेहूं	४५०,००० टन
दूसरे खाद्यान्न	२७५,००० टन
कुल योग	९००,००० टन

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई सरकार की सम्पूर्ण मांग पूरी क्यों नहीं की गई थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारा अनुभव यह है कि राज्य सरकारें, बहुत सतर्क रहने के लिये, वर्ष के आरंभ में अपने फालतू स्टॉक का, अनुमान कम और कमी का अनुमान अधिक लगाती हैं तथा हमसे अधिक खाद्यान्न मांगती हैं। वर्ष के अन्त में जब वे अपने हिसाब किताब को फिर से दुहराती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वर्ष के आरंभ में उनकी जो मूल मांग थी, वास्तव में उन्हें उसके आधे भाग की ही आवश्यकता थी। अतः जब भी कभी कोई राज्य सरकार हम से अधिक खाद्यान्न मांगती है, तो उस विशेष राज्य में विद्यमान दशाओं का ध्यान रखते हुए, हम उन्हें कम देते हैं, क्योंकि वे अपना पूरा बांटा गया भाग ले नहीं जा सकेंगी।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि बम्बई सरकार की सम्पूर्ण मांग को इस लिये पूरा नहीं किया गया था, क्योंकि बम्बई राज्य के छोटे नगरों में राशनिंग समाप्त करने का विचार नहीं था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं। उनके पास काफी खाद्यान्न है। इस समय उनके पास ४५,००० टन चावल, लगभग एक लाख टन गेहूं तथा लगभग ३५,००० टन मक्का है। वे जितना चाहें, हम उन्हें उतना दे सकते हैं। उनके विनियंत्रण करने का यह कारण नहीं है कि उनके पास खाद्यान्नों का अभाव है। सच तो यह है कि उनके पास खाद्यान्न अधिक हैं, इसीलिये उन्होंने विनियंत्रण किया है।

माल डिब्बों की कमी

*४०० **श्री दाभी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" के विशेष प्रतिनिधि द्वारा "रेल परिवहन सम्बंधी कठिनाइयां समाप्त—आलोचना तथ्यों के आधार पर नहीं" शीर्षक के अधीन लिखे हुए उस पत्र की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि "कुछ क्षेत्रों में आजकल रेलों पर वस्तुतः यातायात बहुत कम है और सरकारी क्षेत्रों में यह अनुभव किया जा रहा है कि यातायात संबंधी अधिकांश शिकायतें तथ्यों के आधार पर नहीं की गई हैं" ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या पश्चिम रेलवे पर भी आजकल यही हालत है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने, पश्चिम रेलवे पर भी माल डिब्बों के संभरण की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की या करने जा रही है ?

रेल तथा यातायात उप-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) पश्चिम रेलवे पर साबरमती तथा विरामगांवसे होकर बड़ी लाइन से छोटी लाइन को जाने वाले खण्ड और ताप्ती घाटी खण्ड से तथा संकरी लाइन के खण्डों से बड़ी लाइन के स्टेशनों को जाने वाले इमारती लकड़ी के परिवहन को छोड़कर, अन्य सभी खण्डों पर न्यूनाधिक रूप से परिवहन चालू है ।

(ग) यहां पर माल डिब्बों के कम संभरण की बात नहीं है । बात यह है कि हमारी लाइन और एक लाइन से दूसरी लाइन पर माल लाने ले जाने की सामर्थ्य अपर्याप्त है । ताप्ती-घाटी खण्ड की लाईन सम्बन्धी सामर्थ्य तथा साबरमती और विराम गांव पर एक लाइन से दूसरी लाइन पर माल ढोने की सामर्थ्य को, उनके यार्डों में सुधार करके तथा और अधिक क्रेनों (भारी माल उठाने की मशीन) की व्यवस्था करके, और संकरी लाइन से बड़ी लाइन पर माल बदलने के स्टेशनों पर क्रेनों की व्यवस्था कर के, बढ़ाने के प्रस्ताव हमारे पास हैं ।

श्री दाभी : गुजरात में माल डिब्बों के संभरण की आजकल क्या स्थिति है ? उसमें अगले वर्ष सुधार होने की संभावना है या नहीं ?

श्री अलगेशन : वर्तमान स्थिति भी बहुत संतोषजनक है । जहां तक बड़ी लाइन का सम्बन्ध है, सारी पश्चिम रेलवे पर २ १/२ दिन की लदान से अधिक का सामान लदने के लिये नहीं पड़ा है । छोटी लाइन पर १ १/२ दिन से अधिक की लदान का सामान लदने के लिये नहीं पड़ा है। इससे स्पष्ट है कि स्थिति काफी संतोषजनक है और मांगें पूरी होती जाती हैं ।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर पूर्व रेलवे पर वर्तमान स्थिति क्या है ? कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि माल डिब्बे के संभरणके सम्बन्ध में कठिनाई थी ।

श्री अलगेशन : मैं इसका बिलकुल निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज के समाचार पत्रों में फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने रेल सम्बन्धी कठिनाइयों के सम्बन्ध में रेलों पर जो जोरदार आरोप लगाया है, क्या सरकार को उसका ज्ञान है, और क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने रेलों के एकीकरण के बाद स्थिति का पुनर्विलोकन किया है ?

श्री अलगेशन : माननीय महिला सदस्य ने जिस प्रतिवेदन का हवाला दिया है, उसको मैंने नहीं देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित् माननीय मंत्री के पास समय नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

*४०१ **श्री गिडवानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संचालन का विरोध करने के लिये २६ सितम्बर, १९५३ को दिल्ली में कर्मचारी बीमा संघ के सदस्यों द्वारा एक प्रदर्शन तथा एक सार्वजनिक सभा की गई थी और उसमें उन्होंने यह मांग की

थी कि कर्मचारियों को बीमारी, प्रसव एवं असमर्थता सम्बन्धी सुविधायें तथा डाक्टरी सुविधाओं की देख भाल करने के लिये एक प्रादेशिक बोर्ड को स्थापित करने की शीघ्र व्यवस्था की जाये;

(ख) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो उनका निर्णय क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) कुछ कर्मचारीयों ने, जिनमें से अधिकांश प्रेसों में काम करने वाले थे, २९ सितम्बर १९५३ को एक सभा की थी और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबन्ध में कुछ संकल्प पारित किये थे ।

(ख) तथा (ग). उन संकल्पों में जितनी बातों का उल्लेख था उनमें से अधिकांश पहले ही से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विचाराधीन थीं। इस योजना के संचालन में संभव सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है । दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक त्रिदलीय प्रादेशिक बोर्ड काम कर रहा है और उस बोर्ड के संचालन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये निगम उसको फिर से बनाने के लिये कार्यवाही कर रहा है । इस पुनर्निमित बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दो से बढ़ कर पांच हो जायगा ।

श्री गिडवानी : क्या वृद्धावस्था निवृति-वेतन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह बात इस प्रश्न में से नहीं उठती ।

दिल्ली में अनधिकृत संचारक यंत्र

*४०२. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री १८ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६३ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में संचारक यंत्र के पाये जाने के सम्बन्ध में जो जांच हो रही थी, क्या वह पूरी हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो उसके निर्णय क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). हां । यह मामला अब न्यायालय के सामने है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को पता है कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी पाकिस्तानी लोगों से सम्पर्क बनाये हैं ?

श्री राज बहादुर : यदि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी हो, तो वह सरकार को बतायें ।

भूमि-सुधारों की समिति

*४०३. **श्री गोपाल राव :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने भूमि-सुधारों के लिये कोई समिति बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५८]**

श्री गोपाल राव : इस समिति के विभिन्न कार्य विवरण में लिखे हुए हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने राज्य विधान मण्डलों द्वारा इस कृषि समस्या के संबंध में अधिनियमित विभिन्न विधानों का अध्ययन किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वस्तुत: यह भी उनका एक कार्य है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये विभिन्न अधिनियमों में कुछ समानता तथा सामंजस्य स्थापित करने के हेतु यह समिति बनाई गई है। कृषि सुधार संबंधी किसी विधान के राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किये जाने से पूर्व, वह विधान इस समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है और ऐसे विधानों को अधिनियमित करने से पूर्व इस समिति की राय का ध्यान रखा जाता है।

श्री गोपाल राव : यह बताया गया है कि इस समिति की चार बैठकें हुई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने जो उपाय किये हैं क्या उन से काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह एक विस्तृत बात है। माननीय सदस्य योजना आयोग से, जिसके पास इसके विस्तृत विवरण हैं, यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री गोपाल राव : समिति का एक कार्य यह है कि वह भूमि के स्वामित्व, प्रबंध, कृषि तथा वितरण संबंधी समस्याओं का निरंतर अध्ययन करती रहे........

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इसका उत्तर देने का अर्थ इस विषय की बहुत गहराइयों में जाना होगा, जिसका अभी उन्हें पता नहीं है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उचित तो यह है कि यह प्रश्न योजना आयोग से पूछा जाये।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह समिति जो निर्णय करती है अथवा जो सुझाव देती है, क्या विभिन्न राज्यों को उनको मानना आनिवार्य होता है अथवा वे केवल एक सिफारिश के रूप में होते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वे अनिवार्य और सिफारिशी दोनों ही प्रकार के होते हैं।

मास्टर समिति की सिफारिशें

*४०४. **श्री टी० वी० विट्ठल राव** (क) क्या **संचरण** मंत्री 'बी' लाइसेन्सधारी भारतीय वाणिज्यिक विमान चालकों की प्रशिक्षा तथा उनको नौकरियां देने के संबंध में मास्टर समिति की मुख्य सिफारिशें बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख) मास्टर समिति की मुख्य सिफारिशों दिखाने वाला एक विवरण मैं पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५९**]

श्री टी० वी० विट्ठल राव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रतिवेदन सरकार को कब दिया गया था, और उस प्रतिवेदन पर विचार करने में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री राज बहादुर : अंतिम प्रतिवेदन, जिसमें श्री टी० पी० भल्ला की विमति टिप्पणी भी सम्मिलित है, अप्रैल के अन्त में दिया गया था।

श्री टी वी विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वायुयान चालकों के उड़ान के घंटों में कुछ कमी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि बेकार चालकों को भी काम पर लगाया जा सके।

श्री राज बहादुर : यह तो एक अलग ही प्रश्न है । यह प्रतिवेदन तो नागरिक वायुयान चालकों तथा अलाहाबाद में सी० ए० सी० के प्राशिक्षण के संगठन एंव नागरिक वायुयान चालकों की प्रशिक्षा के सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में है ।

श्री जो० पी० सिन्हा : कितने नागरिक वायुयान चालक आजकल काम में नहीं लगे हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न की सीमा में नहीं है ।

बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारियों का समय से अधिक काम करने का वेतन

*४०५. **श्री पुन्नूस :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या यह तथ्य है कि बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों के अगस्त १९५३ के महीने का समय से अधिक काम करने का वेतन सितम्बर १९५३ तक भुगतान नहीं किया गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चूंकि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन मिलने वाले लाभ जिनको भूतलक्षी प्रभाव दे दिया गया है, अगस्त १९५३ महीने में समय से अधिक काम करने का भत्ता जो सामान्य रूप से शोरे तथा फ्लोटिला जहाज़ के कर्मचारियों को २० से २४ सितम्बर के बीच भुगतान कर दिया जाना था, उसका फिर से हिसाब करना पड़ा । उसका भुगतान १ अक्तूबर १९५३ को किया गया था और एक सप्ताह की देरी जो नवीनतम वेतन पत्र बनाने में हुई थी उसे सम्बन्धित श्रम संघ ने स्वीकार कर लिया था ।

श्री पुन्नूस : किन विशेष परिस्थितियों में अगस्त महीने के अधिक समय के वेतन के भुगतान में देरी हुई ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने बताया है कि वेतन पत्र में अधिक समय के काम करने का भत्ता डेढ़ गुने के हिसाब से लगाया गया है । न्यूनतम वेतन अधिनियम को तथा नियमों को स्वीकार करने के उपरांत वेतन के दुगने के हिसाब से इसका लेखा करना पड़ा और इसी के कारण से देरी हुई थी । श्रम संघ का कहना था कि देरी की कोई बात नहीं है किन्तु उनका भुगतान फिर से हिसाब लगाकर होना चाहिये ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि सभाएं की गई थीं और प्रस्ताव पारित किये गये थे कि उनका अधिक समय काम करने का भत्ता ३० सितम्बर से पहिले दिया जाय अन्यथा वे हड़ताल करेंगे ।

श्री अलगेशन : नहीं श्रीमान्, जैसा कि मैं ने बताया है कि श्रम संघ के प्रधान ने स्वयं ही इस बात के लिए कहा था कि वह देरी सहन कर लेंगे ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या इस देरी के लिए तथा कष्ट जो कि उन्होंने इस के लिए सहन किया, कर्मचारियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई थी ।

श्री अलगेशन : क्षतिपूर्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीमान् ।

बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारी

*४०६. **श्री पुन्नूस :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करगे (क) बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारी प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं ?

(ख) पत्तन न्यास प्राधिकारी किस दर से इन कर्मचारियों को समय से अधिक काम करने का भत्ता देते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वांछित जानकारी द्योतक

विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(ख) न्यूनतम वेतन अधिनियम अथवा कारखाना अधिनियम से प्रशासित कर्मचारियों को अधिक समय काम करने का भत्ता वैधानिक दरों अर्थात् उनके सम्पूर्ण वेतन की दुगुनी दर के हिसाब से दिया जाता है। दूसरे मामलों में यह भत्ता मूल वेतन का डेढ़ गुना दिया जाता है, कुछ श्रेणी के कर्मचारियों, विशेष रूप से देखभाल करने वाले कर्मचारियों को यह एक गुनी दर से दिया जाता है।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि कर्मचारियों ने ९ घंटे से अधिक काम का—समय से अधिक काम करने का—भत्ता वेतन की दुगनी दर से मांगा है ?

श्री अलगेशन : ऐसा प्रयत्न किया गया है कि प्राय: सभी मामलों में काम करने के घंटे ९ घंटों से अधिक नहीं होने चाहिये।

श्री पुन्नूस : मेरा प्रश्न यह है कि जब उनको काम करने के ९ घंटों से अधिक काम करना पड़ा है तो क्या उनकी ओर से कोई ऐसी मांग थी कि उनको उनके वेतन के दुगनी दर से भत्ते का भुगतान किया जाये ?

श्री अलगेशन : वास्तव में यह स्वीकार कर लिया गया है कि जब वे काम करने के घंटों से अधिक काम करते हैं तो उन्हें उसका भत्ता वेतन की दुगुनी दर से दिया जायगा, और बम्बई के कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव के फलस्वरूप १५ मार्च १९५१ से भुगतान किया जा रहा है और इसका बिल लगभग ७५ लाख रुपया का बनेगा।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

*४०७. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर, रूपनराइन, तथा कोसी नदियों पर राष्ट्रीय राजपथों पर पुल बनाने के परिमाप का कार्य प्रारम्भ हो गया है, यदि हां, तो कब ?

(ख) परिमाप कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा ?

(ग) इन पुलों के बनवाने में अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

(घ) इन पुलों के निर्माण से क्या सुविधाएं मिल जायेंगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). वांछित जानकारी द्योतक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(घ) इन पुलों के निर्माण से राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के द्वारा बम्बई तथा मद्रास को जाने वाले रास्ते कलकत्ता खड़गपुर के बीच का रास्ता सीधा तथा बिना किसी रुकावट के हो जायगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या ये पुल नावों के पुल के स्थान पर ही बनाये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : स्थानों का तो मुझे कोई निश्चित पता नहीं है। मैं इस के बारे में कि वे कहां बनेगें पता करूंगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि पिछले युद्ध काल में सेना की मोटर गाड़ियां रूपनराइन नदी को कोलाघाट रेल के पुल पर होकर पार करती थीं जहां कि एक पुल बनने वाला है ? मैं जान सकता हूं कि क्या उस रेल के पुल को रेल तथा सड़क के पुल में परिवर्तित करने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री अलगेशन : नहीं श्रीमान् हम नये पुल बना रहे हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या इन पुलों के निर्माण के खर्चे को पूरा करने के लिये सरकार कोई सड़क का कर लगाने का विचार कर रही है ?

श्री अलगशन : वे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं अतएव सड़क-कर के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं ।

टिड्डियों के विरुद्ध कार्यवाहियां

*४०९. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या टिड्डियों के प्रजनन वाले देशों में टिड्डियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आपस में सामंजस्य तथा सहयोग है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन देशों से कोई बातचीत की गई है ?

(ग) यदि हां तो उसके परिणाम ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२**]

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या टिड्डी विरोधी कार्यवाहियों को करने के सम्बन्ध में किसी योजना के बारे में कोई समझौता हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस मास के आरम्भ में हम ने अपना एक प्रतिनिधि दमिश्क में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजा था और उन्होंने वहां इनको—मध्यपूर्वीय देशों के आम शत्रु का मुकाबला करने तथा समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा की; और वे कुछ निष्कर्षों पर आये, जिन के अनुसार हमें अपना एक

प्रतिनिधि दो विमानों के साथ भेजना पड़ेगा —मुझे निश्चित रूप से यह ता याद नहीं है कि उनको वहीं मारने के लिये भेजना है अथवा कहीं और ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या दमिश्क में एकत्रित होने वाले देशों ने किसी योजना के बारे में समझौता किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह योजना जो वहां स्वीकार की गई थी वह यह थी कि टिड्डियों का वहीं सामना किया जाय और उन्हें पाकिस्तान से ही यहां न आने दिया जाय ।

श्री सी० आर० चौधरी : वह योजना क्या थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह योजना टिड्डियों के आंतक का सामना करने की थी ।

केन्द्रीय रेलवे के डाक्टर

*४१० **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या रेल मंत्री १ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७६२ के उत्तर का हवाला देते हुए बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार केन्द्रीय रेलवे में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों के लाभार्थ दो तप्रेदिक के अस्पतालों के बनाने के लिये स्थान छांट लिये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय रेलों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिये सुयोजित योजना विचाराधीन है । यह विस्तार कार्यक्रम ५ वर्षों में होगा, और केन्द्रीय रेलवे तथा अन्य रेलों में भी डाक्टरों की संख्या बढ़ाये जाने की संभावना है ।

(ख) केवल रेल कर्मचारियों के लिए ही दो तपेदिक के अस्पताल बनाने के निर्णय पर मई १९५३ में फिर से विचार हुआ था ; और सरकार ने निश्चिय किया है कि देश के वर्तमान सेनेटोरियमों में केवल रेल कर्मचारियों के लाभार्थ एनक्सी बनाई जाय ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि यह निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा, क्योंकि यह सरकार के विचाराधीन दो वर्ष से भी अधिक समय से हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने पहिले बताया था कि मूल विचार यक्ष्मा के दो अस्पताल बनाना था । वह विचार अब बदल गया है और अब विचार यह है कि देश के सभी सेनोटोरियम में एनक्सी बनाई जाय।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि वह कब प्रारम्भ किया जायगा।

श्री शाहनवाज खां : दो पदाधिकारियों का एक दल उचित स्थानों का पता करने के लिये समस्त देश का भ्रमण करने के लिये जा रहा है और उनका प्रतिवेदन शीघ्र ही मिलने वाला हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उचित संस्थाएं ?

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकत हूं कि इन अस्पतालों में कुल कितने रोगियों के लिये स्थान हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अस्पताल कोई नहीं हैं । अब प्रश्न तो केवल एनेक्सी बनाने का है । यदि इन एनेक्सियों में रोगियों की संख्या का प्रश्न है तो वह दूसरी बात है ।

श्री शाहनवाज खां : इस प्रश्न की जांच हो रही है ।

श्री टी० बी० विट्टल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कारण है कि अन्य रेलवे जोनों की अपेक्षा केन्द्रीय रेलवे में डाक्टरों की संख्या कम क्यों है ?

श्री शाहनवाज खां : संभवतः माननीय सदस्य का प्रश्न पिछले सत्र में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दी गई जानकारी पर आधारित है। वास्तव में; दी गई जानकारी के सम्बन्ध में बाद को पता चला है कि वह गलत थी । ठीक प्राप्य सूचना अब यह है कि इस रेलवे में भी प्रायः अन्य रेलों जैसी स्थिति है ।

कच्चा पटसन

*४१२. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर १९५३ के मासों में कच्चे पटसन का मिल द्वार पर क्या मूल्य था ?

(ख) इन मासों में उगाने वालों को कच्चे पटसन का क्या मूल्य मिला ?

(ग) क्या यह मूल्य बचत का मूल्य समझा जाता है ?

(घ) यदि नहीं, तो कृषकों को सहायता देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं तथा उसका करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) कच्चा पटसन आम तौर पर मिल द्वार पर नहीं बेचा जाता । अतः अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि एक विवरण (१) जिस में कलकत्ता मंडी के सितम्बर और अक्तूबर में कच्चे पटसन के सप्ताह के अन्त के मूल्य और नवम्बर, १९५३ के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ६३**]

(ख) एक और विवरण (२) जिस में सितम्बर और अक्तूबर १९५३ में कुछ चुने हुए केन्द्रों पर कृषकों द्वारा प्राप्त मिले जुले पटसन के औसत मूल्य बतलाए गये हैं, सद

पटल पर रखा जाता है । नवम्बर १९५३ के लिये यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चूंकि पटसन पैदा करने वाले राज्यों के सम्बंधित क्षेत्रों में पटसन के उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में पर्याप्त और ठीक ठीक जानकारी नहीं है, इस लिए निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि पिछले तीन मासों में कच्चे पटसन के लिए जो मूल्य दिये गये हैं, वे बचत के मूल्य हैं या नहीं । किन्तु सामान्य रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल्य बचत के नहीं हैं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एल० एन० मिश्र : विवरण से यह ज्ञात होता है कि उगाने वालों को जो मूल्य दिया गया है, वह १५-१२-० प्रतिमन है और मिलों को जो मूल्य दिया गया है, वह २५ रुपये प्रतिमन है । श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इतने अन्तर का क्या कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कहां पर १५-१२-० बतलाया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह औसत मूल्य है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह यहां नहीं दिया गया, माननीय सदस्य ने स्वयं हिसाब लगाया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि पटसन की पैदावार में मूल्य एक महत्वपूर्ण चीज है ? यदि हां, तो क्या सरकार का उगाने वालों को बचत के मूल्य देने का विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां । वर्ष के आरम्भ में, मन्दी फैली हुई थी । अतः पटसन के मूल्य का कोई प्रश्न नहीं था । पटसन का मूल्य बाहरी बातों, विदेशी मन्डियों में इस की मांग और पाकिस्तान में इस के संभरण आदि पर निर्भर है । हम ने यह सोचा था कि अपने पटसन की उत्तमता में सुधार करना अधिक अच्छा होगा । इसी लिये यह विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी । उस ने सरसरी तौर पर कहा था कि—यद्यपि यह चीज उस की निर्देश्य-शर्तों में सम्मिलित नहीं थी—पटसन की उत्तमता मूल्य पर भी निर्भर है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्या हैं, जिन्हें सरकार कार्यान्वित करना चाहती है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इस का उत्तर गत सप्ताह सदन में दिया गया था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विशेषज्ञ समिति की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य भी एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं जान सकती हूं कि क्या पटसन का आर्थिक मूल्य जानने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां । केन्द्रीय पटसन समिति इस विषय की जांच करती है ।

श्री गोपाल राव : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि पटसन के माल के निर्यात की संतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कच्चा पटसन उगाने वालों को उचित मूल्य देने के लिए तैयार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम उगाने वालों को सदा उचित मूल्य देना चाहते हैं ।

बहिः विभागीय कर्मचारी वृन्द की ओर से चुनाव लड़ना

***४१३. पंडित डी० एन० तिवारी** : **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने डाक विभाग के बहिः विभागीय कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों

के तथा अन्य चुनाव लड़ने के लिए अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथा (ख). मामला विचाराधीन है।

पंडित डी० एन० तिवारी : वे किस किसम के सरकारी कर्मचारी हैं। और उन पर क्या नियम लागू होते हैं ?

श्री राज बहादुर : वे सारे समय के सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उन पर वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील नियम, सहायक सेवा नियम या सरकारी कर्मचरी आचरण नियम लागू नहीं होते। यह मामला गृहकार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में है और मेरे विचार में यह प्रश्न उन से पूछना चाहिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस मामले पर कब तक विचार हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।

निलोर जिला यात्रीसंथा द्वारा अभ्यावेदन

*४१४. **श्री नानादास :** (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेलोर जिला रेलवे यात्री संथा के सचिव ने (१) काकीनाडा और बित्रगुन्टा के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या ३३ को गुदूर तक बढ़ाने के लिए और (२) गाड़ी संख्या २७ और २८ के समय बदलने के लिए कोई अभ्यावेदन किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री क सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) इन सुझावों पर उचित रूप से विचार किया गया था किन्तु इन्हें क्रियान्वित करने के योग्य नहीं पाया गया।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि गाड़ी संख्या ३३ को गुदूर तक बढ़ाने में क्या कठिनाई है ?

श्री शाहनवाज खां : मुख्य कठिनाई संचालन की है। अतः इसे बढ़ाना अत्यधिक कठिन है। वहां इंजनों को मोड़ने की सुविधाएं नहीं हैं।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि वहां के यातायात को ध्यान में रखते हुए, क्या गुदूर को गाड़ी संख्या ३३ के लिए अन्तिम स्टेशन बनाना उचित नहीं है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री श्री अलगेशन) : यह इस विभाग की जिसमें अब गाड़ियां चल रही हैं, सुविधा पर निर्भर है। समय इस वक्त सुविधा जनक है। किन्तु यदि इसे गुदूर तक बढ़ा दिया जाये, तो इस से अन्य विभागों को असुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय : हमें विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

ताड़ गुड़ उद्योग

*४१५. **श्री नानादास :** खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ताड़ गुड़ उद्योग को क्या सुविधाएं देती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ६४]

श्री नानादास : विवरण में बतलाया गया है कि भारत सरकार राज्य सरकारों की ताड़ गुड़ सम्बन्धी योजनाओं का ५० प्रतिशत व्यय पूरा करती है, मैं जान सकता हूं कि

यह ५० प्रतिशत व्यय किस तरह किया जाता है और किस अभिकरण द्वारा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : राज्य सरकारों से कहा जाता है कि वे ताड़गुड़ को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध अपनी योजना प्रस्तुत करें। इन सब योजनाओं पर विचार करके एक प्राक्कलित योजना मंजूर की जाती है। इस पर ५० प्रतिशत खर्च भारत सरकार करती है और ५० प्रतिशत राज्य सरकारें।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इस देश में और आयात करने वाले देशों में भी ताड़गुड़ की पोषक शक्ति का प्रचार करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारी एक पत्रिका 'गुड़ खबर' प्रकाशित होती है और इसकी पोषक शक्ति का प्रचार करने के लिए हम प्रति मास लेख लिखते हैं।

श्री तिम्मय्या : क्या ताड़गुड़ उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देती है या देगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, हम ने दी है। आंकड़े ये हैं :—

१९४६ में	५२,०००	रुपये
१९४९-५०	३,४४,०००	रुपये
१९५०-५१	५,५२,०००	रुपये
१९५१-५२	४१,४३,०००	रुपये
१९५२-५३	५,३०,०००	रुपये

यह रुपया विभिन्न राज्यों को ताड़-गुड़ उद्योग के विकास के लिए दिया गया था।

श्री नानादास : मैं यह जानना चाहता था कि आयात करने वाले देशों में ताड़गुड़ की पोषक शक्ति का प्रचार कैसे किया जाता है, क्योंकि हम ताड़गुड़ अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे विचार में ताड़गुड़ खबर का सम्पादक विदेशों से भी लेख मंगवाता होता होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम ताड़गुड़ निर्यात करते भी हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान् मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

डाक तार विभाग में क्लर्कों की भर्ती

*४१८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **संवरण** मंत्री १० सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित संख्या ११९८ के उत्तर और उसके सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या सरकार ने डाक तार विभाग में क्लर्कों की नियुक्ति के लिये भर्ती की परीक्षा को बन्द करने के आदेश जारी कर दिये हैं ?

(ख) यदि हां तो भविष्य में इन नियुक्तियों के लिये किस तरह चुनाव किया जायेगा ?

संवरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक सर्कल में उम्मेदवारों का चुनाव एक बोर्ड द्वारा उम्मेदवार के मैट्रिक या परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जायेगा। उच्च योग्यता वाले उम्मेदवारों को कुछ अधिक अंक दिये जायेंगे।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस परिपत्र को कब जारी किया गया था तथा क्या उसे राज्य सरकारों को भेजा गया था ?

श्री राज बहादुर : यह परिपत्र राज्य सरकारों को नहीं भेजा गया था; इसे २० सितम्बर, १९५३ को डाक के सर्कलों के प्रमुख अधिकारियों को भेजा गया था।

श्री तिम्मय्या : श्रीमान्, क्या डाक तथा तार विभाग ने अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के सम्बन्ध में नियुक्तियों के रक्षण सम्बन्धी गृह-कार्य मंत्रालय के आदेश का पूरा पालन किया है ?

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है कि हम ऐसा नहीं कर सके।

श्री केलप्पन : श्रीमान्, क्या अपर डिवीजन में नियुक्तियां सीधी बाहर से की जाती हैं ?

श्री राज बहादुर : हां, श्रीमान्, अपर डिवीजन के पदों पर सीधे बाहर से भी नियुक्तियां की जाती हैं ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को जो पहले से क्लर्क का काम कर रहे हैं, क्लर्क रहने दिया जायेगा या उन्हें अपने पूर्व पदों पर भेज दिया जायगा ?

श्री राज बहादुर : यह एक पृथक प्रश्न है तथा इस सम्बन्ध में नियम विद्यमान हैं ।

काबुल को वैमानिक मार्ग

***४१९. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी अधिकारी वर्ग को हाल में काबुल को सीधी उड़ान सम्बन्धी नवीनतम स्थिति की जांच के लिये काबुल भेजा गया था ?

(ख) इस प्रयोजन से भेजे गये अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मैं सदन पटल पर अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : श्रीमान्, क्या काबुल को एक छोटे मार्ग की खोज में अधिकारियों के प्रयत्न सफल हो गये हैं ? यदि ऐसा है, तो भारत तथा काबुल में कितना अन्तर रह जायगा ?

श्री राज बहादुर : वे बहुत समय पहले सफल हो चुके हैं तथा विमान सेवा पहले से चल रही है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : इस समय वैमानिक अन्तर कितना है ?

श्री राज बहादुर : यह काफ़ी कम हो गया है, परन्तु इस समय मैं ठीक ठीक अन्तर नहीं बतला सकता ।

स्वर्ण-खान कर्मचारी

***४२०. श्री तिम्मय्या** : (क) **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम को सोने की खानों पर लागू नहीं किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार कोयले की खानों के समान उनमें भलाई के उपाय करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम अधिक परिश्रम करने वाले तथा असंगठित मज़दूरों पर लागू होता है । क्योंकि सोने की खानों के मज़दूरों को इस कठिनाई का सामना नहीं, इन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(ख) इस प्रश्न पर हाल में विचार हुआ था । सोना-खान मालिकों द्वारा स्वेच्छा से किये गये भलाई के उपायों की दृष्टि से, किसी प्रशुल्क द्वारा वित्तीय व्यवस्था से भलाई की परिनियत योजना के आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं समझी गई, विशेषतः इस लिये कि मज़दूरों की संख्या केवल २४,००० है ।

श्री तिम्मय्या : आय व्ययक सत्र में मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन के दृष्टिगोचर अर्थात् कि मंत्री महोदय कोलार सोना क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लागू करने के प्रश्न की जांच करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने प्रश्न की जांच करली है तथा यदि ऐसा है तो परिणाम क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : हमें पता लगा है कि इसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार को यह तथ्य ज्ञात है कि कोलार सोना क्षेत्र में काम कर रहे क्लर्कों को केन्द्रीय सरकार के श्रेणी चार के कर्मचारियों जितने वेतन मिलते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इस सूचना को ग्रहण करता हूं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं, कोलार सोना क्षेत्र के प्रबन्धकों ने भलाई के क्या क्या उपाय किये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : श्रम जांच समिति की जांच के अनुसार मालिकों ने चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी है।

श्री नानादास : क्या कोलार सोना खानों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने के में कारण जान सकता हूं ?

श्री वी० वी० गिरि : वहां प्रबल व्यापार संघ है जो मालिकों से समझौते की बातचीत करेंगे तथा उस परिस्थिति में कर्मचारियों को अधिक मजूरी के मिलने की अधिक संभावना हो जायेगी।

विमान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण

*४२२. **श्री भागवत झा** : (क) संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विमान सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का विभिन्न लाइनों पर यात्रियों तथा वस्तुओं के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ख) अगस्त की तुलना पर राष्ट्रीयकरण के तुरन्त पश्चात् जुलाई के आंकड़े क्या हैं ?

(ग) क्या किसी लाइन पर यात्री तथा वस्तुओं के परवहन में कमी हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वायु-यातायात पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) ऋतु सम्बन्धी विभिन्नताओं के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय विभिन्नतायें नहीं हुई हैं।

(ग) लाइन ४ पर (भूतपूर्व एम० एस० इन्डियन नेशनल ऐयरवेज़ लिमिटेड) जुलाई के आंकड़ों की तुलना में यात्री यातायात में कुछ कमी हुई थी।

श्री भागवत झा : ऐयर सर्विसेज़ के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप पिछले तीन महीनों में माल तथा यात्रियों की ट्रैफिक पर क्या असर पड़ा है ?

श्री राज बहादुर : अभी जवाब दिया है कि इतने थोड़े अर्से में इस बारे में कोई खास फ़ीगर्स वर्क आउट करना या आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

श्री भागवत झा : मंत्री महोदय ने पार्ट सी० के जवाब में कहा कि पैसेंजर ट्रैफिक में पिछले तीन महीनों में अवनति हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि इस डिक्लाइन का कारण क्या है ?

श्री राज बहादुर : पैसेंजर ट्रैफिक में गिराव आने का कारण सीजनल वैरिएशन्स है यानी मौसम के मुताबिक पैसेंजर ट्रैफिक के चलने में परिवर्तन हो जाता है ।

सेठ गोविंद दास : राष्ट्रीयकरण से पहले जो इन भिन्न २ कम्पनियों में माहवारी खर्च था, उसमें अब कमी हो गई है या और ज्यादती हो गई है ?

श्री राज बहादुर : यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

लड़की जिसे कभी भूक नहीं लगती

*४२३. **श्री भागवत झा :** (क) स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने कुर्ग की उस लड़की की डाक्टरी जांच कराने का फैसला किया है जिसे कभी भूक नहीं लगती ?

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी राशि की मंजूरी की गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) १२०० रु० ।

श्री भागवत झा : मैं जान सकता हूं कि इस जांच से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें मैसूर के डाक्टरी सेवाओं के संचालक महोदय से अभी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वह लड़की एक सामान्य व्यक्ति है तथा और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भागवत झा : मंत्री महोदया ने जो कुछ कहा है, ग़लत है । मैं इसे प्रमाणित करना चाहता . . . .

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । अगला प्रश्न ।

जवार

*४२५. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास सरकार के कृषि विभाग ने एक ऐसी किस्म की जवार का पता लगाया है जो सूखे में भी उपज सकती है और जिसकी प्रति एकड़ उपज अन्य सभी प्रकार की जवारों से अधिक होती है ?

(ख) क्या इस किस्म की जवार पूर्वी पंजाब और राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । जवार की एक नई किस्म एम ४७—३ निकाली गई है ।

(ख) जी नहीं, यह किस्म पंजाब तथा राजस्थान के सूखे क्षेत्रों के उपयुक्त नहीं होगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से जापानी ढंग से खेती करने का एक्सपेरीमेंट सरकार की तरफ से हुआ था, उसी तरह का एक्सपेरीमेंट यू० पी० के ईस्टर्न पार्टस् में भी किया जायगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह जापान के कल्टीवेशन के ढंग पर नहीं है, बल्कि यह न्यू वैराइटी का है ।

श्री रघुनाथ सिंह : जिस तरह से जापानी एक्सपेरीमेंट सरकार की तरफ से हुआ था, उसी तरह का क्या कोई एक्सपेरीमेंट ईस्टर्न यू० पी० में आपकी तरफ से किया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अभी तक नहीं किया गया है, अब हर जगह देश भर में किया जायगा ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : उसको हर जगह ज्यों २ मौका मिलता

जायेगा, देश में किया जायेगा और खाली धान और चावल का नहीं बल्कि और चीज़ों का भी किया जायेगा, उससे गेहूं वगैरह को भी फ़ायदा मिलता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह सही है कि इस तरह से पहले वाले तरीके से अधिक पैदा किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

क्लर्कों द्वारा अनशन

*४२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पूर्वी रेल के स्टोर डिपो के लगभग ४०० क्लर्कों ने अक्तूबर, १९५३ को अनशन आरम्भ कर दिया और रेलवे द्वारा विहित प्रतिशतता पर क्लर्कों के स्तरों में बढ़ती की मांग की ?

(ख) यदि ऐसा है इस विषय में क्या पग उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). उनकी शिकायतों को क्लर्कों के स्तरों में अनुदर्शी प्रभाव से बढ़ती द्वारा दूर करने के आदेश जारी किये गये हैं । अतएव अनशन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ सिंह : हंगर स्ट्राइक की जो सूचना अखबारों में शाया हुई थी, तो उसके पहले हंगर स्ट्राइक करने वालों ने कोई सूचना सरकार को दी थी और उनकी मांगें क्या थीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी नहीं कोई सूचना नहीं दी थी और न उसने कोई हंगर स्ट्राइक की शक्ल ही अख्तियार की थी ।

रेलों का बिजलीकरण

*४२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन रेलों के बिजलीकरण के लिये १९५३ में योजना बनाई गई है ;

(ख) योजना का अनुमानित व्यय क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पूर्वी रेलवे के कलकत्ता नागरिक विभाग तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा दक्षिण रेलवे के कुछ विभागों के बिजलीकरण का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) विभिन्न योजनाओं की लागतों को अभी नहीं निकाला गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : बिजलीकरण की योजना में कितने इलेक्ट्रिक इंजनों की आवश्यकता होगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह तो अभी सारी जांच हो रही है, जब स्कीम का फैसला हो जाय तब हम समझ सकेंगे कि कितने रौलिंग स्टाक्स की जरूरत है ।

श्री यूनुस : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भाषणों तथा समाचार पत्रों के द्वारा इस चीज़ की बराबर मांग की जाती रही है कि क्विलोन-एरणाकुलम रेलवे का, जो इस समय बनाई जा रही है, विद्युतीकरण होना चाहिये ? क्या सरकार यह जानती है कि इस सम्बन्ध में सदन में पहले वचन दिया जा चुका है ?

श्री अलगेशन : यह दक्षिण रेलवे का एक खंड है जिसके विद्युतीकरण के बारे में हम विचार कर रहे हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हावड़ा और मुगल

सराय के बीच की रेलवे लाइन बहुत महत्व-पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से गुजरती है क्या सरकार यहां बिजली की रेल चलाने का विचार करती है ?

श्री अलगेशन : पूर्वी रेलवे के इस खंड में तथा अन्य खंडों में भी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रेगिस्तानी क्षेत्र

***४२८. श्री विश्वनाथ राय** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को बढ़ते हुए रेगिस्तानी क्षेत्रों को रोकने के लिये कोई अनुदान दे रही है ; तथा

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरू किया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अब तक इस तरह के अनुदान के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं आये हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

श्री विश्वनाथ राय : मैं जान सकता हूं कि क्या यू० पी० में इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यू० पी० में तो कोई प्रयत्न किया गया मालूम नहीं होता परन्तु पैप्सू, अजमेर, सौराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब राज्य बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिये कुछ प्रयत्न कर रहे हैं । हमारी भी कुछ योजनायें हैं जिन्हें हम क्रियान्वित करना चाहते हैं और हमने राजस्थान के रेगिस्तान के पास की विभिन्न सरकारों से योजनायें मांगी हैं । ये सरकारें जल्दी ही अपनी योजनायें देने वाली हैं जिन पर हम विचार करेंगे ।

कोयला खानें

***४२९. श्री पी० सी० बोस** : **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले वर्षाकाल में कोयला खानों में डूबने की कई दुर्घटनायें हुई थीं जिनमें बहुत से व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) क्या सरकार इस तरह की दुर्घट-नाओं को फिर से न होने देने के लिये कोई सु-रक्षात्मक क़दम उठाना सोचती है ; तथा

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) भारी बाढ़ के कारण खानों में पानी भर जाने से ५ अगस्त व २४ अगस्त, १९५३ को दो दुर्घटनायें हुई थीं । पहली दुर्घटना में ११ व्यक्ति और दूसरी में छः व्यक्ति डूब गये थे । २८ जुलाई १९५३ को भी डूबने की एक दुर्घटना हुई थी जिसमें तीन व्यक्ति मारे गये थे परन्तु यह दुर्घटना वर्षा के कारण बाढ़ का पानी आ जाने से नहीं हुई थी ।

(ख) तथा (ग) . एक विवरण जिसमें यह दिखाया गया है कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं और क्या उठाये जाने वाले हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]**

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार को पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों के अनुसार दुर्घटनाओं से सम्बन्धित पर्चे और तस्वीर वाले इश्तहार कोयला खानों में नहीं चिपकाये जा रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे यह सूचना माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है जिसे मैं खानों के मुख्य निरीक्षक के पास पहुंचा दूंगा ।

उत्तर गुजरात में नल कूप

*४३०. **डा० अमीन** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य को उत्तर गुजरात में ४०० नल कूपों के बनाने के लिये किन शर्तों पर ऋण दिया गया है ?

(ख) बम्बई सरकार ने इस ऋण में से कितना रुपया लौटा दिया है ?

(ग) इस ऋण पर बम्बई राज्य से किस दर पर ब्याज लिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री : (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ब्याज सहित मूलधन बराबर की १५ वार्षिक किस्तों में चुकाया जाये और पहली किस्त १९५२-५३ से शुरू हो ।

(ख) २,०३,५०४ रुपये और १·५ लाख रुपये ब्याज ।

(ग) ३ ३/४ प्रतिशत ।

डा० आमीन : केन्द्र द्वारा दिये गये ऋण में से बम्बई सरकार ने नेशनल ट्यूबवैल कम्पनी को कितना रुपया दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने बम्बई सरकार को ४० लाख रुपये उधार दिये हैं और हमारे आंकड़ों के अनुसार उसने इस कम्पनी को लगभग ११ लाख रुपये दिये हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार जानती है कि यह कम्पनी . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पाकिस्तान-अमरीका सैनिक गठबंधन (बातचीत)

श्री एल० एन० मिश्र : प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित सैनिक गठबन्धन के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस से भारत में उत्पन्न संदेहों और चिन्ता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाना सोचती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). जी हां । सरकार ने अमरीकी राष्ट्रपति का पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य देखा है जिसमें कहा गया है कि उस समय सैनिक सहायता और अड्डों के प्रश्न पर विस्तार से बातचीत नहीं की गई थी जब वे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल से अभी हाल में मिले थे । यह वक्तव्य बताता है कि इस विषय में बातचीत तो हुई थी परन्तु विस्तार पूर्वक नहीं । इस सम्बन्ध में अमरीका और पाकिस्तान के कुछ जिम्मेदार लोगों ने भी वक्तव्य दिये हैं । अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान से सैनिक सहायता देने के या वहां अमरीकी अड्डे कायम करने के समझौतों के बारे में इस समय कोई बातचीत नहीं कर रहा है, परन्तु उन्होंने यह बताया कि यह हो सकता है कि अमरीका भविष्य में पाकिस्तान से सैनिक समझौता करे । पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने कहा है कि ये खबरें "बिल्कुल ग़लत" हैं कि पाकिस्तान अमरीका को अपने यहां अड्डे दे कर सैनिक सहायता लेने की बातचीत कर रहा है ।

अमरीका के कुछ प्रभावशाली और उत्तरदायी पत्रों और पत्रिकाओं ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने तथा पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विशेष रूप से और अधिकृत रूप से लिखा है ।

ये विभिन्न वक्तव्य कुछ परस्पर विरोधी हैं । इन से पता चलता है कि यह मामला कुछ समय से पाकिस्तान और अमरीका की

सरकारों के विचाराधीन है, यद्यपि कोई निर्णय नहीं किया है ।

भारत सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उसे इन सब बातों से काफ़ी चिन्ता है। हम इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेंगे, यह इस पर निर्भर करता है कि आगे चल कर क्या घटनायें होती हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि गत सितम्बर में इज़मीर में, जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की दक्षिण पूर्वी यूरोपीय शाखा का प्रधान केन्द्र है, यूनानी, तुर्की और अमरीकी अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पाकिस्तान के प्रधान सेनापति और रक्षा सचिव मौजूद थे और उसी सम्मेलन में इस सैनिक गठ-बन्धन की प्रारंभिक योजना तैयार की गई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से सीधी बातचीत करना चाहती है क्योंकि प्रस्तावित समझौते का असर भारत और पाकिस्तान के पड़ौसियों के से अच्छे सम्बन्धों पर पड़ेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बता चका हूं कि सरकार आगे घटनायें होने पर जो क़दम उठाना आवश्यक समझेगी, उठायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या भारत सरकार का ध्यान अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य श्री इमैन्युअल सैलर के कराची में दिये गये वक्तव्य की ओर गया, है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीका की पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में सैनिक सहायता भी शामिल हो सकती है ? यह वक्तव्य प्रधान मंत्री के वक्तव्य से कैसे संगति रखता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने यह वक्तव्य नहीं देखा । मुझ से अपने वक्तव्य को दूसरे लोगों के वक्तव्यों से संगत रखने के लिये कैसे कहा जा सकता है !

श्री सैय्यद अहमद : क्या प्रधान मंत्री और श्री निक्सन के बीच होने वाली बातचीत में इस प्रश्न को उठाया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अमरीकी उप-राष्ट्रपति श्री निक्सन किसी विषय में भारत से औपचारिक बातचीत करने के लिये नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे हमसे किन विषयों पर बात करेंगे । इसके बारे में कोई कार्य-क्रम स्थिर नहीं है, इसलिये ठीक ठीक नहीं कह सकता कि वे हमसे क्या बातचीत करेंगे ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान आज के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित न्यूयार्क से पी० टी० आई० द्वारा भेजी गई २९ नवम्बर की इस खबर की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने इस समझौते के सम्बन्ध में अपना निर्णय इसलिये स्थगित कर दिया है कि भारत सिन्धु नदी के पानी के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच वाशिंगटन में हो रही बातचीत को खत्म कर देने की "धमकी" दे देगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने यह खबर खुद नहीं देखी है । इस तरह की खबरों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान वाशिंगटन से आई १६ नवम्बर की एक खबर की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि "वाशिंगटन के अधिकृत सूत्रों का कहना है कि यदि अमरीका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निर्णय करेगा तो वह भारत को पहले सूचना दे देगा ।" यदि ऐसा है तो क्या सरकार को

अमरीकी सूत्रों से इस बातचीत की कोई सरकारी सूचना मिली है या उसे यह जानकारी वाशिंगटन तथा कराची स्थित हमारे दूतावासों से प्राप्त हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट खबर मैंने समाचार पत्रों में देखी है । वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत ने वहां जो बातचीत की थी उसकी रिपोर्ट मैंने देखी है । इस सम्बन्ध में हमारे विभिन्न राजदूतों द्वारा की गई बातचीत की रिपोर्टें हमें मिलती रहती हैं । इनके बारे में विस्तार से बताना मेरे लिये कठिन है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार को कराची स्थित अपने दूतावास से कोई रिपोर्ट मिली है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, रिपोर्टें हमारे पास आई हैं; परन्तु मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या निर्देश कर रहे हैं । कभी कभी हमारे पास रोज रिपोर्टें आती हैं ।

श्री वी०जी० देशपांडे : क्या इसको देखते हुए भारत सरकार अपनी तटस्थता की नीति को बदलने का विचार करती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत सरकार का विचार है कि इन घटनाओं से उनकी तटस्थता की नीति का पुष्टिकरण हुआ है और वह दृढ़ बनी है ।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य सरकार को कोई ऐसा औपचारिक पत्र भेजा है जिसमें उन शंकाओं का उल्लेख किया गया है जो प्रधान मंत्री ने इस मास की १५ तारीख को समाचार पत्र सम्वाददाताओं के सम्मेलन में प्रकट की थीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं पूर्ण रूप से यह नहीं जानता हूं कि माननीय सदस्य का औपचारिक पत्र से क्या अभिप्राय है । परन्तु, इस शब्द को औद्योगिक अर्थों में प्रयोग करते हुए, हमने कोई औपचारिक पत्र नहीं भेजा है । परन्तु अनौपचारिक रूप में, हम विभिन्न सरकारों के सम्पर्क में रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान किस विशेष शत्रु के विरुद्ध संयुक्त राज्य से सेना सहायता मांग रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में चिड़िया घर

*३८५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पुराना किला के समीप चिड़िया घर (वाइल्ड लाइफ पार्क) बनाने की योजना निश्चित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना को मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; तथा

(ग) योजना का अनुमानित आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अभी नहीं ।

(ख) योजनाओं की मुख्य विशेषतायें जो विचाराधीन हैं, निम्न हैं :—

(१) बढ़ते हुए दिल्ली नगर के वासियों को विशेष सुविधायें देना,

(२) क्योंकि चिड़िया घर का विकास लंदन के समीप व्हिप्सनेड पार्क के आधार पर होना है, विशेष विशेषता यह होगी कि पशुओं की अपेक्षा आने वाले, पिजड़ों में प्रतीत होंगे ।

(ग) कुल अनुमानित आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय लगभग १० लाख रु० होगा और यह पांच वर्षों में किया जायेगा ।

महा प्रबन्धकों का सम्मेलन

***३८६. श्री एस० एन० दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारी रेलों के महाप्रबन्धकों के हाल में हुए सम्मेलन में किन किन विषयों पर वाद विवाद तथा विचार किया गया था ; तथा

(ख) क्या कोई निश्चय हुए थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). पिछले सितम्बर में हुए महा प्रबन्धकों के सम्मेलन में बहुत से विषयों पर वाद विवाद हुआ था । इनमें आवागमन की प्रवृत्तियां तथा आय में वृद्धि करने की कार्यवाहियां, कर्मचारी वर्ग की समस्यायें, खादी के बढ़े प्रयोग, रेलों की भावी आवश्यकताओं के आयोजन तथा पुनः वर्गीकरण में कुछ पहलुओं सम्बन्धी प्रश्न सम्मिलित थे । इसके अतिरिक्त कुछ निश्चय भी हुए थे ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र यातायात बोर्ड

***३८७. श्री एस० एन० दास** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में अब तक गंगा-ब्रह्मपुत्र यातायात बोर्ड ने किस प्रकार का कार्य किया है ;

(ख) इसका वर्तमान तथा भावी कार्य-क्रम क्या है ; तथा

(ग) क्या कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). गंगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात बोर्ड की स्थापना इसलिये की गई है कि वह गंगा-ब्रह्म तथा उनकी सहायक नदियों में नौवहिन सम्बन्धी कार्य-वाहियों को मिलाये । बोर्ड के तत्कालीन कार्यक्रम के मुख्य मद, उच्च गंगा तथा घाघरा में, चपटी छोटी नौकाओं तथा अगनबोटों से नौवहिन करने की आरम्भिक परियोजना को कार्यान्वित करना है । इसकी पिछली बैठक में जो २६ अक्तूबर, १९५३ को हुई थी, बोर्ड ने परियोजना आरम्भ करने के लिये आवश्यक कुछ आरम्भिक प्रबन्धों को स्वीकार किया था ।

पौतिकों का झगड़ा

***४०८. श्री एन० श्री कान्तन नायर** : **यातायात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में, कि पौतिकों का झगड़ा औद्योगिक झगड़ा अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आयेगा या नहीं, कोई निश्चिय किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मामले पर विचार किया जा रहा है ।

गोदावरी नदी पर रेल का पुल

***४११. श्री माधव रेड्डी** : रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य में गोदावरी नदी पर रेल के पुल के सहारे बिजली के तारों को रामगुचाम से मानचैरियल नगर को, जो नदी के दूसरे तट पर है, ले जाने के लिये आज़माबाद तापीय विद्युत योजना अधिकारियों ने जो अनुमति मांगी थी, उसका क्या हुआ ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : मध्य रेल ने शर्तों तथा आवश्यक अनुमति का एक ज्ञापन विद्युत योजना अधिकारियों को भेज दिया था । अब वे नदी के आर पार एक पारेषण लाइन बनाने की सम्भावना पर

विचार कर रहे हैं। अतः उन्होंने रेल की शर्तों पर विचार करना स्थगित कर दिया है।

रेल कर्मचारियों को डाक्टरी सहायता

*४१६. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारियों को चिकित्सा के लिये लम्बी अवैतनिक छुट्टी दी जा रही है ;

(ख) यदि रेल तथा सरकारी अस्पताल में स्थान न मिले तो क्या उन्हें चिकित्सा व्यय उठाने के लिये कोई धन दिया जाता है ; तथा

(ग) क्या क्षय रोग अस्पताल में रेल-कर्मचारियों के लिये पूर्ण रूप से एक बोर्ड की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उन्हें अवैतनिक छुट्टी केवल उस समय दी जाती है जब वे अपनी सारी सवैतनिक छुट्टी समाप्त कर लेते

(ख) नहीं।

(ग) हां।

रेल कर्मचारियों में क्षय रोग के रोगी

*४१७. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रत्येक रेल पर रेल कर्मचारियों को क्षय रोग के कारण डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया है अथवा बिना वेतन के लम्बी छुट्टी दी गई है ; तथा

(ख) रेल कर्मचारियों में तथा उनके परिवारों में क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८**]

केन्द्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र, कटक

*४२१. **श्री बुच्चिकोटैया** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कटक स्थित केन्द्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र में चावल की खेती करने को भिन्न भिन्न वैज्ञानिक ढंगों के क्रियात्मक अनुदेश देने के लिये सरकार ने एक योजना स्वीकार की है ?

(ख) यदि हां, तो इन प्रशिक्षाओं के परिणाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां।

(ख) अभी प्रशिक्षा का प्रथम प्रयोगात्मक पाठ्य क्रम चल रहा है।

डैकयात्री कल्याण समितियां

*४२४. **चौधरी रघुवीर सिंह** : (क) **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई डैकयात्री कल्याण समितियां बनाई हैं ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन इसके सदस्य हैं ?

(ग) क्या समितियां कार्य कर रही हैं और यदि हां तो क्या उन्होंने कोई सिफारिश की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). समितियां अभी स्थापित नहीं हुई हैं। उन्हें बनाने तथा सदस्यता की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और समितियों के सचिवों की भर्ती करने का काम हाथ में है।

नल कूपों के लिये तांबे के तार का ठका

*४३१. **डा० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २००० नल कूप योजना के लिये आवश्यक तांबे के तार देने का ठेका किस फर्म को दिया गया था ;

(ख) इसका प्रति पौं० मूल्य क्या था और यह कितनी मात्रा के लिये दिया गया था ; तथा

(ग) संसार बाजार में उस समय तांबे के तार का न्यूनतम मूल्य क्या था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) २००० नल कूप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने किसी फर्म को कोई ठेका नहीं दिया है । उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा पेप्सू की सरकारों ने अपनी तांबे की तारों की आवश्यकताओं के लिये बम्बई के मैसर्स कमानी इंजीनियरिंग कारपुरेशन लि०, तथा कलकत्ता के मैसर्स नेशनल स्क्रूय एण्ड वायर प्रोडक्ट्स लि० को आर्डर दिये हैं ।

(ख) चार राज्य सरकारों ने २ रु० ७ आना ३ पाई प्रति पौं० की दर से जिसमें जयपुर तक रेल आदि का व्यय भी सम्मिलित है, ७३० पौं० ठोस तांबे के तारों के लिये कमानी इंजिनियरिंग कारपुरेशन लि० को, और ६६६ पौं० बटे हुए तांबे के तारों के लिये २ रु० ५ आ० ५ पा० प्रति पौं० की दर से, जिसमें वेलूर तक रेल आदि का व्यय सम्मिलित है, मैसर्स नेशनल स्क्रूय एण्ड वायर प्रोडक्टस लि० को आर्डर दिया है ।

(ग) ठोस तांबे के तारों के लिये विश्व टैन्डरों के विरुद्ध दो भारतीय फर्मों से २ रु० ५ आ० ६ पाई प्रति पौं० का न्यूनतम टैन्डर प्राप्त हुआ था परन्तु ये तांबे के तारों के स्वीकृत निर्माणकर्ता नहीं थे। विदेशी फर्मों के मूल्य उन मूल्यों की अपेक्षा कहीं अधिक थे जो राज्य सरकारों ने उपरोक्त कथित फर्मों को दिये हैं ।

रेलवे कुलियों को आवश्यकतानुसार नोकर रखने को प्रथा का हटाना

*४३२. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि पूर्व रेलवे के बर्दवान जंकशन पर लाइसेंस प्राप्त कुलियों को आवश्यकतानुसार नौकर रखने की प्रथा के हटाने से उन्हें रेलवे को उस से कहीं अधिक लाइसेंस फीस देनी पड़ती है जितनी कि पहले वे ठेकेदारों को देते थे ?

(ख) क्या सरकार इस प्रथा को समाप्त करने की योजनाएं अन्य स्थानों पर भी लागू करना चाहती है ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार ऐसा करने का कारण बताएगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कारण ये हैं :

(क) (१) "न लाभ, न हानि" के आधार पर पर्यवेक्षण संस्था का खर्च पूरा करना और (२) मुफ्त डाक्टरी सहायता और पेटियों के बकलस और बिल्ले देने की कुछ और सुविधाएं देना ।

(ख) इस योजना के लागू होने से सभी जगह एक ही जैसी व्यवस्था हो जायगी । यह लाइसेंस प्राप्त कुलियों के हितमें है और इस से यात्रा करने वालों को भी सुविधा होगी ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

*४३३. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि मुख्य श्रम आयुक्त की संस्थाओं ने भारतीय रेलों द्वारा प्रत्यक्षतः और अपने ठेकेदारों की मार्फत जुलाई, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में "अनुसूचित नौकरियों" में रखे गए मजदूरों के सम्बन्ध में, उन्हें न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन साप्ताहिक छुट्टियों के लिए कम मजूरी देने या मजूरी न देने की किस्म के कितने उल्लङ्घनों का पता लगाया है ?

(ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम की धारा २२ के अधीन अब तक कितने मुकदमे चलाए गए हैं और उन का क्या परिणाम हुआ है ?

(ग) सरकार को अब तक जो अनुभव हुआ है उस के आधार पर इस अधिनियम के उपबन्धों को और कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) मुख्य श्रम आयुक्त ने विभागीय संस्थापनों में और ठेकेदारों के संस्थापनों में कम मजूरी दिए जाने के क्रमानुसार ९ और ९२ मामलों का पता लगाया है । साप्ताहिक छुट्टियों के लिए मजूरी न दिए जाने के मामले विभागीय संस्थापनों में २१ और ठेकेदारों के संस्थापनों में ५३ हुए ।

(ख) एक । यह मुकद्दमा वापिस ले लिया गया और सम्बद्ध पक्षों की इच्छा पर न्यायालय से बाहर इस पर राजीनामा कर लिया गया ।

(ग) निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों-को निदेश दिया गया है कि इस मामले पर विशेष ध्यान दें । भारत सरकार ने उन सारे विभागों से जो औद्योगिक मजदूरों को नौकर रखते हैं, कहा गया है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारियों से पूरा पूरा सहयोग करें और इस बात का ध्यान रखें कि विभागीय तथा ठेकेदारों के संस्थापनों के सम्बन्ध में इस अधिनियम तथा नियमों को समुचित रूप से लागू किया जाय ।

राजस्थान में डाक और तार घर

***४३४. श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **संचरण** मंत्री १४ नवम्बर १९५२ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में राजस्थान में कितने डाक तथा तार घर खोले गए; और

(ख) राजस्थान में १९५३-५४ में कितने नए डाक व तार घर खोले जाने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) डाक घर	गांवों में	४८
	नगरों में	३
तार घर		६

(ख) १९५३-५४ में ३३० डाक घर और ९ तार घर खोले जाने का लक्ष्य है ।

रेलवे स्टेशनों पर नाम के तख्ते

***४३५. श्री आर० एन० एस० देव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर नाम के तख्तों पर लिखी जाने वाली भाषाओं के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) पूर्व रेलवे पर बिहार के सिंहभूम जिले में विशेषकर सरायकेला तथा खरसवान की भूतपूर्व रियासतों में कुछ स्टेशनों पर नाम के तख्तों पर से उड़िया भाषा के हटाए जाने के क्या कराण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत सरकार की नीति यह है कि स्टेशनों पर नाम के बोर्डों पर उन के नाम

(१) देवनागरी लिपि में हिन्दी में;

(२) अंग्रेजी में ; और

(३) प्रादेशिक भाषा में
लिखे जायं ।

विशेष परिस्थितियों में, रेल प्रयोक्ता परामर्शदातृ समिति के परामर्श से एक और भाषा में भी नाम लिखा जा सकता है ।

(ख) सिंहभूम जिले में स्टेशनों के नाम उड़िया लिपि में लिखना, भूतपूर्व बंगाल नागपुर रेलवे की स्थानीय परामर्शदातृ समिति की सिफारिश के अनुसार बन्द कर दिया गया था ।

अग्रतल्ला में अशुद्ध जल

*४३६. **श्री बीरेन दत्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या अग्रतल्ला नगर में जिन नलकुओं के पानी के अशुद्ध होने का सन्देह है, उन के पानी का परीक्षण किया गया है, यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ;

(ख) अग्रतल्ला में बहुत से नागरिकों को अंतड़ियों के रोग होने का क्या कारण है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई पूर्वोपाय किया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी, हां । रासायनिक दृष्टिकोण से इस में लौहिक तत्व अधिक होने के अतिरिक्त कोई दोष नहीं है । पानी में कोली-काउंट अधिक होने से ही कीटाणुओं की दृष्टि से पानी खराब नहीं हो जाता । परन्तु कीटाणुओं के सम्बन्ध में इसका और परीक्षण किया जायगा ।

(ख) पानी अशुद्ध होने के अतिरिक्त इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे अशुद्ध खाद्य, और पौष्टिक तत्वों की कमी या कम खाना ।

(ग) यह तो स्पष्ट ही है कि जहां तक खाद्य तथा पौष्टिक तत्वों का सम्बन्ध है, पूर्वोपाय होने चाहिएं । जहां तक पानी के दोषपूर्ण होने से रोग फैलने का भय है—यदि मूल कारण यही है—तो इसको छना हुआ पानी देकर ही दूर किया जा सकता है ।

रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर

*४३७. **श्री भीखाभाई :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के भवन के लिए कोई स्थान चुना गया है ?

(ख) इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल खोलने की योजना अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इस कार्य को अगले साल प्रारम्भ करने की चेष्टा की जायगी ।

स्टीमरों के भाड़े की दरें

*४३८. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम तथा कलकत्ते के बीच स्टीमर चलाने वाले कम्पनियों द्वारा बहुत अधिक भाड़ा तथा किराया लिए जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को अभ्यावेदन किए गए हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां तो क्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

रौरिआह का हवाई अड्डा

*४३९. **श्री सर्मा** : (क) क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जोरहाट (आसाम) में रौरिआह के हवाई अड्डे को नियमित हवाई सर्विसें बराबर जाती रही हैं और क्या ये अब भी जारी हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि यह हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना को दे दिया गया है ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय वायुसेना के कर्मचारी वायुयान से आने जाने वाले असैनिक यात्रियों के लिए असुविधा पैदा करते हैं ?

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार उक्त हवाई अड्डे पर नागरिक यात्रियों के लिए क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट मिली है ।

(घ) इस मामले की जांच करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । इसी बीच यह निदेश दिया गया है कि यह हवाई अड्डा वायु-सेना के हाथ में आने से पहले वहां नागरिक यात्रियों के लिए जिन सुविधाओं का प्रबन्ध था, वे फिर से दी जानी लगें । इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि हवाई अड्डे में नागरिक यात्रियों के लिए अलग भवन बना दिया जाय ।

रेलवे दर पर अधिकरण

*४४० **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे दर अधिकरण की वर्तमान रचना कैसी है ;

(ख) १९५२-५३ में इस अधिकरण को रेलवे अधिनियम की धारा ४१ के अधीन कितनी शिकायतें मिलीं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने, इस अधिनियम की धारा ४२ (१) के अधीन, उसे प्रार्थना पत्र भेजे हैं, यदि हां तो कितने ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गये दो सदस्य हैं ।

(ख) १९५२-५३ में भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के पास पांच शिकायतें पहुचीं । उन में से एक शिकायत वापिस लेने की अनुमति दे दी गई है ।

(ग) १९५२-५३ में भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ४२ (१) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने इस अधिकरण को कोई प्रार्थना पत्र नहीं भेजा । १९५०-५१ में दो और १९५१-५२ में भी दो प्रार्थना पत्र दिए गए थे । बाद में उन में से एक प्रार्थना पत्र वापिस ले लिया गया ।

बाहर से मंगाया गया गेहूं

*४४१. **श्री कक्कन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाहर से मंगाए गए गेहूं का मूल्य घटाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). बाहर से आये गेहूं के भण्डार मूल्य में, १५ नवम्बर, १९५३ से, १ रुपया प्रतिमन की कमी कर दी गई है, यह कमी भण्डार मूल्य के सामयिक पर्यालोकन के फलस्वरूप की गई है । भण्डार

मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में अनाज कहां से मिल सकता है, इस बात पर तथा मूल्यों पर विचार करने के बाद निश्चित किए जाते हैं ।

गुजरात में रेलगाड़ियां

***४४२. श्री एस० जी० पारिख** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि उत्तर गुजरात में पश्चिम रेलवे के मीटर गेज विभाग के ब्रांच लाइनों पर रेलगाड़ियां अनियमित चलने लगी और कई बार इंजन नादुरुस्त होने के तथा पानी की कमी के कारण यात्री रात भर किसी छोटे स्टेशन में पड़े रहते हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि कुछ पुराने इंजन वहां लाये गए हैं और यदि हां, तो क्यों ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । किन्तु अक्तूबर १९५३ में इंजनों की नादुरुस्ति तथा छोटे स्टेशनों में पानी के अभाव जैसे अनिवार्य कारणों से महेसाना जिले में रेल गाड़ियों की नियमितता में कुछ कसर पैदा हुई थी ।

(ख) जी नहीं । पहिले उपयोग में लाये जाने वाले इंजनों के स्थान में अधिक योग्य इंजन रखे गए हैं ।

इलायची

२०८. श्री वी० पी० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सन् १९५० से १९५३ तक के वर्षों में भारत में पैदा हुई इलायची की राज्यवार राशियां देने वाला विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

काठ परिरक्षक

२०९. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देहरादून की वन अनुसंधान संस्था ने आर्सनिक आक्साइड, कापर सल्फेट और पोटाशियम बाइक्रोमेट या "क्रियोसोट" के अतिरिक्त कोई और काठ परिरक्षक तैयार किया है ?

(ख) यदि हां, तो वे काठ परिरक्षक क्या हैं और उन में क्या क्या चीजें पड़ती हैं ?

(ग) इन काठ परिरक्षकों की प्रभावशीलता, कम खर्च, औचित्य और स्थायित्व कहां तक प्रमाणित हुआ है ?

(घ) एक साल में अनुमानतः कितनी इमारती लकड़ी पर काठ परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) (१) ऐसा परिरक्षक जो कीटाणुओं को मारता है और जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता । इस में बोरिक एसिड, कापर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, सोडियम डाइक्रोमेट और पानी पड़ता है ।

(२) महुए के तेल से तांबे का आर्गेनिक नमक

(३) चीड़ के बिरोजे से तांबे का आर्गेनिक नमक ।

(ग) (१) कीटाणु नाशक तथा आग से बचाने वाला परिरक्षक मुख्यतः इसलिए तैयार किया गया था कि रेल मंत्रालय के केन्द्रीय प्रमाप कार्यालय ने, रेलवे लाइन पर परीक्षा के लिए चीड़ और तज वृक्ष की शहतीरियों पर प्रयोग के लिए ऐसे परिरक्षक की प्रार्थना की थी । यह देखा जा रहा है कि यह परिरक्षक कैसा काम देता है ।

(२) महुए के तेल से तांबे के आर्गेनिक नमक का परिरक्षक :—यह परिरक्षक, युद्ध काल में जब कि परिरक्षकों की कमी थी, बनाया गया था । परन्तु चूंकि इस में ऐसे तेलों की आवश्यकता थी जो कम मिलते थे, इस लिए इस पर और काम बन्द कर दिया गया।

(३) चीड़ के बिरोजे से तांबे के आर्गेनिक नमक का परिरक्षक :—चीड़ के बिरोजे से तांबे का सादा आर्गेनिक नमक तैयार किया गया है जो फर्नीचर, खिलौने, दरवाज़े और खिड़कियों के चौखटों की लकड़ी के बचाव में काम आता है । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कुटीर उद्योग के आधार पर इस का विकास किया जाय ।

(घ) मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष रेलवे स्लीपरों, तार के खम्बों, लकड़ी के ढेरों, चाय के बक्सों आदि के लिए लगभग ३० से ४० लाख घन फुट इमारती लकड़ी पर परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है ।.

राजस्थान में टिड्डी विरोधी कार्यवाहियां

२१०. **श्री कर्णी सिंहजी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१९ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में टिड्डियों ने फसलों को जो हानि पहुंचाई, उस के ठीक ठीक आंकड़े उपरोक्त उत्तर के बाद से इकट्ठे किए जा चुके हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें सदन पटल पर रखेगी ?

(ग) १९५३ में राजस्तान में विशेषकर बीकानेर और जोधपुर की डिवीजनों में टिड्डी दलों ने फ़सलों को कितनी हानि पहुंचाई और इन डिवीजनों में १९५३ में टिड्डी दलों को मारने की कार्यवाही पर कितनी राशि खर्च की गई ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) बरमेर, जैसलमेर और बीकानेर के तीन जिलों में जो हानि हुई, उस का अनुमान निम्नलिखित है :

(१)	बरमेर	३,७०० मन
(२)	जैसलमेर	२,१०० ,,
(३)	बीकानेर	१०,९९२ ,,
	कुल जोड़	१६,७९२ मन

(ग) अनुमान लगाया गया है कि १९५३ में जोधपुर डिवीजन की जैसलमेर और बाप तहसीलों के कुछ भागों में टिड्डियों ने ३२,०० रुपये तक की हानि पहुंचाई । बीकानेर डिवीजन या राजस्थान के अन्य भागों में कोई हानि होने का समाचार नहीं मिला है ।

अनुमान है कि १९५३ में केन्द्र की ओर से टिड्डी दलों को मारने के काम पर ७ लाख रुपया खर्च हुआ ।

तीसरे दर्जे में (बीकानेर डिवीजन) में पंखों का प्रबन्ध

२११. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ तथा १९५२ में उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में तीसरे दर्जे के कितने डिब्बों में पंखे थे; और

(ख) १९५३ से अगले पांच वर्षों में कितने डिब्बों में पंखे लगाने का लक्ष्य है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५१...... ८
१९५२......४५

(ख) बीकानेर डिवीजन में तीसरे दर्जे के ७२ डिब्बे ऐसे हैं जिनमें अभी पंखे नहीं लगे । इन में १९५५-५६ के अन्त से पहले पंखे लगा दिये जायंगे ।

नदी की मछली

२१२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कारखानों तथा नालियों के विषैले पानी के नदियों में पड़ने से अनुमानतः कितनी मछलियां मारी जाती हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय आन्तरिक मछली अनुसंधान केन्द्र ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उस की सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है; यदि हां तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) आंकड़े नहीं मिलते।

(ख) बैरकपुर में स्थित इस केन्द्र ने इस सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ कर दी है।

(ग) किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सका ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

नारियल अनुसंधान केन्द्र

२१३. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्रावन्कोर कोचीन राज्य में नारियल अनुसंधान केन्द्र ने नारियल उगाने वाली कुल कितने एकड़ भूमि अपने अधिकार में ले ली है और ऐसी भूमि के मालिकों को प्रति एकड़ कितनी वार्षिक क्षतिपूर्ति दी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : ट्रावन्कोर कोचीन राज्य में नारियल अनुसंधान केन्द्रों के लिये प्राप्त की गई भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(१) केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र कायनागुलम	लगभग ५३ एकड़
(२) प्रादेशिक नारियल अनुसंधान केन्द्र थोदूपुज्हा	लगभग ६० एकड़
(३) प्रादेशिक नारियल अनुसंधान केन्द्र नेयात्तिनकरा	लगभग ६० एकड़
(४) प्रादेशिक नारियल अनुसंधान केन्द्र कुमाराकोम	लगभग ६० एकड़

केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के प्रत्यक्ष नियंत्रण के आधीन है । प्रादेशिक केन्द्र राज्य सरकार के नियंत्रण में है । इन सभी केन्द्रों के लिये भूमि राज्य सरकार ने प्राप्त की थी । भूमि के मालिकों को क्या क्षतिपूर्ति दी गई या दी जा रही है—यह जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र कायनागुलन की भूमि राज्य सरकार ने भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति को ५० वर्ष के लिये किराए पर दी हुई है। इस का वार्षिक किराया ४,००० रुपये है ।

रोगियों के शरीर में लहू पहुंचाना

२१४. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि प्रसूति रक्त रोगियों के शरीर में पहुंचाया जा सकता है या नहीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या काम किया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र-शेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

परिवार नियोजन

२१५. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि लोदी कोलोनी का परिवार नियोजन केन्द्र कितने दिनों से काम कर रहा है ?

(ख) यह जितने वर्ष से काम कर रहा है, उन में प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्ति इस में आये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र-शेखर) : (क) जुलाई १९५२ से ।

(ख) जुलाई १९५२ से जुलाई १९५३ तक ६०२ व्यक्ति इस में आये ।

रायला रोड स्टेशन

२१६. श्री बलवन्त सिंह महता : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी रेलवे के मलवा सेक्शन की अजमेर-खंडवा लाइन के फ्लैग स्टेशन रायला रोड को "डी" क्लास स्टेशन बनाने की योजना स्वीकार की जा चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक यह काम करना चाहती है ?

(ग) इस पर कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अजमेर खंडवा सेक्शन पर रायला रोड स्टेशन पहले से ही "डी" क्लास स्टेशन है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

बित्रगुंता-गुडूर पैसिंजर गाड़ी

२१७. श्री नानादास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) २१ अक्टूबर, १९५३ से बित्रगुंता और गुडूर के बीच जो पैसिंजर गाड़ी चल रही है क्या उसका चलना १५ दिसम्बर, १९५३ के बाद भी जारी रखा जायेगा ;

(ख) उस गाड़ी को २१ अक्टूबर, १९५३ से चलाने में कितना अतिरिक्त व्यय हो रहा है और यात्रियों के आवागमन से आय कितनी होती है; तथा

(ग) बित्रगुंता और गुडूर के बजाय क्या उसी गाड़ी को सिंगारयकोंडा तथा गुडूर के बीच चलाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रश्न में जिस गाड़ी की चर्चा की गई है वह एक मिलीजुली गाड़ी है न कि पैसिंजर गाड़ी । पेन्नार नदी में बाढ़ आने के कारण जब ग्रेट नार्दर्न ट्रंक रोड पर पाडूगुपाडू तथा नेल्लोर के बीच स्थित पुल पर से होकर जाने का मार्ग बन्द हो गया था, तब आयात प्रबन्ध के रूप में यह मिलीजुली रेल गाड़ी चलाई गई थी । कुछ समय तक उस पुल के साधारण रूप से फिर से चालू हो जाने के बाद इस बात पर विचार करने का इरादा है कि उस गाड़ी को चालू रखा जाये अथवा नहीं ?

(ख) यह सूचना इस समय प्राप्य नहीं है ।

(ग) नहीं ।

जोगियारा तथा कातौल के बीच रलवे स्टेशन

२१८. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को, उत्तर

पूर्व रेलवे के दरभंगा-नरकटियागंज खण्ड पर स्थित जोगियारा तथा कातौल स्टेशनों के बीच के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से जोगियारा तथा कातौल के बीच एक रेलवे स्टेशन खोलने के लिये, कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि प्राप्त हुआ है, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) । (क) हां, गत सितम्बर तथा अक्टूबर मास में इस संबंध में जनता द्वारा भेजे गये अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) इस की जांच की जा रही है ।

मुसाफिर गाड़ियों के डिब्बे

२१९. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर पूर्व रेलवे के उस भाग पर जिसे पहले ओ० टी० आर० कहा जाता था, ३१ अक्टूबर, १९५३ तक मुसाफिर गाड़ी के कितने नये डिब्बे बढ़ाये गये हैं तथा कितने पुराने डिब्बे अलग किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार यात्रियों की संख्या के विचार से उतने डिब्बों को काफी समझती है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार डिब्बों को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २०८ बोगी कोचेज़ (सवारी डिब्बे) चलाये गये थे तथा ३ बोगियां और ४८ चार पहियों वाले सवारी डिब्बे हटा लिये गये थे ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

गन्ने के मूल्यों का भुगतान न किया जाना

२२०. श्री क० सुब्रह्मण्यम् : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अलग अलग कारखानों के हिसाब से, यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास तथा उड़ीसा राज्यों के उत्पादकों ने कारखानों को १९५१–५२ तथा १९५२-५३ में जो गन्ना दिया था, उसके मूल्य के कितने भाग का भुगतान अभी नहीं हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : उड़ीसा की रायगाड़ा शुगर फैक्टरी ने १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के मौसमों में जो गन्ना खरीदा था, उसका मूल्य बकाया नहीं है — उसका भुगतान हो चुका है । मद्रास के कारखानों पर अभी कितना रुपया बाकी है, इस संबंध में सूचना प्राप्य नहीं है और वह एकत्र की जा रही है ।

चावल की खेती

२२१. श्री क० सुब्रह्मण्यम् : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चावल की खेती के भारतीय ढंग के आधीन धान की खेती तथा उसकी प्रति एकड़ उपज की औसत लागत क्या है ?

(ख) जापानी ढंग के आधीन धान की खेती की प्रति एकड़ लागत तथा उपज कितनी है ?

(ग) आन्ध्र राज्य में कितनी भूमि में जापानी ढंग से और कितनी भूमि में भारतीय ढंग से धान की खेती होती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). भारतीय तथा जापानी ढंग के आधीन प्रति एकड़ धान की खेती में कितनी लागत लगती है, इस संबंध में अभी तक कोई जांच नहीं हुई है । भारतीय तथा जापानी तरीकों से धान की खेती के आर्थिक पहलू का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये हाल ही में भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक योजना स्वीकार की है। बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कुर्ग तथा मैसूर राज्यों में अनुसंधान फार्मों तथा किसानों के खेतों पर प्रयोग किये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि इन प्रयोगों के परिणाम जून–जुलाई, १९५४ में उपलब्ध हो जायेंगे।

भारतीय ढंग के आधीन प्रति एकड़ औसत पैदावार लगभग १००० पौंड है। चूंकी धान की खेती का जापानी तरीका केवल इसी वर्ष बड़े पैमाने पर काम में लाया जा रहा है, अतः इस तरीके के आधीन प्रति एकड़ पैदावार बताना अभी कठिन है। गत वर्ष बम्बई में तीन स्थानों पर इस तरीके का सीमित पैमाने पर प्रयोग किया गया था और पैदावार ३००० से ४००० पौंड प्रति एकड़ के बीच में हुई थी।

(ग) क्रमशः लगभग ७००० तथा ४२ लाख एकड़।

आन्ध्र में नए डाकघर

२२२. **श्री क० सुब्रह्मण्यम्**: क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में आन्ध्र में (जिलेवार) कितने नए डाकघर खोले जाने वाले हैं ; तथा

(ख) विशाखापटनम् जिले में किन किन स्थानों पर ऐसे डाकघर खोले जा रहे हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट** २, **अनुबंध संख्या ७०**]

भूमि गणना

२२३. **श्री ए० एम० टामस**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग्रे कि भूमि गणना करने का काम कहां तक आगे बढ़ा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): एकत्र की जाने वाली जानकारी के विस्तृत विवरण तथा गणना करने का तरीका बना लिया गया है और शीघ्र ही इस विषय में राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा जायेगा।

रेलवे के विरुद्ध दावे

२२४. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२–५३ में रेलों द्वारा ले जाये गये तथा सौंपे गये माल के खो जाने, उसके पहुंचने में देर होने, नष्ट होने, खराब होने तथा टूट फूट जाने के लिये क्षतिपूर्ति के लिये संबंधित पक्षों ने कितने दावे किये हैं और उनकी राशि कितनी है ;

(ख) इस वर्ष ऐसे दावे कितने हैं और उनकी राशि कितनी है, जो बिना न्यायालय में गये हुए आपसी समझौते के फलस्वरूप तय हो गये थे और कितने मामलों का निपटारा नहीं हुआ है ;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पक्षों ने रेल अधिकारियों द्वारा किये गये समझौते को स्वीकार कर लिया है और जो न्यायालयों को नहीं भेजे गये थे ; तथा

(घ) क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिनमें पक्षों ने मध्यस्थ के रूप में रेलवे पदाधिकारियों के निर्णय को मानना स्वीकार कर लिया है लेकिन जो अभी भी न्यायालयों में चल रहे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १९५२–५३ में क्षतिपूर्ति के लिये ३,४८,८३१ दावे किये गये हैं। इन दावों की राशि नहीं मालूम है।

(ख) आपसी समझौते से न्यायालय के बाहर ५०,०१,९९४ रुपयों की कुल राशि के ९०४० दावे तय किये गये थे। १५,७४२ मामलों का अभी निबटारा नहीं हुआ है।

(ग) ३,२६,७३४ मामलों में पक्षों ने, बिना न्यायालय को भेजे हुए, रेल अधिकारियों द्वारा किए गए समझौते को स्वीकार कर लिया है।

(घ) नहीं।

सब्जी बीज उत्पादन केन्द्र

२२५. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कितने केन्द्रीय सब्जी बीज उत्पादन केन्द्र हैं ;

(ख) वर्ष १९५१, १९५२ तथा १९५३ में उन्होंने कितने सब्जियों के बीज उत्पादित किये ;

(ग) प्रति वर्ष इन केन्द्रों पर कितना धन व्यय किया जाता है और बीजों की बिक्री से कितनी आय होती है; तथा

(घ) अब तक कितने प्रकार के बीज उत्पादित किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) एक अर्थात् केन्द्रीय सब्जी बीज-उत्पादन केन्द्र, कुलू।

(ख) से (घ). सूचना निम्नलिखित है :—

	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३
(१) उत्पादित बीजों की मात्रा (पौंड)	३,६७४	४,१८२	४,३३८
(२) व्यय का राशि (रुपये)	४६,०६४	५८,३३४	६०,८०५
(३) प्राप्तियां (रुपये)	६,६२४	१०,३३१	१७,१३६

(४) उत्पादित बीजों की किस्में.—एसपरेगस, चुकन्दर, सेम, बन्दगोभी, सिलेरी, नाल-खोल, लीक (प्याज के प्रकार की एक गांठदार वनस्पति), भिन्डी, सुरासानी अजवाइन, मटर, मूली, शलजम, टमाटर, बैंगन, बड़ी लाल मिर्च, पालक।

नोट : पत्री वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रेल गाड़ियों में रुकावट

२२६. **श्री वी० मुनिस्वामी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुछ मास पूर्व रेल-अधिकारियों ने यह बात देखी थी कि दक्षिण रेलवे पर मदुरा जिले के ओड्डानछतराम रेलवे स्टेशन के निकट चलती हुई रेल गाड़ियों के रास्ते में रुकावट डालने के लिये रेल की पटरियों पर कुछ वस्तुएं रख कर निरंतर उपद्रव मचाया गया था ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि १५ सितम्बर १९५३ को रेल की पटरियों पर एक लकड़ी का पहिया रख दिया गया था ?

(ग) ऐसी खतरनाक कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). कोई निरंतर उपद्रव नहीं हुआ था। किन्तु गत कुछ मास में ओड्डानछतराम रेलवे स्टेशन के निकट कुछ शरारतों के किये जाने की

सूचना मिली है, जिनके विवरण निम्नलिखित हैं :—

(१) ३-३-५३ को ओडुानछतराम तथा छत्रपत्ती स्टेशनों के बीच एल० २९४/४–५ मील पर रेल की पटरियों पर १३ सेर वजन का एक पत्थर रखा पाया गया था।

(२) १९-८-५३ को पालककुथू तथा ओडुानछतराम स्टेशनों के बीच एल० २८५/१४-१५ मील पर एक मन नौ सेर वजन के तीन पत्थर रेल की पटरियों पर रखे हुये पाये गये थे।

(३) १५-९-१९५३ को पालककुथू तथा ओडुानछतराम स्टेशनों के बीच एल० २८५/९ मील पर साढ़े सात सेर वजन का एक लकड़ी का पहिया (वास्तव में वह धुरे सहित एक लकड़ी की गरारी थी जो कुओं से पानी खींचने के काम आती है) रेल की पटरियों पर रखा हुआ पाया गया था।

(ग.) इन तीनों मामलों की जांच पुलिस ने की थी। उस जांच के परिणाम क्रमशः इस प्रकार हैं :—

(१) इस घटना के लिये एक गायों को हांकने वाला लड़का उत्तरदायी पाया गया था। उस लड़के को पलानी के स्थायी सब मजिस्ट्रेट ने डांट दिया था। और उसके पिता से एक वर्ष तक अपने पुत्र के सद्व्यवहार के लिये ५० रुपये का एक बांड भरने को कहा गया था।

(२) इस मामले का पता नहीं चल सका है। पुलिस के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि इस कार्य के पीछे कोई विशेष मन्तव्य नहीं था।

(३) कहा जाता है कि उस स्थान के ग्रामीणों के बीच ईर्ष्या के फलस्वरूप यह घटना हुई थी। वे लोग उस पहिये को (जो कदाचित् विपक्षी का था) रेलगाड़ी के द्वारा क्षति पहुंचाना चाहते थे।

चूंकि इन सभी मामलों में रेलगाड़ी को तोड़ने फोड़ने के किसी इरादे का आभास नहीं मिलता था अतः पुलिस को उनकी सूचना देने के अलावा और कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई थी।

शिकोहाबाद और फ़ीरोज़ाबाद के स्टेशनों पर बिजली का लगाया जाना

२२७. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का १९५३-५४ में शिकोहाबाद और फीरोज़ाबाद के स्टेशनों पर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल **तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) तथा (ख). फीरोज़ाबाद स्टेशन पर बिजली लगाने के लिये आवश्यक धन रेलवे के चालू वर्ष के आयव्ययक में पहिले ही दिया जा चुका है। किन्तु, इस में सन्देह है कि इस वर्ष बिजली मिल भी सकेगी, क्योंकि राज्य सरकार कुछ प्रौद्योगिक कठिनाइयों के कारण अब तक इसे दे नहीं सकी है।

यदि राज्य सरकार बिजली दे दे तो शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर आगामी वर्ष बिजली लगाने का कार्यक्रम है।

डाक विभाग में हड़पने के मामले

२२८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में डाक विभाग में माल हड़पने के लिये कितने अभियोग चलाये गये और उन का फल क्या हुआ ; और

(ख) कितने मामलों में विभागीय रूप से कार्यवाही की गई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) यह मान कर कि सदस्य महोदय केवल विभाग की डाक शाखा के अभियोगों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं, उन की संख्या ५३५ है। १६४ मामलों में दण्ड दिया गया। शेष मामलों में दोषी व्यक्ति या तो दोषमुक्त कर दिये गये, छोड़ दिये गये, भाग गये या वर्ष की समाप्ति तक अब भी उन पर अभियोग चल रहा है।

(ख) २४१।

डाक घर लेखा पाल (वेतन स्तर)

२२९. **श्री मुनिस्वामी**: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या डाक घर के लेखापालों के वेतन स्तर को बढ़ा कर १६०/२५० रुपये तक कर देने का विचार है ?

(ख) क्या श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के प्रति २५० पदों के लिये सहायक लेखापाल मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कहां तक पहुंच गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). लेखापालों के किन किन पदों को १६०/२५० रुपये की श्रेणी में रखा जाये इस के मानदण्ड को निश्चित करने के प्रश्न पर और सहायक लेखापालों के पदों की संख्या निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

रेल के रियायती पास

२३०. **श्री विट्ठल राव**: (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्रेणी १ और २ के रेल पदाधिकारियों को जब वे रेल विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग या निजी समवायों को भेजे जाते हैं रियायती पास दिये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन पासों को देने के क्या नियम हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). यह रेलवे कर्मचारियों को जिन में श्रेणी १ और २ के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, रेलवे के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों में भेजे जाने पर यदि उन्हें अधिक वेतन वाले पद पर न भेजा जाये तो रियायती पास दिये जाते हैं, किन्तु अधिक वेतन वाले पद पर भेजे जाने पर पास की सुविधा १२ मास से अधिक समय तक नहीं दी जाती। यदि अधिक वेतन वाले पद पर भेजा जाये तो यह सुविधा नहीं दी जाती। तथापि, जो कर्मचारी रेलवे सेवा के हित में रेलवे के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों को भेजे जाते हैं उन्हें उस पद के वेतन का ध्यान रखे बिना यह पास की सुविधा यथापूर्व दी जाती है।

सामान्यतया रेल कर्मचारियों को निजी समवायों में नहीं भेजा जाता और इसलिये इस सम्बन्ध में पास देने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है।

चीनी

२३१. **श्री सिंहासन सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की सिसवा बाजार, खड, घुघटी, कैप्टेनगंज और लक्ष्मीगंज की चीनी मिलों को मार्च, अप्रैल और मई १९५३ में दिये गये गन्ने से क्रमशः कितने प्रतिशत चीनी का उत्पादन हुआ ; और

(ख) उन मिलों ने मई के सभी सप्ताहों में अलग अलग गन्ना उगाने वालों को किस भाव से गन्ने का मूल्य दिया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) मार्च, अप्रैल और

मई १९५३ में गन्ने से चीनी का औसत निम्न प्रतिशत उत्पादन हुआ :—

मास	सिसवा बाजार	खड	घुघटी	कैप्टेनगंज	लक्ष्मीगंज
मार्च, १९५३	९·९७	९·१५	१०·१६	१०·६७	९·५२
अप्रैल, १९५३	८·६७	८·३७	८·९९	९·२२	९·३४
मई, १९५३	६·३६	७·३५	८·३३	८·०९	८·८५

(ख) मई १९५३ के विभिन्न सप्ताहों में पुनःप्राप्ति के आधार पर खरीदे गये गन्ने का निम्नलिखित मूल्य दिया गया :—

(गन्ने का प्रति मन)

सप्ताह (मई १९५३)	सिसवा बाजार	खड	घुघटी	कैप्टनगंज	लक्ष्मीगंज
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
प्रथम सप्ताह	० १२ ३	० १३ ०	१ १ ९	१ ० ६	१ ० ६
				(१०–५–५३ तक)	
द्वितीय सप्ताह	० १० ०	० १४ ९	१ ० ९	—	—
		(१८–५–५३ तक)			
तृतीय सप्ताह	० ९ ६	० १४ ०	—	—	—
		(२३–५–५३ तक)			
चतुर्थ सप्ताह	—	—	—	—	—

इंजन और माल के डिब्बे

२३२. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल कितने इंजन, माल के डिब्बे और यात्री डिब्बे बनाये गये और कितने आयात किये गये और यह गत वर्ष के उसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक विवरण, जिस में यह जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट, २, अनुबंध संख्या ७१**].

बारसी लाईट रेलवे

२३३. **श्री गिडवानी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बारसी लाइट रेलवे कम्पनी के कर्मचारियों को ३१ दिसम्बर, १९५३ से उन की सेवायें समाप्त करने के नोटिस दे दिये गये हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिन कर्मचारियों को नोटिस मिले हैं वे नये प्रबन्ध के अधीन भी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) यदि ये कर्मचारी उपयुक्त हुए तो सरकार का इन्हें उपयुक्त पदों पर रख लेने का इरादा है ।

साम्बलपुर रोड रेलवे स्टेशन के टिकट का रेल फाटक

२३४. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है

कि पूर्व रेलवे में (१) कटक स्टेशन के निकट कटक-भुवनेश्वर मार्ग पर, (२) भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट भुवनेश्वर (नई राजधानी)—कटक मार्ग पर, (३) झरसुगुडा रेलवे स्टेशन के निकट झरसुगुडा—सुन्दरगढ़ मार्ग पर और (४) साम्बलपुर रोड रेलवे स्टेशन के निकट साम्बलपुर—झरसुगुडा मार्ग पर रेलवे स्टेशन के निकट रेल फाटक होने के कारण और शंटिंग के कार्य के कारण रेल फाटक पर प्रायः यातायात रुक जाने के कारण असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां, जहां तक कटक स्टेशन के निकट कटक-भुवनेश्वर मार्ग पर स्थित और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट भुवनेश्वर-कटक मार्ग पर स्थित रेल फाटकों का सम्बन्ध है। अन्य दो रेल फाटकों पर यातायात बहुत कम रुकता है और इस लिये इन के स्थान पर सड़क के ऊपर पुल बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती रेल फाटक पर काम आरम्भ हो चुका है। कटक स्टेशन के निकटवर्ती रेल फाटक के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की सलाह से सड़क के ऊपर एक पुल बनाने की योजना की परीक्षा की जा रही है।

सिंगारेनी की कोयला खानें

२३५. **श्री हेडा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिंगारेनी की कोयला खानों में बिरले के गढ़े में २९ अक्तूबर, १९५३ की दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए ;

(ख) दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये कोई समिति बनाई जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति किस प्रकार की होगी और कौन कौन इस के सदस्य होंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) इस दुर्घटना के फलस्वरूप एक कोयला लादने वाले को गहरी चोट आई और दूसरे को मामूली चोट आई।

(ख) यह दुर्घटना २५० फीट दूर एक कोयला निकाले हुए स्थान की छत के गिर जाने से उत्पन्न हुए एक वायु-विस्फोट के कारण हुई थी जो श्रमिकों को उड़ा ले गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शीतोष्ण नियामित डिब्बे

२३६. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर रेलवे में विशेष रूप से बीकानेर और जोधपुर डिवीजन के लिये शीतोष्णनियामित डिब्बे लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन के कब से लगाये जाने की आशा है ;

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेसन) : (क) तथा (ख). इस समय तो छोटी लाइन के शीतोष्णनियामित सार्वजनिक यातायात के डिब्बे भारतीय रेलों में उपलब्ध नहीं हैं। छोटी लाइन का शीतोष्ण-नियामित एक डिब्बा नमूने के रूप में बनाया जा रहा है। इस के बाद कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार के और डिब्बे बनाये जायेंगे। जब इस प्रकार के डिब्बे उपलब्ध होंगे तो इन्हें विभिन्न रेलों को, जिन में उत्तर रेलवे के बीकानेर

और जोधपुर डिवीज़न भी सम्मिलित हैं, देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

उत्तर रेलवे की बड़ी लाइन पर निम्नलिखित गाड़ियों में प्रतिदिन शीतोष्ण-नियामित डिब्बे लगाये जाते हैं ;

३१/३२ फ्रंटियर मेल : दिल्ली—अमृतसर
६१/६२ कलकत्ता मेल : दिल्ली—हावड़ा
दिल्ली—कालका
३०५/३०६ काश्मीर मेल: दिल्ली—पठानकोट

फलों को डिब्बों में बन्द करने का उद्योग

२३७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे:

(क) क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने त्रिपुरा में फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग के विकास की आवश्यकता का समर्थन किया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार के उद्योग के न होने के कारण प्रति वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में अनन्नास और लीची व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विषय में कोई पग उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) विभाजन के पश्चात् त्रिपुरा में होने वाले फालतू फलों की बिक्री में कठिनाई होने लगी है । पूर्वी बंगाल के पड़ौसी जिलों में पहिले के बाजारों के न रहने के कारण ये फल व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं ।

(ग) राज्य सरकार फलों को डिब्बों में बन्द करने के कार्य को राज्य में एक कुटीरोद्योग के रूप में जारी करने की एक योजना आरम्भ कर रही है ।

उदयपुर और दिल्ली के बीच रेलगाड़ियों में अधिक भीड़

२३८. **श्री भीखा भाई** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों में सीधा जाने वाला केवल एक ही डिब्बा जुड़ा रहता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सीधे जाने वाले इस डिब्बे में मध्यम और तृतीय श्रेणी का स्थान नही रहता है ;

(ग) क्या यह सच है कि बीच के स्टेशनों वाले यात्री भी इस डिब्बे में यात्रा करते हैं ; और

(घ) यदि यह सही है तो इस डिब्बे की अत्यधिक भीड़ को दूर करने के लिये सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । ऐसा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है जब कि समुचित ढंग के डिब्बे उपलब्ध नहीं होते हैं ।

(ग) और (घ) जांच करने वाले कर्मचारियों के पास इस बात को देखने के संबंध में अनुदेश रहते हैं कि सीधे यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये निश्चित स्थान का उपयोग थोड़ी दूरी के यात्री न कर सकें किन्तु फिर भी बीच के स्टेशनों पर जाने वाले यात्री इसमें यात्रा कर ही लेते हैं ।

इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है और सम्बंधित स्थान पर कार्यवाही की गई है।

कोयला खदान कल्याण निधि

२३९. श्री के० के० बसु : श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोयला खदान कल्याण निधि के अन्तर्गत एकत्रित की गई कुल राशि ; और

(ख) कल्याण सम्बंधी कार्यों में अभी तक उक्त रकम का कितना अंश प्रयुक्त किया जा चुका है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ३० सितम्बर, १९५३ तक लगभग ७·६७ करोड़ रुपये ।

(ख) लगभग ५१ प्रतिशत ।

मार्गरीन

२४०. श्री बलवंत सिंह महता : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में मार्गरीन का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) भारत में मार्गरीन के कितने कारखाने हैं ;

(ग) मार्गरीन में पौष्टिक तत्व कितना है; तथा

(घ) इसे किन तत्त्वों से बनाया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) पिछले पांच वर्षों में मार्गरीन का वार्षिक उत्पादन निम्न था :—

१९४९	४२४ टन
१९५०	६७३ टन
१९५१	६९८ टन
१९५२	४८० टन
१९५३ (जनवरी से अक्टूबर)	४७० टन

(ख) ऐसा केवल एक ही कारखाना है जो व्यापारिक स्तर पर मार्गरीन उत्पादन करता है ।

(ग) मार्गरीन का उपयोग मक्खन के स्थान पर किया जाता है तथा वह स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद नहीं है ।

(घ) यह नारियल के तैल, मूंगफली के तैल और तिल्ली के तैल आदि जमाये हुए वनस्पति तैलों से निर्मित होता है किन्तु मक्खन के सभी तत्त्व इसमें नहीं रहते हैं ।

डाक तथा तार विभाग में गजटेड पद

२४१. श्री बाघमार : संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक और रेल डाक सेवा विभाग में गजटेड पदों की कितनी संख्या है जिनका पहले से ही अस्तित्व था किन्तु पिछले तीन वर्षों में जिनकी पदोन्नति द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी कनिष्ठ से प्रथम श्रेणी ज्येष्ठ में कर दी गई थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणी कनिष्ठ से प्रथम श्रेणी ज्येष्ठ के स्तर में किसी की भी पदोन्नति नहीं की गई है । केवल पहले के ही कुछ पदों की पुर्नव्यवस्था की गई थी ।

यू० पी० में छात्र-आन्दोलन

२४२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री एन० एम० लिंगम :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) यू० पी० में हाल में हुए छात्र आन्दोलन में कितने स्टेशनों पर आक्रमण किया गया ;

(ख) कितनी गाड़ियों को रोका गया अथवा उन पर आक्रमण किया गया; तथा

(ग) कितने रेल कर्मचारियों को चोट आई तथा रेलों को कुल कितनी क्षति हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २० स्टेशन ।

(ख) १४ रेल गाड़ियां ।

(ग) ९ रेलवे कर्मचारी घायल हुए । रेलों द्वारा सहन की गई हानि लगभग २,३०० रु० है ।

चित्तरंजन रेल एंजिन कारखाना

२४३. **श्री जेठालाल जोशी** : (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चित्तरंजन रेल एंजिन कारखाने में वर्ष १९५२-५३ में कितने एंजिन निर्मित किये गये थे ?

(ख) उनमें से कितने एंजिनों को काम में लिया गया है ?

(ग) उक्त एंजिनों में से कितने अनुपयुक्त होने के फलस्वरूप लौटा लिये गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३३ ।

(ख) ३२ ।

(ग) सिलेंडरों में मरम्मत करने की दृष्टि से सात एंजिन अस्थायी रूप काम से हटा लिये गये ।

काम दिलाने वाला दफ्तर, दिल्ली

२४४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली के काम दिलाने वाले दफ्तर में १९५१-५२ में प्रतिमास कितने व्यक्ति पंजीकृत हुए ; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातीय व्यक्ति कितने थे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख) . सदन पटल पर विवरण पत्र रखा है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२]

मद्रास में काम दिलाने वाले दफ्तर.

२४५. **श्री वीरस्वामी**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में एक जनवरी से अक्टूबर के अंत तक मद्रास राज्य के काम दिलाने वाले दफ्तरों में क्रमशः अपना नाम पंजीकृत कराने वाले स्नातकों, अवर स्नातकों और हाई स्कूल परीक्षा पास व्यक्तियों की संख्या ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग के जिन-जिन उम्मीदवारों को काम दिया गया है उनकी संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). शिक्षित व्यक्तियों के सम्बन्ध में अक्टूबर १९५३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९५३ की १ जनवरी से ३० सितम्बर तक की अवधि के आंकड़े निम्न हैं :—

वर्ग	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	काम में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
(१) मेट्रिक पास व्यक्ति किन्तु जिन्होंने इन्टर पास नहीं किया है	३७,१२२	४,९८०
(२) इन्टर की परीक्षा पास किन्तु जिन्होंने डिग्री नहीं ली	५५९०	८७०
(३) ग्रेजूएट	४,०२५	८६४
जोड़	४६,७३७	६,७१४

सत्यमेव जयते

सोमवार,
३० नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, ३० नवम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३९ म० प०

श्री बी० एन० राव का देहावसान

प्रधान मंत्री तथा सदन नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से उस दुःखद घटना का निर्देश करना चाहता हूं जो आज प्रातः ज्यूरिच, स्विटजरलेंड में हुई। सदन में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि जब इस सदन के या इससे पूर्व के किसी सदन के किसी सदस्य की मृत्यु होती है केवल तभी उसका उल्लेख यहां किया जाता है। किसी गैर-सदस्य की मृत्यु का उल्लेख करना संसद् के नियम के मुताबिक नहीं है, फिर भी मैं ऐसे एक व्यक्ति के देहावसान का उल्लेख कर रहा हूं जो कि इस सदन का सदस्य नहीं था, परन्तु जो इस सदन से और इस संविधान से, जिसके अन्तर्गत संसद् का कार्य चल रहा है, निकट रूप से सम्बद्ध था। मेरा अभिप्राय श्री बेनेगल नरसिंह राव से है जिनका आज प्रातः कोई ढाई बजे ज्यूरिच में देहावसान हो गया। जैसा कि सदन को विदित ही है श्री बी० एन० राव कितने ही क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने कितने ही रूपों में देश की सेवा की थी। मुझे याद है कि बहुत दिन पहले वह कैम्ब्रिज में मेरे ही कालेज में थे। तभी से उनके ज्ञान का भंडार बढ़ता ही गया। मुझे इस बात में सन्देह है कि कभी वह किसी समस्या से परेशान हुए हों। संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां कि उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वह समस्याओं को इस सहज ढंग से सुलझाते थे कि लोगों को चकित होना पड़ता था। वहां प्रायः गरमा गरम बहस हो जाया करती थी, परन्तु इसके बावजूद भी वह शांत और नम्र रहते थे।

उन का कार्यकाल बहुत शानदार रहा था। एक लम्बे अर्से तक वह उच्चन्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। परन्तु हमारा ताल्लुक विशेष रूप से उनकी उन गतिविधियों से है जो संविधान निर्माण से सम्बन्ध रखती हैं। वह हिन्दू विधि समिति के भी अध्यक्ष थे। भारत के संविधान निर्माण से उनका निकट सम्बन्ध रहा था और उन्हें हमारे संविधान का एक प्रमुख निर्माता कहा जा सकता है। जब वह भारत का संविधान बनाने में व्यस्त थे तो वह बरमा सरकार द्वारा बुलाये गये थे ताकि वह बरमा के संविधान के निर्माण में सहायता दे सकते। उन्होंने उस कार्य में भी सहायता दी। **इसके बाद** उन्होंने हमारे वैदेशिक कार्य में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योग दिया। वह हमारे प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल के नेता बने।

[श्री जवाहरलाल नहरू]

फिर वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि बने। इस सब के बाद, गत वर्ष या कोई दो वर्ष पूर्व, वह हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गये।

इतना कार्य करने के बावजूद भी वह वृद्ध नहीं थे। वह मुझ से कुछ ही बड़े थे और मैं अभी अपने आप को इतना वृद्ध नहीं समझता कि कोई काम न कर सकूं। वह एक लम्बे समय से बीमार थे और पिछले करीब पन्द्रह दिनों से हम यह उम्मीद होने लगी थी कि उनका ठीक होना मुश्किल है। उनका देहावसान शोक का विषय है और हम सब लोगों को, जो कि उन्हें भारत का एक आदर्श सेवक समझते थे, इससे भारी धक्का पहुंचा है।

अतएव मैं यह ठीक ही समझता हूं कि भारत के एक ऐसे सपूत के देहावसान का उल्लेख इस सदन में किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि, जैसा कि माननीय सदन-नेता ने बताया, सदन में किसी ऐसे व्यक्ति के देहावसान का निर्देश करने की प्रथा नहीं है जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य न हो, या न रहा हो परन्तु फिर भी जब सदन-नेता ने मुझ से यह पूछा कि क्या श्री बी० एन० राव की मृत्यु का निर्देश करने की अनुमति दी जा सकती है तो मैं ने सोचा कि श्री बी० एन० राव के विशेष व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा करने की अनुमति दे ही देनी चाहिए। संसद् के सदस्य न होते हुए भी उनका संसद् या विधान मंडल से अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहा था। इसलिये यह उचित ही है कि हम उनके देहावसान पर अपना शोक प्रकट करें और उनके परिवार को समवेदना भेजें।

सदन उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनिट मौन रहे।

इसके पश्चात् सदन में एक मिनट के लिये मौन रखा गया।

संसदीय औचित्य

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर--पूर्व) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं एक ऐसे विषय का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका हमारे संसदीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। २५ नवम्बर को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने धोती विधेयक के विचार-प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद का उत्तर देते हुए सदन के साम्यवादी सदस्यों के और विशेष रूप से एक साम्यवादी सदस्य, श्री गोपाल राव, के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिनसे उनकी सद्भावना पर आक्षेप हुआ और इस तरह सदन की सद्भावना पर भी आक्षेप हुआ। संसदीय औचित्य के लिये यह अपेक्षित है कि वाद विवाद के दौरान में संसद् के किसी भी सदन के सदस्यों पर आक्षेप न किये जायें। मंत्री महोदय ने विरोधी-दल के सदस्यों की सद्भावना पर आक्षेप करने के अलावा यह भी कल्पना कर ली कि यदि कोई धनराशि हाथकरघा बुनकरों के लिये काम में लाई गई तो उसका प्रयोग साम्यवादी दल के चुनाव निधि में किया जायगा।

मैं चाहता हूं कि आप किसी मंत्री द्वारा किये जाने वाले ऐसे आक्षेपों से हमारी रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो बात कही है उससे विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न तो नहीं उठता है। जहां तक दूसरी चीज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को कोई राय नहीं देनी चाहिए। परन्तु सदन के सुचारू कार्यसंचालन के हित में मैं यह अवश्य चाहता

हूं कि हम सब नम्र शब्दों का प्रयोग करें और एक दूसरे पर आक्षेप न करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं माननीय मंत्री को दोषी ठहरा रहा हूं। हो सकता है कि आवेश में आकर उन्होंने ऐसा कह दिया हो।

मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि एक दूसरे पर आक्षेप न करें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं था कि सम्बन्धित माननीय सदस्य पर कोई आक्षेप करूं? हां, जहां तक किसी दल विशेष का सम्बन्ध है, मैं अपना यह अधिकार सुरक्षित रखना चाहूंगा कि उसके बारे में मैं जो कुछ समझता हूं वह कह सकूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आपके द्वारा मैं माननीय सदन नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन में कुछ ज्यादा समय तक उपस्थित रहने का प्रयत्न करें क्योंकि वह न केवल किसी एक दल के बल्कि समस्त सदन के नेता हैं। मुझे यकीन है कि उस दिन यदि वह सदन में उपस्थित होते तो इस मामले में ज़रूर हस्तक्षेप करते।

प्रधान मंत्री तथा सदन-नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने यह सुझाव देकर कि मुझे सदन में अधिक समय तक उपस्थित रहना चाहिए, मेरी भी इस बात के लिये निंदा की है कि पूर्व अवसरों पर मैं सदन में उतने समय तक मौजूद नहीं रहा हूं जितने तक कि मुझे रहना चाहिए था। यह कह कर शायद वह उसी चीज़ के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं जिसके लिये उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि इन दो चीज़ों में क्या परस्पर सम्बन्ध है। सदन-नेता का यह काम नहीं है कि वह सदन में बैठकर यह देखे कि कोई सदस्य ठीक तरह से व्यवहार कर रहा है या नहीं। इसके लिये तो श्रीमान्, आप यहां हैं ही। मैं मानता हूं कि सदन-नेता को, और सच तो यह है कि अन्य सदस्यों को और मंत्रियों को भी, सदन में अपने अपने कार्यों के सम्बन्ध में मौजूद रहना चाहिए। परन्तु मैं समझता हूं कि सदन यह तो नहीं चाहेगा कि सदन-नेता या अन्य व्यक्ति कोई खास काम न होने पर भी यहां मौजूद रहें, चाहे उससे अन्य जरूरी कामों म हर्ज भले ही हो रहा हो।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : क्या मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता हूं, श्रीमान्, क्या किसी सदस्य द्वारा किसी विशेष राजनैतिक विचारधारा की सद्भावनाओं को चुनौती दिया जाना संसदीय परम्पराओं के अनुकूल है?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न बहुत साधारण सा है, अतः हमें अधिक गहराइयों में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम अगला कार्य आरम्भ करें सचिव अब राज्य परिषद से प्राप्त संदेश पढ़ कर सुनायेंगे।

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

सचिव : मुझे यह सूचना देनी है कि मुझे राज्य परिषद के सचिव से निम्न दो संदेश प्राप्त हुए हैं :—

(१) "राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश मिला है कि राज्य परिषद् ने अपनी २५ नवम्बर, १९५३ को हुई बैठक में पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) विधेयक, १९५२ को, जो कि लोक-सभा द्वारा १७ नवम्बर, १९५३ को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

(२) "राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १६२ के

[सचिव]

उपनियम (६) के उपबन्धों के अनुसार मुझे समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक १९५३ को, जो कि लोक-सभा द्वारा अपनी १७ नवम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया गया था और राज्य परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, इसके साथ वापस भेजने और यह कहने का निदेश मिला है कि परिषद् को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

पटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधियोजना, १९५२ के संशोधन

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : मैं पटल पर, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या पी एफ--५३६ (२) दिनांक २८ अक्टूबर, १९५३ की, जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि-योजना १९५२ में आगे संशोधन किये गये हैं, एक प्रतिलिपि रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस--१७३/५३]**

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार अधिनियम १९५० के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल गेशन) : मैं पटल पर, दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार अधिनियम, १९५० की धारा ५२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, यातायात मंत्रालय अधिसूचना संख्या १८--टी ए जी (१९)/५३ दिनांक १० सितम्बर, १९५३ की एक प्रतिलिपि रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस--१७४/५३]**

जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं जन प्रतिनिधि अधिनियम, १९५० और जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में आगे संशोधन करने और भाग 'ग' राज्य अधिनियम, १९५१ में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब सदन औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार करेगा। इसके पूर्व कि मैं श्री टी० बी० विट्ठल राव से अपना अधूरा भाषण जारी करने के लिये कहूं, मैं सदन को सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें याद दिलाना चाहता हूं जिनमें उसने यह कहा था कि यह विधेयक १ दिन में--यानी ४ घंटे में--समाप्त हो जाना चाहिये। सदन इस पर ३ घंटे २१ मिनट तो पहले ही चर्चा कर चुका है। इसलिये अब केवल ३९ मिनट और बचे हैं। मैं इसका उल्लेख इस समय इसलिये कर रहा हूं जिससे कि माननीय सदस्यगण आगे इस बात का ध्यान रखें। यदि वे तृतीय वाचन की अवस्था पर कोई वाद विवाद नहीं चाहते हैं तो वे इस समय बोल सकते हैं और यदि उनका विचार यह है कि उस अवस्था पर भी कुछ कहा जाये तो वे इन ४० मिनटों में से जितना समय चाहें उस अवस्था पर बोलने के लिये सुरक्षित रख सकते हैं।

३ म० प०

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : माननीय मंत्री को खंड ३ का उत्तर देने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी?

श्रम मंत्री (वी० वी० गिरी) : आध घंटा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त (बसीरहाट) : श्रीमान्, आपने बताया कि प्रत्येक विधेयक के

गुण दोषों का ध्यान में रखते हुए इस पर विचार होगा । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है तथा इसके बारे में महत्वपूर्ण संशोधनों की सूचना भी दी गई है, कहीं कहीं सिद्धान्त का प्रश्न भी उत्पन्न होता है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि इस विधेयक के लिए निश्चित की गई कालावधि बढ़ा दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे । मेरे विचार में यह अच्छा होगा कि यह चालीस मिनट का समय सदस्यों के बोलने के लिए ही रखा जाये तथा इसके अलावा मंत्री जी को बोलने के लिए आधा घंटा दिये जाये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : फिर द्वितीय वाचन होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह द्वितीय वाचन तथा तृतीय वाचन दोनों के लिए होगा ।

तीसरा वाचन भी होगा परन्तु उस पर वाद विवाद नहीं होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमन्, कुछ मामलों के सम्बन्ध में हमारी कार्यवाही बहुत ही संक्षिप्त रही है । हम सरकार को अपने रचनात्मक सुझाव देने की जिम्मेदारी से चूक नहीं सकते हैं । वास्तव में यदि हम कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों का अति-सावधानी से अनुसरण करेंगे तो हमारे प्रक्रिया नियमों का विशेष रूप से परिवर्तन होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के प्रथम तथा द्वितीय वाचन पर दो दिन लग चुके हैं, आज भी इस के तृतीय वाचन आदि पर ७० मिनट व्यतीत होंगे । यदि हम अपने भाषणों को संक्षिप्त करने का प्रयत्न न करेंगे और बार बार एक ही बात कहने की आदत न छोड़ेंगे तो हमारे लिये काम करना मुश्किल होगा, बाकी विधायिनी कार्यवाही रह जायेगी । फिर तो यह कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति ने जिसमें कि सभी पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, निश्चित किया है तथा हमें इसके फैसलों पर चलना चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरंग) : श्रीमन्, मैं संशोधन संख्या ११७ को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका समय हो चुका है । इसकी अनुमति इस समय नहीं दी जा सकती है जब तक कि इसे स्वीकार करने के लिए सभी पक्ष उद्यत न हों ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : तीसरे वाचन के लिए निश्चित समय के अलावा दो घंटे रखे जायें; हम देर तक बैठने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस सिलसिले में सचिवालय के कर्मचारी वर्ग की कठिनाई को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । ज्यादा से ज्यादा आप यह समय आधे घंटे से बढ़ा सकते हैं, अर्थात् खंडों के लिए आध घंटा, उत्तर के लिए आध घंटा तथा बाकी बातों के लिए आध घंटा, मेरे विचार में यह संतोषजनक होना चाहिये ।

श्री बंसल : श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कई संशोधन पेश किये गए हैं, स्वयं माननीय मंत्री ने कुछेक सुझावों की सूचना दी है । हमें उन से यह सुनने का अवसर नहीं मिला है कि उन्होंने यह संशोधन क्यों सुझाये हैं । सामान्यतः ऐसे मामलों में माननीय मंत्री स्पष्टीकरण देते हैं । मंत्री जी का एक संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसका सम्बन्ध त्रिदलीय करार से है ।

अध्यक्ष महोदय : इस तर्क में कुछ ज़ोर है । मैं समझता हूं कि विठ्ठल राव के भाषण के बाद माननीय मंत्री अपना संशोधन प्रस्तुत करने के कारण दे सकते हैं तथा अन्त में वह वाद विवाद का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : श्रीमन्, पिछले दिन मैं यह सुझाव दे रहा था कि कपड़ा मिलों के उन बदली कम करों को भी इस विधेयक के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये जिन्होंने कि २४ महीनों में ३६० दिन काम किया हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन]

अब मैं उन स्थायी कामकरों का उल्लेख करूंगा जो कि 'सीज़नल' फैक्टरियों में काम करते हैं, यह कमकर कई तरह से घाटे में हैं । जहां तक काम करने का सम्बन्ध है वह निरन्तर रूप से नियुक्त होते हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश वह ऐसी फैक्टरियों में काम करते हैं जो कि विशेष मौसमों में ही चला करती हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह उस प्रतिकर से वंचित नहीं रखे जाने चाहियें जो कि उन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत मिलेगा । यह लोग हड़तालों के दौरान में भी काम करते रहते हैं ।

दूसरा संशोधन, जो कि सरकार ने प्रस्तुत किया है प्रतिकर के लिए ग्राह्य व्यक्तियों के सेवाकाल के दिनों की गणना से सम्बन्ध रखता है । सरकार ने संशोधन पेश किया है कि यह पूरे वेतन पर वार्षिक छुट्टी होनी चाहिये जिसका अर्थ यह होगा कि वह इस विधेयक के कार्य क्षेत्र में उन कमकरों को शामिल नहीं करते हैं जो कि आधे वेतन पर छुट्टी पर होंगे अथवा जिन्होंने बीमारी की छुट्टी ली होगी ।

यह एक महत्वपूर्ण मामला है । मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कोयला खान बोनस नियमों के अनुसार उन व्यक्तियों को २१ दिन की रियायत दी जाती है जो कि छुट्टी पर होते हैं अथवा जो बीमार होते हैं । लेकिन यहां यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वही छुट्टी ध्यान में रखी जायगी जो कि पूरे वेतन पर दी गई हो ।

कोयला खानों में यदि कोई कमकर घायल हो जाये तो उसे ठीक होने में दो तीन महीने लग जाते हैं । यदि उस अवकाश काल में कमकर ड्यूटी पर समझा जायगा । तो कुछ और कमकर इस प्रतिकर के हक़दार होंगे । केवल छुट्टियों का ज़िक्र करके कोई श्रमिक इस प्रतिकार का हक़दार नहीं होगा । इस प्रश्न पर स्थायी श्रम समिति में भी गत जुलाई में विचार नहीं किया गया । मैं समझता हूं कि यह संशोधन नियोजकों के प्रति सरकार की एक रियायत है ।

इस संशोधन विधेयक में जितने प्रतिकर का निबन्धन रखा गया है कुछ समवाय, जैसे कि ब्रिटिश स्वामित्व के समवाय, उससे अधिक देते रहे हैं । वह कमकरों की छटनी करने से डरते थे । परन्तु अब वह छटनी करने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे । इसी लिए मैंने अपने संशोधन में कहा है कि प्रतिकर प्रत्येक वर्ष के लिए १५ दिन से कम नहीं होना चाहिए ।

सरकार ने दूसरा संशोधन जो प्रस्तुत किया है वह यह है कि किसी कमकर का छुट्टी-प्रतिकर उसके छटनी प्रतिकर से चुकता जायगा । मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि संशोधन में यह उपबन्ध रखा जाये कि प्रथम ४५ दिन की छुट्टी का प्रतिकर चुकता नहीं जायगा । बाक़ी दिनों के लिए उन्हें जो प्रतिकर मिलेगा वह छटनी प्रतिकर से घटा दिया जाये ।

दूसरा संशोधन यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई कमकर कोई वैकल्पिक काम, जो कि वही नियोजक पांच मील के इर्द गिर्द इलाके में उसे अपने किसी दूसरे समवाय अथवा संस्था में उपलब्ध करायेगा, स्वीकार करने से इंकार करेगा तो वह किसी प्रतिकर का हक़दार नहीं होगा । मैं इस संशोधन को भी मानने के लिए तैयार हूं, किन्तु ऐसी दशा

में उस कम कर का पूर्व सेवा काल नये समवाय अथवा संस्था में ध्यान में रखा जाना चाहिये । अन्यथा इसका विरोध ही करना पड़ेगा ।

फिर 'agreement' 'समझौते' का शब्द रखा गया है । जब इसके लिए आदेश तथा नियम मौजूद हैं तो समझौता होने अथवा न होने का कोई लाभ नहीं । शब्द 'समझौता' निविष्ट करने से कमकर अपने नियोजक के साथ कोई न कोई करार करने के लिए बाध्य होगा, यद्यपि ऐसे करार में कमकर का पक्ष अवश्य ही कमज़ोर होगा । इसलिए इस शब्द का लोप होना चाहिये ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की ओर ध्यान चाहिये कि कहीं यह संशोधन विधेयक कमकरों को उनके अपने मूल अधिकारों से वंचित तो नहीं करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० के० देसाई ।

श्री सर्मा (गोलाघाट जोरहाट) : श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि मंत्री जी प्रथम वक्ता के भाषण के बाद ही अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के कारण बता देंगे । हमें आशा है कि वह यह कारण दे देंगे विशेषकर संशोधन संख्या ३७ के सम्बन्ध में जिस में कि बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को शामिल नहीं रखा गया है।

श्री वी० वी० गिरी : जहां तक बागानों का सम्बन्ध है, त्रिदलीय बैठक में यह बात समझी गई थी कि इन्हें शामिल न रखा जाना चाहिये । मैं यहां केवल इस करार के भाव को कार्य रूप दे रहा हूं । मैं उन माननीय सदस्यों को जो कि इस विधेयक को चाय बागानों पर लागू होना देखना चाहते हैं, आश्वासन दे सकता हूं कि निस्सन्देह यह उनका अधिकार है तथा मेरा कर्तव्य है कि हम इस मामले को त्रिदलीय बागान श्रम सम्मेलन में उठायें तथा देखें कि यह काम कैसे किया जा सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री त्रिदलीय करार के उन भागों का उत्तर दे देंगे जिन्हें कि श्री त्रिपाठी ने पढ़ कर सुनाया है तथा जिनमें कि उन्होंने यह दिखाया है कि कार्यवाही के दौरान में बागान श्रम को शामिल न रखने की कोई बात नहीं की गई है ?

श्री वी० वी० गिरी : मैं माननीया सदस्या को आश्वासन दे सकता हूं कि इसे शामिल नहीं रखा गया था ।

श्री बंसल : संशोधन संख्या ४५ के बारे में आपकी राय क्या है ?

श्री वी० वी० गिरी : जहां तक संशोधन संख्या ४५ का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यह विधेयक के तत्स्थानीय उपबन्धों के भाव अथवा शब्दों के प्रतिकूल नहीं है । यह ठीक है कि विधेयक में कहा गया है कि बारह महीनों की कालावधि में किसी कमकर को देय "ले-आफ़" प्रतिकर ४५ दिनों से अधिक नहीं होगा । यह नियोजकों तथा कमकर के बीच हुये करार की एक शर्त है तथा हमने इसे वहां से उठा कर पहले अध्यादेश में तथा फिर इस विधेयक में रखा । परन्तु करार में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है कि उस अवस्था में क्या किया जाना चाहिये जबकि नियोजक को प्रथम ४५ दिन से अधिक समय के लिये मज़दूरों को बेकार रखना पड़ेगा और भी जब अस्थायी बेकारी के सम्बन्ध में करार हुआ तो उस समय सम्बन्धित पक्षों के पास छोटी के बारे में कोई प्रस्थापना नहीं थी तथा इस तरह से उन्हें अस्थायी बेकारी (ले-आफ) को छंटनी से सम्बद्ध करने का कोई उपाय नहीं था । तो इस समस्या को हल किया जाना था कि उस दशा में जबकि एक नियोजक को वर्ष के पूर्व महीनों में ४५ दिन

[श्री वी० वी० गिरी]

की अस्थायी छटनी (ले-ग्राफ) से गुजर कर परिस्थितिवश अपने कमकरों को और अधिक समय के लिए बेकार रखना पड़े क्या किया जाना चाहिए। तो, ऐसी दशा में क्या नियोजक को इस बात की अनुमति होती कि वह आवश्यकता पड़ने पर कई महीनों तक बिना किसी प्रतिकर के अपने कमकरों को बेकार रखे? अथवा क्या यह उचित होगा कि ऐसी दशा में नियोजक अपने कमकरों की छांटी करे तथा उनको बेकारी उपदान दे जिससे कि वह कहीं और अपना काम धंधा ढूंढे। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी दशा में अस्थायी छांटी (ले-ग्राफ) का प्रतिकर देय उपदान से चुकता जाना चाहिये? इस विधेयक के पास करने से पूर्व हमें इन कुछेक प्रश्नों का उत्तर दे देना था।

इस संशोधन के अनुसार ४५ दिन के बाद 'ले-ग्राफ़' प्रतिकर सभी परिस्थितियों में देना अनिवार्य नहीं है। प्रथम ४५ दिनों के 'ले-ग्राफ़' के बाद नियोजक के सामने तीन रास्ते हैं। वह या तो और अधिक 'ले-ग्राफ' के सम्बन्ध में अपने कमकरों के साथ कोई समझौता कर सकता है। इसमें उसे प्रतिकर देना पड़े अथवा न देना पड़े। यदि कोई समझौता न हो सकेगा तो वह अपने उन कमकरों की छटनी कर सकता है तथा उन्हें निश्चित उपदान दे सकता है, किन्तु उस में से 'ले-ग्राफ' प्रतिकर की वह राशि चुकता की जायगी जो कि कमकरों को पहले मिली होगी। यदि कोई समझौता न हो सकेगा। तथा वह निश्चित उपदान देकर कमकरों की छटनी करने के लिए भी तैयार न होगा तो वह कमकरों को अग्रेतर समय के 'ले-ग्राफ' प्रतिकर देता रहेगा। हमने इस करार के द्वारा इन दो बातों को मिलाने का प्रयत्न किया है। तथा ऐसा कुछ पक्षों की राय जान कर किया गया है।

श्री सर्मा : मंत्री जी ने बताया कि बागान श्रम का मामला इसमें शामिल नहीं किया गया है, परन्तु श्री के० के० देसाई तथा श्री के० पी० त्रिपाठी का कहना है कि यह प्रश्न उठाया गया था।

श्री वी० वी० गिरी : प्रश्न तो उठाया गया था किन्तु इसे शामिल नहीं किया गया।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : त्रिदलीय करार के किस पृष्ठ पर इसका ज़िक्र आया है?

श्री वी० वी० गिरी : करार में इसका ज़िक्र आने का कोई प्रश्न नहीं। वैसे तो यह हमारा आपसी समझौता था।

श्री के० के० देसाई : मैं संक्षेप में अपने तीन या चार संशोधनों के विषय में निवेदन करूंगा।

जहां तक संशोधन संख्या ८ और १९ का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें इसलिये प्रस्तुत किया है कि कुछ राज्यों में पहले से चल रहे कानून अप्रभावी न हो जायें। मैं देखता हूं कि स्वयं सरकार ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और इसलिये ये संशोधन आवश्यक नहीं हैं।

संशोधन संख्या १५ में मैंने शब्द "उपदान" के स्थान पर शब्द "मुआवजा" आविष्ट करने की अपेक्षा की है। सरकार द्वारा भी यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। इस लिये मैं इस पर कुछ और नहीं कहना चाहता।

संशोधनों की सूची ५ में मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं और उनकी आवश्यकता इस लिये पड़ी कि माननीय मंत्री जी के किंचित लम्बे संशोधन में कुछ मजदूरों के मामले में मुआवजे के क्षेत्र को संकुचित कर दिया गया है जिससे कि, जैसा उन्होंने कहा, यह तथाकथित समझौते। किन्तु मुझे डर है कि

न्यायालय उसकी वृहत्तर व्याख्या करेंगे तथा इन उद्योगों में छंटनी किये गये मजदूरों को भी छंटनी उपदान से वंचित कर देंगे । इस लिये अपने संशोधनों में मैंने यह अपेक्षा की है कि ५० से अधिक मजदूरों को रखने वाली फैक्टिरयों पर ही 'ले आफ' उपबन्ध लागू हो जबकि छंटनी वाला खंड औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली सभी फैक्टरियों पर लागू हो ।

श्री बंसल द्वारा यह आपत्ति उठाई गई है कि इस संशोधन द्वारा उस समझौते से परे जाया जा रहा है जो कि त्रिदलीय सम्मेलन में हुआ था । किन्तु मेरा विश्वास है कि यह संशोधन अत्यन्त आवश्यक है ।

अब मैं बागान के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार का कोई विशिष्ट समझौता नहीं हुआ था कि बागान मजदूरों को भी इसमें सम्मिलित किया जाय किन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें वर्जित भी नहीं किया गया था । बागान मजदूर देश के मजदूरों का एक बहुत बड़ा भाग है । उनकी संख्या १० लाख से कम नहीं है । उन्हें इस लाभ से वंचित करना वास्तव में बड़ी निर्दयता होगी । फिर, विशेष-कर दक्षिण भारत में, भारी वर्षा के समय, यदि ये बागान मजदूर काम करना भी चाहें, तो भी अपने घरों से वे बाहर नहीं निकल सकते । इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वे काम करने की इच्छा रखते हुए भी मजबूर हैं। इसलिये उनको भी इस विधेयक में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं सदन से अपने संशोधनों का समर्थन करने का निवेदन करता हूं ।

श्री बंसल : मैं माननीय मंत्री जी द्वारा खंड ३ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या ४५ पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न पर स्थायी मजदूर समिति की गत बैठक में विचार नहीं किया जा सका था । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वह फिर से स्मरण करें, उन्हें याद आ जायेगा कि इस पर उक्त समिति में चर्चा हुई थी और समिति इस निर्णय पर पहुंची थी कि 'ले आफ' का मुआवजा ४५ दिन से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए । श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि 'ले आफ' मुआवजा अनिश्चित काल के लिये स्वीकार्य नहीं हो सकता । यदि कोई फक्टरी ऐसे कारणों से बन्द होती है जो उसके नियंत्रण के बाहर हैं, तो यह युक्तियुक्त ही है कि 'ले आफ' मुआवजे की कोई सीमा बांध दी जाये । स्थायी मजदूर समिति में यह समय सर्व-सम्मति से ४५ दिन रखा गया था ।

फिर, मैं माननीय मंत्री जी से नम्रता-पूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि यदि उन्हें यह संशोधन लाना था तो उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों से मशविरा क्यों नहीं लिया । उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कहा कि यह संशोधन उन्होंने सम्बन्धित दलों से मंत्रणा करके ही प्रस्तुत किया है । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह बात अतिशयोक्ति है । उन्होंने अपने पास आये हुए कुछ मिल मालिकों से भले ही पूछ लिया होगा । वे लोग अपने संगठनों द्वारा इस प्रकार वचनबद्ध होने के अधीकृत नहीं थे । मुझे मालूम हुआ है कि ऐम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया के सभापति द्वारा इसके विरोध में एक तार भेजा गया है । मेरा यह निवेदन है कि एक बार कोई चीज़ निरणीत हो जाने पर उससे पीछे हटना, संबन्धित दलों के प्रति उचित नहीं है ।

मैं समझता हूं कि त्रिदलीय व्यवस्था की सबसे अधिक बैठकों में मैं उपस्थित

[श्री बंसल]

रहा हूं। मैं सदन को बतला सकता हूं कि जब भी कोई अवसर आया है और मजदूरों तथा मालिकों से किसी भी त्रिदलीय समझौते में शामिल होने को कहा गया है, मजदूर तथा मालिकों दोनों ने परस्पर सहयोग की भावना का प्रदर्शन किया है और उन समझौतों को पूरी तरह से निभाया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि ये समझौते भविष्य में स्वेच्छा से किये जायें तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में उनका पालन हो। यह जो संशोधन लाया गया है उससे उन लोगों के मस्तिष्क में शंका उत्पन्न हो जायेगी जो कि उन समझौता में शामिल होने के इच्छुक रहे हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब भी वे औद्योगिक सम्पर्क अधिनियम का कोई संशोधन प्रस्तुत करें तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें तथा मजदूरों और मालिकों दोनों को भरोसे में लें।

एक शब्द में श्री के० के० देसाई के संशोधन १०९, ११० और १११ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उन्होंने अपेक्षा की है कि शब्द "औद्योगिक उपक्रम" के स्थान पर "उद्योग" रखा जाये। इसका प्रभाव यह होगा कि जब कोई मजदूर किसी उद्योग विशेष में कार्य कर रहा है तो बिना इस विचार के कि वह लगातार कार्य करता रहा है या नहीं, वह लगातार सेवा के दावे का हकदार होगा। यह चीज स्पष्ट ही ठीक नहीं है। अतः मैं श्री खंडूभाई देसाई से अपने इस संशोधन को वापस लेने की प्रार्थना करता हूं। किन्तु मैं उनके उस संशोधन का समर्थन करता हूं जिसमें कि 'कामगर' के स्थान पर 'औद्योगिक मजदूर' निविष्ट करने की अपेक्षा की गई है।

श्री सर्मा : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है। इस प्रकार के विधान में यदि मजदूर वर्ग के एक बहुत बड़े भाग को छोड़ दिया जाये तो यह बिलकुल अपूर्ण ही रह जायेगा। यह कहा गया है कि बागान मजदूरों का मामला त्रिदलीय सम्मेलन में सम्मिलित नहीं किया गया था। मेरा निवेदन है कि इसका दोष मजदूरों पर नहीं डाला जाना चाहिए। मालिक तो स्वभावतः ही इस पर तैयार नहीं होंगे। कुछ ही समय हुआ, एक चाय कम्पनी के १७,००० मजदूर बेकार हो गये। ऐसे गरीब मजदूरों का क्या हो जो अपना पेट रोज़ की कमाई से पूरा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले को बिना त्रिदलीय सम्मेलन को निर्दिष्ट किए, उन्हें भी इस विधेयक में सम्मिलित कर लें।

श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना) अपने प्रथम संशोधन संख्या ३० के सम्बन्ध में मेरा केवल यह तर्क है। ऐसे उद्योगों के मजदूरों को भी मुआवजा मिलना चाहिए जो सीज़नल हैं। इस सम्बन्ध में मैं उससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता जो श्री दिनकर देसाई ने स्थायी मजदूर समिति में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था।

जहां तक मेरे संशोधन संख्या ५१ का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मजदूर को रोज़ एक बार फैक्टरी में उपस्थित होना पड़े और फिर उसे कोई काम नहीं दिया जाय तो इसका अर्थ है कि उसे कम से कम दो घंटे इन्तज़ार करना पड़ेगा। अर्थात उस दिन वह कहीं और जाकर काम नहीं ढूंढ सकता। आप मजदूर से इस प्रकार की आशा कैसे कर सकते हैं जो अपनी रोज़ी रोज़ कमा कर पेट भरता है।

अपने तीसरे संशोधन के विषय में मुझे यह कहना है। यह कहा गया है कि सबसे पहले उसी मजदूर को निकाला जाय

जो सबसे बाद में नियुक्त किया गया है। किन्तु इसके साथ एक चीज़ यह और जोड़ दी गई है कि मालिक उसके स्थान पर किसी अन्य मजदूर को निकाल सकता है यदि वह लिखावट में उसके कारण उल्लिखित करे। यह मिल मालिक के लिये एक बहुत बड़ी छूट है। वह तो कितने कारण बतला सकता है और उन्हें लिख सकता है। इस लिये ये शब्द हटा देने चाहिएं।

संशोधन संख्या ४५ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह संशोधन आवश्यक है और मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत करके बहुत अच्छा किया है।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम (गुंटूर): मेरा केवल एक संशोधन है, संशोधन संख्या ८६। इसमें खंड २५ ङ के उपखंड (४) के अपमार्जित करने की अपेक्षा की गई है। इस खंड के रहे आने से मजदूरों को न्याय नहीं मिल सकेगा। इसमें कहा गया है कि यदि किसी समवाय का कोई सेक्शन हड़ताल पर हो तो मजदूर को मुआवजा नहीं मिलेगा। इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो कि हड़ताल के लिये उत्तरदायी ठहराये जायेंगे। यह उस सेक्शन विशेष के प्रति अन्याय होगा। इसलिये खंड को हटा देना उचित है।

श्री सिंहासन सिंह : मेरा संशोधन मौसमी कर्मचारियों के विषय में है। यू० पी० का एक प्रधान उद्योग चीनी-उद्योग एक मौसमी उद्योग है, यद्यपि प्रत्येक मिल में लगभग एक तिहाई कर्मचारी स्थायी होते हैं। निर्दिष्ट समझौते में स्थायी कर्मचारियों को वेतन देने और उनके बिठाये रखा हुआ (लेड आफ) माने जाने का उपबन्ध है। श्री बंसल भी मुझ से सहमत हैं कि चीनी उद्योग के कर्मचारियों को यह वरीयत दी जाये। मेरे जिले गोरखपुर-देवरिया में ही २७ चीनी मिलें हैं। दूसरी बात मुझे माननीय मंत्री के संशोधन संख्या ४७ के बारे में कहनी है, जिस में पुराने कारखाने से पांच मील की परिधि में नई नौकरी मिलने पर क्षतिपूर्ति के बारे में उपबन्ध है। एक मजदूर पहले कारखाने में ही काम करने को ४-५ मील चल कर जाता था, और अब यदि उसे पांच मील और अधिक चलना पड़ा, तो नये कारखाने में काम करना उसके लिये असंभव हो जायेगा। शायद श्री बंसल ने कहा था कि श्री खंडू भाई देसाई के कहने पर माननीय मंत्री ने यह संशोधन माना है। पर इस संशोधन से मजदूरों को कठिनाई होगी, और इसे वापस ले लिया जाये।

श्री वी० वी० गिरि : विविध संशोधनों को लेने के पहले में माननीय मित्र श्री लंकासुन्दरम की दो बातें निपटा लूं। पहली बात यह कि विधेयक के खंड २५१ के इस उपबन्ध को प्रभावी बनाया जाय कि किसी कामकर को चालू अधिनिर्णयों या मालिक के साथ हुई संविदा द्वारा मिले किसी अधिकार पर यह विधेयक उलटा प्रभाव न डालेगा। यह कहना तो यही कहने के बराबर है कि विधि को प्रभावी बनाया जाये और उसका उल्लंघन न होने दिया जाय। यह तो सरकार का कर्त्तव्य ही है और उसका पालन सभी विधियों के विषय में किया ही जायेगा।

दूसरी बात यह थी कि खंड २५ (ङ) के अनुसार दिया जाने वाला वैकल्पिक काम ऐसा न हो कि एक कारीगर को शारीरिक श्रम करना पड़े। महात्मा गांधी आजीवन अपने व्यवहार द्वारा हमें शारीरिक श्रम और गंदे से गंदे श्रम का महत्व सिखलाते रहे थे और हाल में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री समेत हमारे नेताओं ने शारीरिक श्रम को सम्मान देने का आदर्श हमारे सामने रखा है। किसी भी कामकर को किसी

[श्री वी० वी० गिरी]

भी काम को असम्मानपूर्ण नहीं मानना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डा० लंकासुन्दरम तथा देश के अन्य सभी मजदूर संघ-नेता इस विषय में मजदूरों को संरक्षण देंगे। और इस समझौते को मानते समय प्रत्येक पक्ष ने यह भली भांति समझ लिया होगा कि इस प्रकार अस्थायी काम का प्रदान अनिवार्य हो जायेगा।

श्री त्रिपाठी अपने संशोधन संख्या ३५ में चाहते थे कि बिठाये रखने (ले-आफ) सम्बन्धी उपबन्धों के अपवाद उन्हीं मौसमी संस्थापनों तक सीमित रहें, जो सविच्छेद होते हैं। बहुत थोड़े कारखाने साथ साथ मौसमी और सविच्छेद दोनों ही प्रकार के होते हैं, और इसके फलस्वरूप सभी मौसमी कारखाने इनके क्षेत्र में आ जायेंगे। आपसी समझौते के एक महत्वपूर्ण निबन्धन के विरुद्ध होने के कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

संशोधन संख्या ३८ द्वारा एक माननीय सदस्य रोपण मजदूरों को भी ये लाभ देना चाहते थे। मुझे रोपण मजदूरों और श्री त्रिपाठी तथा अन्य सभी के साथ पूरी सहानुभूति और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव उनके साथ रहा हूं। मैं उनके लिये भरसक सब कुछ करूंगा। पर जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि औद्योगिक संस्थापनों को ही लेने वाला बिठाये रखने (ले आफ) सम्बन्धी उपबन्ध कारखाना अधिनियम और खान अधिनियम के ही अधीन आता है, और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही मैं यह बात त्रिदली-श्रम सम्मेलन के सम्मुख रखूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि समझौता न होने के कारण इस विषय पर विचार नहीं किया जायेगा। निरन्तर कष्ठ उठाते रहने वाले रोपण-मजदूरों के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है और समझौता हो या न हो, सरकार इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि मालिकों और मजदूरों में समझौता हो जायेगा; पर समझौता न भी हो, तब भी सरकार रोपण मजदूरों को ये लाभ देने के लिये स्वतंत्र रूप से और सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री त्रिपाठी संशोधन संख्या ४० द्वारा चाहते थे कि खंड २५ ख में दिये गये २४० दिन घटा कर २०० दिन कर दिये जायें। बहुत से विशेषित अपवर्जनों समेत २४० दिनों का प्रमाप काफी उदार है और कारखाना अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में माना गया है। मुझे भय है कि इसे घटा कर २०० दिन नहीं किया जा सकता।

खंड २५ ख के उनके संशोधन ४९ के विषय में कि ताला बन्दी या मुअत्तली, निकाल देना या पदच्युत करना निरंतर सेवा मानी जाये, मैंने उस दिन खंड (ङ ङ ङ) और खंड २५ ख का अन्तर बताया था, जो "निरंतर-सेवा" की परिभाषा बताते हैं। मैंने कहा था कि कामकर या तो ३०५ दिन और अपवर्जनों की बड़ी सूची या २४० दिन और अपवर्जनों की सीमित सूची में से एक बात मान लें। तालाबन्दी पहले में गिनी गई है। मुअत्तली, निकाल देने या पदच्युति के विषय में मुझे विश्वास है कि जब कोई न्यायाधिकरण या समझौता पुनः रखे जाने के लिये कहेगा, तो वह अनुपस्थिति के समय को कार्य का समय मानेगा और विशेष उपबन्ध आवश्यक न होगा। जहां ऐसा निदेश न दिया गया हो, कार्य-काल के इन व्यवधानों को "निरंतर सेवा" मानना उचित न होगा। अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि अपने संशोधन पर

आग्रह न करें। उसी प्रकार श्री खंडूभाई देसाई से भी मेरा अनुरोध है कि अपने संशोधन पर आग्रह न करें। आगे चल कर हमें अनुभव हुआ कि कुछ हानि हो रही है, तो इस विषय पर विचार किया जायेगा।

छंटनी के लिये देय क्षतिपूर्ति के आगे बिठाये रखने (ले आफ) की क्षतिपूर्ति को रख लेने सम्बन्धी उपबन्ध के विषय में जो मेरे संशोधन संख्या ४५ में आता है, श्री त्रिपाठी का कहना है कि इन दोनों क्षतिपूर्तियों के दो पृथक लक्ष्य हैं और एक दूसरे के आगे नहीं रखी जा सकती। अधिकतम राशि जो रखी जा सकेगी, साढ़े बाइस दिनों के वेतन तक परिसीमित है। मुझे भय है कि यदि इसकी अनुमति न दी गई तो मालिकों का बोझ बहुत बढ़ जायेगा।

श्री त्रिपाठी अपने संशोधन संख्या ४८ और ४९ द्वारा मालिकों के स्वविवेक से यह अधिकार छीन लेना चाहते हैं कि बिठा रखा गया मजदूर कुछ वैकल्पिक काम कर सकता है या नहीं। इसका फल यह होगा कि यह बात अधिनिर्णयन का विषय बन जायेगी। मजदूर तुरन्त मजूरी चाहते हैं, लम्बे मकद्दमे नहीं; और मुकद्दमों की संख्या बढ़ाना उचित न होगा। फिर जैसा मैंने कहा मजदूरों को श्रम का सम्मान करना चाहिए, अतः मैं वे संशोधन नहीं मान सकता।

अपने संशोधन संख्या ५० में श्री त्रिपाठी संस्थापन में दिन में एक बार मजदूर की उपस्थिति की बात पर आपत्ति करते हैं। मेरे विचार से यह मांग अनुचित नहीं है। मजदूर को घर बैठने के लिये मजूरी नहीं मिलती और यदि वह काम के लिये उपलभ्य नहीं है, तो कोई कारण नहीं कि उसे कुछ भी क्षतिपूर्ति दी जाये। उसी संशोधन में श्री त्रिपाठी ने एक संगत बात उठाई है कि बिठाये रखने (ले आफ) की क्षतिपूर्ति की अनुपूर्ति के लिये यदि मजदूर अन्यत्र तत्काल उपलब्ध कुछ अन्य काम कर लें, तो उसे क्यों रोका जाये? मालिक को अधिकार है कि बिठाये रखने की क्षतिपूर्ति देने से पहले मजदूर को दो घंटे रोक ले। इसका अर्थ है कि वह वैकल्पिक काम नहीं कर सकेगा। यदि वह चाहे, तो दिन के शेष भाग में कुछ काम कर सकता है, जिसके लिये उसको कुछ मिल जायेगा। अतः मैं संशोधन संख्या ५० को, ४० और ४१ पंक्तियों के विलोपन के विषय में, स्वीकार करता हूं। भले ही वे समझौते का एक अंग हो।

श्री त्रिपाठी अपने संशोधन संख्या ५३ में चाहते हैं कि ठेके में सेवा-समाप्ति की ठीक तिथि दी भी हो, फिर भी यदि उसमें सेवा-काल के बढ़ाने का विकल्प है, तो छंटनी की पूर्व सूचना देना आवश्यक माना जाये। जब सेवा-समाप्ति की स्पष्ट तिथि दी गई है तो मैं नहीं समझता कि मजदूर और पूर्वसूचना की मांग कर सकता है। उसे यह मान कर चलना चाहिए कि यदि वह आगे बढ़ाने की बात का पहले से फ़ैसला नहीं करा लेता तो उसकी सेवा समाप्त हो जायेगी। अतः मैं यह संशोधन नहीं मान सकता।

संशोधन संख्या ६२ में श्री त्रिपाठी सुझाते हैं कि खंड २५ज में यह उपबन्ध हो, "सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित"। चूंकि यह विधि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का अंग है सरकार को नियम बनाने के पूरे अधिकार हैं और इसका लिखा जाना आवश्यक नहीं है। अतः यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

श्री त्रिपाठी संशोधन संख्या ११५ में चाहते हैं कि इस विधि में उपबद्ध क्षतिपूर्ति से अधिक क्षतिपूर्ति यदि अन्यथा मिल रही हो, तो दी जाये। खंड २५-१ के उपखंड (१) में यह दिया जा चुका है।

[श्री वी० वी० गिरि]

श्री मोरे द्वारा रखे गये सात-आठ संशोधनों में अधिकांश, जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, श्री त्रिपाठी जैसे ही हैं। उन्होंने तीन संशोधनों का विशेष निर्देश किया था और मैं उनका उत्तर दे दूंगा। उन्होंने कहा कि "मौसमी" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, और इस कारण अपने संशोधन संख्या ७९ द्वारा इन शब्दों के "and which are certified to be entitled to the benefit of this section by the prescribed authority after such enquiry as may be deemed necessary." ["और जो विहित अधिकार द्वारा आवश्यक समझी गई जांच द्वारा इस धारा के लाभ के अधिकारी प्रमाणित किये जायें"] रखे जाने का समर्थन किया है। उनके भाषण से बाद में स्पष्ट हुआ कि वह यह बात संबंधित सरकार या कार्यकारिणी के ऊपर नहीं डालना चाहते, बल्कि उपयुक्त न्यायिक प्राधिकार द्वारा निर्णय चाहते हैं। "मौसमी" कारखाना शब्द की परिभाषा इसके ठीक ठीक दिये जा सकने में कठिनाई होने के ही कारण कुछ अधिनियमों में नहीं दी गई है। कर्मकारी राज्य बीमा अधिनियम में इसकी परिभाषा दी गई है, कई सूचीबद्ध प्रक्रियाओं तथा कपास ओटने, जूट दाबने और गमूंफली छीलने आदि में लगे हुए कारखाने। शीघ्र ही हमें पता चल गया कि यह परिभाषा स्पष्टतः अपर्याप्त थी, क्योंकि उक्त परिभाषा में न आने वाले अनेक कारखाने निश्चय ही मौसमी कारखाने सिद्ध हुए। उसी प्रकार की कठिनाई सविच्छेद काम करने वाले कारखानों की परिभाषा करने में होगी। साथ ही मौसम की अवधि को लेकर एक मौसम और दूसरे मौसम की नौकरी में अन्तर हो सकता है। अतः विशिष्ट समयावधि निश्चित करना भी ठीक न होगा। इसी कारण मैंने यह बात संबंधित सरकार के निर्णय के ऊपर छोड़ देना पसंद किया। व्यवहार में विभिन्न सरकारें मौसमी कारखानों की एक सामान्य सूची बना सकती हैं, जिससे एकरूपता रहे। ऐसे विषय में मेरे विचार से यह शक्ति विभिन्न सरकारों को मिलना ही उचित है।

अपने संशोधन संख्या ९० में श्री मोरे चाहते थे कि खंड २५ (छ) में बताया गया छंटनी का आदेश मालिक और मजदूर के बीच कुछ भी समझौता होने पर भी लागू माना जाए। मैंने मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता सदा पसंद किया है। श्री मोरे का विचार है कि समझौता असमान होगा और अपेक्षतया दुर्बल पक्ष के लिये अनुचित होगा। मजदूरों को तत्काल या आगे चल कर अपनी शक्ति के लिये आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा और कोई कारण नहीं कि वे आजमाकर और अपनी गलतियों से पाठ सीखकर प्रगति क्यों न करें। अतः मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री बंसल : क्या माननीय मंत्री कुछ धीरे कहेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं थोड़े से मिनटों में सब कुछ सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूं। अतः श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं धीरे धीरे पढूंगा, पर प्रत्येक संशोधन के लिये मुझे जो कुछ कहना है, उसके लिये यदि आवश्यक हो तो आप कृपया मुझे कुछ मिनट और दे दें।

श्री एस० एस० मोरे संशोधन संख्या ९१ के अन्तर्गत यह चाहते हैं कि छटनी करते समय भरती के क्रम की उपेक्षा न की जाय किन्तु ऐसा तभी किया जाय जब कोई मजदूर अकार्यकुशल और शारीरिक रूप से असमर्थ हो अथवा अन्य कोई उचित कारण हो। मैं

समझता हूं विधेयक में "लिख दिये जाने वाले कारणों से" के अन्तर्गत ये सब बातें आ जाती हैं। कारण तो सदा संतोषजनक होने ही चाहियें। केवल "अच्छा" और "संतोष-जनक" शब्दों से मैं समझता हूं मज़दूरों के संरक्षण में बहुत परिवर्तन नहीं होगा। इस खण्ड से मालिकों को स्वविवेक का कुछ अधिकार मिलता है। अतः मैं समझता हूं कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये आग्रह नहीं किया जाना चाहिये।

श्री विट्ठल राव ने दस संशोधन प्रस्तुत किये हैं। वह चाहते हैं कि संशोधन संख्या ७ में "एक समझौते के अन्तर्गत" शब्द हटा दिये जायें जिससे कि इस उपबन्ध के अन्दर सभी 'ले ऑफ' सम्मिलित किये जा सकें चाहे वह समझौते के अन्तर्गत हों या न हों। जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसमें सभी स्थितियों में होने वाले 'ले आफ़' सम्मिलित हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन आवश्यक नहीं।

वह चाहते हैं कि संशोधन संख्या ११ के अन्तर्गत उस बदली मज़दूर को जिसने किसी जगह २४ पत्री महीनों के अन्दर ३६० दिन काम किया हो उसे नियमित मज़दूर की तरह 'ले ऑफ' क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये। विधेयक में यह अवधि एक वर्ष दी हुई है। मैं समझता हूं कि यह कोई मुश्किल बात नहीं है। जब तक कि कोई मज़दूर लगातार नौकरी नहीं करेगा उसे नियमित मज़दूर नहीं माना जा सकता। वह चाहते हैं कि संशोधन संख्या १३ में खण्ड २५ ङ का उप-खण्ड (४) हटा दिया जाय। यह संशोधन का अखण्ड भाग है और इसे हटाया नहीं जा सकता। संशोधन संख्या १६ द्वारा वह यह चाहते हैं कि नौकरी के पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष अथवा उसके छै महीने से अधिक भाग के लिये १५ दिन के औसत वेतन के दर से छटनी उपदान निर्धारित किया जाय। इससे तो न्यायनिर्णयन आदि के मामले बढ़ जायेंगे। इन अनुविहित उपबन्धों का एक उद्देश्य यह है कि ये मामले न्यायनिर्णयन के लिये न जायें। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। संशोधन ३६ द्वारा वह यह चाहते हैं कि जो मज़दूर सीज़नल फैक्टरियों में १२ महीने में १८० दिन से अधिक समय तक कार्य पर रहते हैं उन्हें 'ले-आफ़' क्षतिपूर्ति का फायदा मिलना चाहिये। इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से तो मिल मालिकों को ऐसे सभी मज़दूरों को १८० दिन का निर्धारित समय पूरा करने से पहिले निकाल देने में प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मज़दूरों को नुकसान होगा और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। संशोधन संख्या ४६ द्वारा वह जो कुछ करना चाहते हैं वह पूरी तरह से खण्ड २५१ के उप-खण्ड (१) में आ जाता है।

श्री विट्ठल राव अपने संशोधन संख्या ८१ द्वारा यह चाहते हैं कि जो मज़दूर खानों में नीचे काम करते हैं उनके १९० दिन को एक वर्ष की लगातार नौकरी के रूप में समझा जाना चाहिये। इस बारे में उन्होंने भारतीय खान अधिनियम का उद्धरण भी दिया। इस संख्या में 'ले-ऑफ़' तथा छुट्टी की अवधि नहीं मिलाई जायगी। किन्तु दोनों पार्टियों के समझौते के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए १९० दिन की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि दोनों पार्टियां १९० दिन के स्थान पर २४० दिन रखने को राज़ी हो जायें तो उचित समय में इस कानून में एक संशोधन करेंगे। संशोधन संख्या ८३ द्वारा वह यह चाहते हैं कि ४५ दिन के लिये 'ले ऑफ' क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो। और यह चाहते हैं कि ४५ दिन से अधिक अवधि की 'ल-ऑफ' क्षतिपूर्ति को छटनी उपदान में से चुकता कर लिया जाय। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। संशोधन संख्या ९३ द्वारा वह चाहते हैं कि 'अध्याय' के स्थान पर "अधिनियम" शब्द रख दिया जाय।

[श्री वी० वी० गिरि]

पूरा खण्ड ३ औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का अध्याय बन गया है इसीलिये उस शब्द का प्रयोग किया गया है ।

श्री खण्डूभाई ने दस संशोधन प्रस्तुत किये हैं, जिन में से कुछ के द्वारा वे बातें पूरी हो जाती हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं गया । मेरे संशोधन ४२ को दृष्टि में रखते हुए संशोधन संख्या ८ आवश्यक नहीं है । मैं उनके संशोधन संख्या १५ को स्वीकार करता हूं । मैं मानता हूं कि यह परिवर्तन, छटनी किये जाने के समय दी जाने वाली क्षतिपूर्ति और मज़दूरों को अन्य प्रकार से दिये जाने वाले उपदान में भेद करने के लिये आवश्यक है । इस अधिनियम की दृष्टि से संशोधन संख्या १९ भी आवश्यक नहीं है । मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या १०७, १०९, ११० तथा १११ में खण्ड २५ ख में दी हुई एक वर्ष की लगातार नौकरी की परिभाषा को 'ले ऑफ़' तथा छटनी दोनों पर लागू करने का अभिप्राय है । चूंकि इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की अपेक्षित बातें दी हुई हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि ये चारों संशोधन स्वीकार कर लिये जायें । संशोधन संख्या ११३ में यह बात स्पष्ट की गई है कि खण्ड २५ च, जिसका सम्बन्ध छटनी से है, "उद्योग" शब्द के अन्तर्गत आने वाले सभी स्थानों पर लागू होता है । यह संशोधन भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । संशोधन संख्या ११४ औपचारिक ही है अतः मुझे इसे स्वीकार करने में कोई ऐतराज़ नहीं है ।

अब मैं अपने संशोधनों के बारे में संक्षेप से कहूंगा । संशोधन संख्या ३७ फैक्टरियों तथा खानों में 'ले ऑफ़' के लिये दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित उपबन्धों को प्रतिबन्धित करता है । समझौते के पीछे यही भिप्राय था और यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये ।

संशोधन संख्या ४२ में यह बात स्पष्ट होती है कि लगातार नौकरी गिनने के लिये माना जाने वाला 'ले ऑफ़' किसी समझौते या स्थायी आदेश या इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत हो सकता है । संशोधन संख्या ४४ में यह रखा गया है कि लगातार नौकरी मानने के मामले में मज़दूरों की केवल वही छुट्टी गिनी जाय जिसमें पूरी मज़दूरी मिलती हो । संशोधन संख्या ४५ में जो बात रखी गई है वह पहिले ही पर्याप्त रूप में स्पष्ट कर दी गई है। मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मैं समझौते को पूर्ण रूप से मानने के लिये तय्यार हूं ।

संशोधन संख्या ४७ में यह दिया हुआ है कि मालिक मज़दूरों को उसी शहर या गांव, जो कि उसके मुख्य उद्योग से पांच मील दूर हो, के उद्योगों में मज़दूरों को वैकल्पिक नौकरी दे सकता है । संशोधन संख्या ५४ श्री खंडूभाई देसाई के संशोधन संख्या १५ के समान है । संशोधन संख्या ५७ और ५९ औपचारिक-स्वरूप के हैं, जिनमें "श्रेणी" के स्थान पर "वर्ग" शब्द रखा गया है । उद्योगपतियों ने कहा है कि वे 'श्रेणी' शब्द नहीं प्रयुक्त करते बल्कि 'वर्ग' प्रयुक्त करते हैं ।

संशोधन संख्या ६३ से स्थिति स्पष्ट होती है । विधेयक बनाने के बाद दोनों पार्टियों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों के कारण इन संशोधनों को प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । ऐसा इस अभिप्राय से किया गया है कि जिन पार्टियों पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ता है उनकी बातें पूरी हो सकें । इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन इन्हें स्वीकार कर ले ।

मुझे खेद है कि मैं श्रीमती सुभद्रा जोशी का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसके द्वारा इस विधेयक के उपबन्धों को अनु-वर्त्ती प्रभाव मिलेगा । मैं श्री के० पी० त्रिपाठी

के सशोधन सख्या ११५ को भी स्वीकार नहीं कर सकता । । मैं श्री बी० पी० सिन्हा के संशोधन संख्या ७७ को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें "पूर्व वर्ती पत्री महीने में प्रत्येक कार्य दिवस में काम करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या" के स्थान पर "काम पर लगे हैं" शब्द रखने का प्रयत्न किया गया है । विधेयक के उपबन्धों में उद्योग में काम करने वालों की संख्या गिनने का तरीका दिया हुआ है । इस विधेयक में जो बात इस मामले में दी हुई वही सभी अधिनियमों में एक समान रूप से रम्नी गई है । श्री के० पी० त्रिपाठी का संशोधन संख्या ६० तथा श्री भगत झा के संशोधन भी स्वीकार नहीं किये जा सकते, क्योंकि कुछ कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मिल मालिकों को "जो मज़दूर सबसे बाद में आया हो उसे सबसे पहिले निकाला जाय" नियम के विपरीत कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिये ।

श्री वी० मिश्र का संशोधन संख्या ९९ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि 'ले ऑफ़' क्षतिपूर्ति के लिये ५० की सीमा समझौते का भाग है और इसे घटा कर २५ नहीं किया जा सकता । इसी कारण से श्री सिंहासन सिंह और श्री ए० एन० विद्यालंकार के संशोधन भी स्वीकार नहीं किये जा सकते । श्री ए० एन० विद्यालंकार के संशोधन संख्या ३४ में उन उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है जिनमें छः महीने से कम काम होता है । उनका संशोधन संख्या ३६ भी ऐसा ही है । अपने संशोधन संख्या ८० द्वारा वह सिंचाई परियोजना पन-बिजली परियोजनाओं के मज़दूरों को 'ले ऑफ' क्षतिपूर्ति दिलवाना चाहते हैं । सरकार के विभागों ने इसे माना नहीं है और उनका संशोधन संख्या ९६ आवश्यक नहीं है ।

श्री बंसल के संशोधन संख्या ८७ में छटनी क्षतिपूर्ति केवल फैक्टरियों तथा खानों के मज़दूरों तक सीमित है और इस में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बहुत से उद्योग छूट जाते हैं । इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । उनका संशोधन संख्या ९४ आवश्यक नहीं है क्योंकि इस कानून के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों पर इसी कानून के अनुसार कार्य होगा और उन्हें न्याय निर्णयन के लिये नहीं भेजा जायगा । यह बात मेरे संशोधन संख्या ९३ में आ जाती है ।

श्री वल्लाथरास ने अपने संशोधन में यह रखा है कि गर्भवती स्त्रियों को और जो स्त्रियां प्रसूत की छुट्टियों पर हों कुछ विशेष अवधियों में उनकी छटनी न की जाय या निकाला न जाय । मैं समझता हूं कि इसे प्रसूत लाभ अधिनियम में रखा जा सकता है । प्रसूत सम्बन्धी बहुत से अधिनियमों में इस प्रकार के संरक्षण दिये हुए हैं । यदि और अधिक संरक्षण चाहिये तो उन्हें उन्हीं अधिनियमों में रखना चाहिये न कि इसमें ।

श्री बंसल : इसके पहले माननीय मंत्री ने मेरे संशोधन का निर्देश किया था । क्या बात है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैंने कुछ माननीय सदस्यों के संशोधन छोड़ दिये हैं, किन्तु इन सब के बारे में मैं अपने उपरोक्त भाषण में ही कह चुका हूं । मैंने संशोधन संख्या ११७ भी स्वीकार कर लिया है । मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार कर ले तथा शेष को अस्वीकार कर दे : श्री के० के० देसाई के संशोधन १५, १०७, १०९, ११०, १११, ११३ और ११४.

श्री के० पी० त्रिपाठी का संशोधन संख्या ५०—केवल जहां तक पृष्ठ ४ में से पंक्तियां ४० और ४१ के निकालने का सम्बन्ध है । श्री के० पी० त्रिपाठी और श्री ए० एन० विद्यालंकार का संशोधन संख्या ११७ तथा मेरे संशोधन संख्या ३७, ४२, ४४, ४५,

[श्री० वी० वी० गिरि]

४७, ५४, ५७, ५९ तथा ६३। इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये।

सदन द्वारा संशोधन संख्या ५४, १५, ५०, १०७, १०९, ११०, १११, ११३, ११४, ३७, ४२, ४४, ४५, ४७, ५७, ५९, ६३, तथा ११७ स्वीकार कर लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं इस संशोधन को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। इसके पश्चात् सदस्यों द्वारा अपने अपने संशोधन वापस लेने के विषय पर विचार करूंगा।

प्रश्न है कि :

श्री वी० वी० गिरि के प्रस्तावित संशोधन के अन्त में जिसे सूची संख्या २ में संख्या ३७ के रूप में छापा गया है, यह जोड़ दिया जाये :

"and a plantation as defined in clause (f) of section 2 of the Plantation Labour Act, 1951 (LXIX of 1951)"

["तथा एक चाय बाग़ान जैसी कि उसकी चाय बाग़ान श्रम अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६९ वां) की धारा २ के खण्ड (च) में परिभाषा की गई है"]

सदन में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में—४५

विपक्ष में—१८६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सदन की अनुमति से श्री बंसल ने अपने संशोधन संख्या ८७ तथा ९४; श्री भगवत झा ने ३० और ५१; श्री के० पी० त्रिपाठी ने ६० और श्री ए० एन० विद्यालंकार ने ३२, ३४, ३६, ८० तथा ९६ वापस ले लिये।

सदन ने संशोधन संख्या ७५, ७७, ७८, ७९, ८२, ८४, ८५, ९०, ९१, ३५, ३८, ४०, ४१, ४८, ४९, ५३, ६२, ११५, ११२, ९९, ८, ९, १९, ७, ११, १३, १६, ३९, ४६, ६१, ८३, ९३, ५२, ५८, ८९, ९२, ३३ तथा ८६ अस्वीकार कर दिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १—(संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ)

श्री टी० बी० विट्ठल राव का संशोधन संख्या ११६ तथा पंडित सी० एन० मालवीय का संशोधन संख्या १०६ अस्वीकार कर दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"खण्ड १, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री वी० वी० गिरी : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चाय बाग़ान के मज़दूरों को इस विधान के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि

वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करें। चाय बाग़ान के मज़दूरों के साथ सबसे अधिक अन्याय किया जा रहा है। उनकी हालत देश भर में सबसे खराब है। यहां तक कि उनको सहायता देने के लिये जो चाय बाग़ान श्रम अधिनियम, १९५१ में पारित किया गया था उसे भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। बात तो वास्तव में यह है कि इस उद्योग में अंग्रेजों का बोलबाला है और वे जो चाहते हैं करवाते हैं। यद्यपि चाय बाग़ानों में १२ लाख मज़दूर काम करते हैं फिर भी उन्हें इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। माननीय मंत्री ने उनकी हालत पर विचार करने का वचन दिया है पर जब इस विधेयक में ही उनको कोई सहायता नहीं दी गई है तो और आगे क्या आशा की जा सकती है। मैं तो यह चाहता हूं कि यदि चाय बाग़ानों के अंग्रेज मालिक १९५१ के अधिनियम को कार्यान्वित करने से इंकार करें तो उनके बाग़ानों को सरकार अपने हाथ में ले ले और स्वयं उन्हें चलाये। सरकार ने चाय बाग़ानों के अंग्रेज़ मालिकों की ओर जिस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

मेरा केवल यह निवेदन है कि बाग़ानों के मज़दूरों को भी इस विधेयक के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाये।

श्री वी० वी० गिरि : माननीय सदस्यों ने इस बहस के दौरान में जो रचनात्मक सुझाव रखे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं अपने माननीय मित्र श्री ए० के० गोपालन को विश्वास दिलाता हूं कि अधिनियम के कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने जो आलोचना की है तथा 'ले-आफ' के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है, उस पर मैं पूरी तरह से विचार करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगा।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य परिषद द्वारा पारित, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ के संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ के कुछ प्रशासनीय अभावों को दूर करने का इस विधेयक में प्रयत्न किया गया है। इस अधिनियम में इस सिद्धान्त की मख्य मुख्य बातें निर्धारित की गई हैं, शेष बातों को एक योजना के अन्तर्गत निर्धारित करने के लिय छोड़ दिया गया है। यह सारी योजना धीरे धीरे कार्यान्वित की गई तथा १ नवम्बर १९५२ को पूरी तरह से लागू की गई। यह एक नये प्रकार का काम है। सारे देश में फैले हुए अनेक उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों की एक बहुत बड़ी संख्या से इस का सम्बन्ध है। इसीलिये इस प्रकार का विधान पहिले दफ़े में ही सम्पूर्ण नहीं हो सकता है वरन् समय समय पर अनुभव के आधार पर इस में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है।

राज्य परिषद् में जब इस विधेयक पर विचार किया गया तो कई संशोधन रक्खे गये. इस अधिनियम तथा इस योजना को कई और उद्योगों पर लागू किया जाय। इस के लिये इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह अधिनियम धारा १ उपधारा (३) के अनुसार, छै विशिष्ट उद्योगों पर लागू किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा ४ में और उद्योगों पर इसे लागू करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे दिया गया है।

[श्री आबिद अली]

यदि और उद्योगों पर यह अधिनियम अभी तक नहीं लागू किया गया है तो इस का कारण यह है कि अभी बहुत सी बातें इस के सम्बन्ध की ऐसी हैं जिन का निपटारा नहीं हो पाया है और न अभी इन की प्रक्रिया ही वैज्ञानिक रूप से संगठित हो पाई है। मालिकों तथा मज़दूरों दोनों की हिचक को दूर करने के लिये सारे देश में लम्बी चौड़ी विधिक व्याख्याओं तथा लिखित मौखिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। कितने फ़ारमों तथा नक़शों को तय्यार करना था, लेखा सम्बन्धी तथा बैंक सम्बन्धी प्रबन्धों का ठीक करना था तथा एक कार्य सम्पादन पुस्तिका तय्यार करना था। वार्षिक लेखा रक्खे जाने का प्रबन्ध, छूट प्रदान करने तथा अन्त में विकेन्द्रीकरण करने के प्रबन्ध सभी की ओर हमें ध्यान देना था। फिर भी आरम्भ में हम ने जितना कार्य किया है वह पर्याप्त है।

यह योजना १६७५ कारखानों पर लागू की जा चुकी हैं साढ़े बत्तीस लाख मज़दूरों में से १३.३६ लाख मज़दूरों से इस का सम्बन्ध स्थापित हो चुका है अर्थात कारखाने में काम करने वाले मज़दूरों में से ४५ प्रतिशत इसमें आ चुके हैं। छूट की प्रक्रिया तैय्यार हो गई है और ४६८ कारखानों को जिन में ८ लाख मज़दूर काम करते हैं छूट दी जा चुकी है। पांच लाख से अधिक मज़दूरों का १९५२-५३ का वार्षिक हिसाब तय्यार हो रहा है तथा इन का चालू हिसाब जांचा जा रहा है। हमने अंशदान के रूप में पांच करोड़ रुपया तथा प्रशासनीय प्रभार के रूप में १६ लाख रुपया एकत्रित कर लिया है। अन्तिम निपटारा तथा अन्य कुछ बातों का प्रबन्ध करने के पश्चात चार करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार की अनेक प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जा चुका है।

हमारा ध्यान इस अधिनियम तथा योजना का इस प्रकार संशोधन करने के कार्य में लगा हुआ है, जिस से प्रक्रिया की पुस्तिका तथा इस योजना के विकेन्द्रीकरण को अन्तिम रूप दिया जा सके। कुछ उद्योगपतियों ने इस का विरोध किया है कि यह अधिनियम तथा योजना उन के उद्योगों पर लागू की जा सकती और अनुसूचित उद्योगों पर भी इस योजना के लागू करने के आधार को ग़लत बताते हैं। कुछ मालिकों ने निरीक्षकों को कारखानों का निरीक्षण नहीं करने दिया। नक़शों की वापसी तथा देयधन की अदायगी में भी विलम्ब हो रहा है। जिन कारखानों को छूट दी जा चुकी है उन से देयधन वसूल करने में तथा देर में किये जाने वाले भुगतान पर ब्याज वसूल करने में, शक्तियों का अभाव होने के कारण हम कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वर्तमान विधि के अनुसार, कम्पनियों पर मुक़दमा चलाने तथा कुछ अपराधों को दण्डित करने में कुछ अड़चनें हैं। फिर भी मालिकों की एक बहुत बड़ी संख्या सहयोग दे रही है तथा शीघ्र ही यह योजना नितान्त सन्तोषजनक आधार पर आ जायेगी। इस समय पर्याप्त सफलता प्राप्त हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि एक वर्ष और बीतने पर हम अपनी सारी योजनाओं तथा प्रक्रियाओं को दृढ़ बना लेंगे तथा अन्य उद्योगों पर इस योजना को लागू करने का प्रश्न हाथ में ले सकेंगे।

इस बात पर आपत्ति उठाई गई है कि सरकारी कारखानों पर यह अधिनियम क्यों नहीं लागू किया गया है। नये आरम्भ होने वाले कारखानों को तीन वर्ष का समय क्यों प्रदान किया गया है, मज़दूरों से अंशदान क्यों लिया जाता है तथा एक भी छूट देने का कारण क्या है। गत वर्ष संसद ने इन प्रश्नों पर अच्छी तरह से विचार किया था। अधिनियम में इस के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं वे इसी संसद् के बनाये हुए हैं। छूट केवल उसी हालत में

दी जाती है जब मज़दूरों को इसी प्रकार के तथा इस से अच्छे लाभ उपलब्ध हों। मज़दूरों के पूर्व परामर्श के बिना कोई भी छूट नहीं दी जाती है।

हम एक और प्रश्न के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। जिस के अनुसार मज़दूरों को भविष्य निधि के लाभ के अतिरिक्त पेन्शन देने का तथा उन का बीमा कराने का भी लाभ पहुंचाया जा सके। हम केवल इस अधिनियम तथा उस की योजना के क्षेत्र को भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं वरन् उस के लाभ देने वाले उपबन्धों में विविधता भी उत्पन्न करना चाहते हैं। परन्तु पेन्शन तथा बीमा की योजना तभी सफल हो सकती है जब काम कुछ दिनों तक लगातार जारी रहे। जब तक वर्तमान लाभों के प्रशासन की प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है; नये लाभों के बढ़ा देने से गड़बड़ी पैदा हो जाने की आशंका है। जैसे ही हम अनुभव करेंगे कि परिस्थिति कुछ अनुकूल हो गई है हम, अवसर मिलते ही, शीघ्रातिशीघ्र, अतिरिक्त लाभ की योजना बनावेंगे।

जैसा हम पहले बता चुके हैं इन संशोधनों को रखने में हमारा मुख्य उद्देश्य कुछ प्रशासनीय अड़चनों को दूर करना है और कुछ में कुछ सिद्धान्त की बातें भी हैं।

खण्ड २ में, मालिक तथा मज़दूरों के संयुक्त प्रार्थना करने पर हम कारखाने के साथ ऐसा व्यवहार कर सकें जैसे वह उद्योग से अलग हैं। खण्ड ४ का कार्य इस सन्देह को दूर करना है कि यह योजना ऐसे तमाम उद्योगों पर लागू की जा सकती है जो इस अधिनियम के आधीन हैं। खण्ड ६ हमें कुछ अधिकार प्रदान करने के लिये है विशेषकर उन कारखानों से अवशिष्ट राशि वसूल करने के लिये जिन को छूट दी जा चुकी है। खण्ड ८ तथा ९ छूट दिये गये मज़दूरों को कुछ लाभ दिलाने के लिये है तथा खण्ड ११ में छट दिये जाने वाले कारखाने का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त किया गया है।

खण्ड १३ में अंशदान तथा भविष्य निधि के देयधन के विलम्ब से भुगतान किये जाने के लिये दण्ड के रूप में ब्याज वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। खण्ड १५ में आर्थिक या अन्य कारणों के लिये कारखानों के कुछ वर्गों को छूट देने का अधिकार प्राप्त किया गया है। खण्ड १७ में अड़चनें दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कुछ अधिकार दिये जाने का उपबन्ध किया गया है। अन्य खण्डों के संशोधन औपचारिक रूप के हैं अथवा ऐसे कम महत्व के हैं कि उन के सम्बन्ध में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।

हमारा यह अनुभव है कि असाधारण रूप से दीर्घ काल तक अंशदानों तथा प्रशासनीय प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाता है। इसी लिये प्रस्तावित धारा १४ (ख) में अधिकार दिया गया है जिस से उन मालिकों से जो भविष्य निधि के देयधन के भुगतान में विलम्ब करते हैं उन से दण्ड के रूप में ब्याज वसूल किया जा सके।

कुछ उद्योगों में कुछ ऐसे कारखाने हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं और भविष्य निधि का भार नहीं उठा सकते हैं जैसे दक्षिणी भारत के कर्घा उद्योग। फिर भी मज़दूरों, प्रादेशिक आयुक्तों तथा राज्य सरकारों के परामर्श के बिना कोई भी छूट नहीं दी जायेगी। इसी के लिये प्रस्तावित धारा १६ की उपधारा (२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को आर्थिक तथा अन्य कारणों से कारखानों के एक खास वर्ग को छूट देने का अधिकार दिया गया है।

अलाभकारी कारखानों के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालय तथा धर्मार्थ संस्थान ऐसे

[श्री आबिद अली]

हैं जो शिक्षा के लिये या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये कारखाने चला रहे हैं। इन को छूट देने के लिये भी इस अधिकार को लिया गया है।

प्रस्तावित धारा १९ (क) में व्याख्या तथा आरोपण सम्बन्धी अड़चनें दूर करने के लिये कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिये गये हैं। इस प्रकार के कुछ झगड़े अब भी उच्च न्यायालय के सामने हैं। न्यायालय के द्वारा यदि इन का निर्णय कराया जायगा तो निश्चय ही बहुत समय नष्ट होगा। परन्तु मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इन शक्तियों का प्रयोग करने में प्रत्येक अभ्यावेदन पर विचार करेगी तथा जहां आवश्यकता पड़ेगी वह विशेषज्ञों से परामर्श भी लेवेगी।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"राज्य परिषद द्वारा पारित कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ के संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री तुषार चटर्जी (रामपुर) : मैं न्यासधारी मण्डल तथा भविष्य निधि योजना का एक सदस्य हूं तथा ये योजनायें किस प्रकार कार्य कर रही हैं, इस के विषय में विस्तार पूर्वक जानता हूं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

माननीय उपमंत्री ने कहा है कि संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य कुछ प्रशासनीय कठिनइयों को दूर करना है तथा उस में बहुत कम मूल नीति अन्तर्निहित है। यदि ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाये कि संशोधनों का अर्थ क्या है तो पता लगेगा कि सरकार न केवल कुछ प्रशासनीय कठिनाइयों को ही दूर करना चाहती है वरन् मालिकों के उन हितों की रक्षा भी करना चाहती है जिस से उन को समुचित क्षेत्र मिल सकें और वे भविष्य-निधि योजना की सीमा से बाहर हो सकें तथा योजना से अपने हितों की पूर्ति कर सकें। यह सत्य है कि मालिकों तथा कर्मचारियों के सम्मिलित समझौते के आधार पर भविष्य निधि योजना को इस अधिनियम के द्वारा लागू कर दिया गया है, जो प्रथम तालिका से बाहर की चीज़ है। यह भी सत्य है कि प्रशासनीय कठिनाइयों को दूर करने में छूट प्राप्त निर्माणशालाओं के कर्मचारियों को संरक्षण दे दिया गया है। मेरी समझ से सरकार का उद्देश्य प्रशासनीय कठिनाइयों को दूर कर एक नया आधार स्थापित करना नहीं है क्योंकि मैं कुछ विस्तार से इस सम्बन्ध में जानकारी रखता हूं। सरकार ने अनेक बार कहा था कि वह मज़दूरों से सम्मति लेने के पश्चात ही कुछ अन्तिम निर्णय करेगी। ए० आई० टी० यू० सी० द्वारा यह मांग की गई थी कि यह विधेयक सभी निर्माणशालाओं तथा बगीचे के मज़दूरों में भी लागू किया जाना चाहिये। एक अन्य मांग आई० एन० टी० यू० सी० तक ने भी की थी कि मालिकों से पूरा चन्दा लेने की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिये चाहे किसी मज़दूर ने २५ वर्षों से कम समय तक ही कार्य किया हो। आशा यह की जाती थी कि जब सरकार इस में संशोधन कर रही है, तो इस दिशा में मज़दूरों के हितों की रक्षा होगी किन्तु वह बिल्कुल उल्टा कर रही है। आर्थिक स्थिति पर योजना के लागू करने में छूट दी जा सकती थी किन्तु यह केवल उन्हीं निर्माणशालाओं में लागू हो सकती है जिन में उन की अपनी भविष्यनिधि योजना की व्यवस्था होती है। अब सरकार ने यहां तक कहा दिया है कि

जिस में उस की अपनी भविष्य-निधि योजना नहीं है, उस को भी अधिनियम के द्वारा छूट दी जा सकती है, अर्थात् वित्तीय कारणोंवश मज़दूरों को भविष्य-निधि के लाभ से वंचित रखना। इन वित्तीय कारणों का निश्चय कौन करेगा—सरकारी अधिकारी ही अथवा श्रम की सम्मति भी ली जायेगी यह कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्री वी० वी० गिरि : 'मज़दूरों का बहुमत' यह दिया हुआ है।

श्री तुषार चटर्जी : संशोधन में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो अनुभव यह है कि साधारणतः मालिक लोग यहां तक कि आई० जे० एम० ए० जैसे बड़े बड़े मालिक तक सरकार से छूटें प्राप्त कर लेते हैं। इस के अतिरिक्त इन्जीनियरिंग तथा वस्त्र उत्पादन-कर्ता आदि इस अधिनियम तथा योजना की पोलें ढूंढ़ निकालते हैं तथा उन से मनमाना सभी प्रकार का लाभ उठाते हैं। कुछ भी हो जब तक इस खण्ड को भली प्रकार सुधारा न जायगा तथा मज़दूरों के प्रतिनिधियों से उचित परामर्श नहीं लिया जायेगा तब तक इस खण्ड का मालिकों द्वारा दुरुपयोग किये जाने तथा अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिये सरकार पर दबाव डालने की सम्भावना बनी रहेगी।

यद्यपि यह ठीक है कि यह अधिनियम उन सभी निर्माणशालाओं में लागू होता है जिन में मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच सम्मिलित समझौता हुआ हो किन्तु वास्तव में देखा जाय तो यह कितना कठिन कार्य है। मैं ने अधिकतर मामलों में यही देखा है कि यदि कर्मचारी किसी अपने हित की बात कहते हैं अथवा केन्द्रीय योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो मालिक तत्काल ही उस से असहमति प्रकट कर देता है और वह बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। अतः यह संशोधक खण्ड केवल जनता के असन्तोष को शान्त करने का उपाय-मात्र है। यह मात्र दिखावे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किन्तु व्यावहारिक रूप से ऐसा कभी होना सम्भव नहीं कि जिस से कमचारियों का कुछ हित होता है मालिक उस से कभी सहमत न होगा। अतः एक ओर कुछ निर्माणशालाओं को वित्तीय कारणों के आधार पर नये उपबन्ध छूट देने के लिये तैयार किये जा रहे हैं और दूसरी ओर जनता को यह कह कर बेवकूफ बनाया जाता है कि हम क्या करें हम तो चाहते हैं किन्तु दोनों दलों के सहमत न होने से विवश हैं। इस से सरकार की इस विधेयक में संशोधन करने की नीति स्पष्ट हो जाती है।

छूट के प्रश्न पर धारा १७ म संशोधन किया गया है। हम इस का विरोध नहीं करते हैं यदि उस निर्माणशाला की भविष्य-निधि की योजना सरकारी योजना से अच्छी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः सिद्धान्त की दृष्टि से हम इस का विरोध नहीं करते किन्तु देखना तो हमें यह है कि सरकार उस को किस प्रकार चलाने की अनुमति देती है। वास्तव में होता यह है कि मालिक मनमाने ढंग से मज़दूरों के साथ इस सम्बन्ध में व्यवहार करने लगता है जिस से उस के लाभ की संभावना कम ही रह जाती है। मूल अधिनियम में यह था कि जिन निर्माणशालाओं में केन्द्रीय स्तर पर अथवा मज़दूरों के लिये अधिक लाभदायक चन्दे की दर थी, उन में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। किन्तु अब "अधिक अनुकूल" के स्थान पर "कम अनुकूल नहीं" संशोधन किया गया है। इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा संशोधन क्यों करना चाहती है? हो सकता है कि उस का यह विचार हो कि सारे अधिनियम में इस प्रकार के संशोधन से मालिकों के हितों की रक्षा हो सके।

[श्री तुषार चटर्जी]

इस सम्बन्ध में दूसरी बात जो बहुत महत्व रखती है वह है कि छूट केवल कुछेक उन्हीं स्थितियों में दी जाय जो सरकार द्वारा रखी गई शर्तों को पूरी कर सकें। न्यासधारी मण्डल ने कुछ शर्तें रखी हैं जिन का पूरा किया जाना आवश्यक है। संशोधन विधेयक में हम यह देखते हैं कि कर्मचारियों के लिये छूट देना उस में निकाल दिया गया है जिस से यह छूट शर्तों के अधीन न हो जाये। यह बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैं जानता हूं कि न्यासधारी मण्डल उस में कई शर्तें लगा देगा जो चतुरता-पूर्वक निकाल दिया गया है जिस से कोई भी शर्त उस में लागू न हो सके।

एक और बड़ी आवश्यक बात है और वह यह कि अधिनियम में एक नया उपबन्ध लागू किया गया है। मालिकों की सम्मति को तो उचित स्थान दिया गया है किन्तु कर्मचारियों की सम्मति की पूर्ण उपेक्षा की गई है अर्थात् यदि कर्मचारी अपने हित की दृष्टि से कोई परिवर्तन चाहता है तो सरकार उस के लिये अनुमति नहीं देगी किन्तु यदि मालिक अपना कोई हित देखता है तो सरकार तत्काल ही उसे छूट दे देगी। कई अनुभवों से यह पता लगा है कि सरकार इस सारे छूट के मामले को मालिकों के हित को दृष्टि में रख कर ही निबटाती है। यदि छूट दी जाती है तो वह मज़दूरों के हित की दृष्टि से दी जानी चाहिये। जब छूट के विषय में मज़दूरों के हितों को ध्यान में रख कर शर्तें बनाई गई थीं तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सुलझाने के लिये उन की सम्मति की उपेक्षा क्यों की जा रही है।

यदि कोई कर्मचारी छूट चाहता तो उसे नहीं दी जाती है और यदि मालिक चाहता है तो सरकार तत्काल ही दे देती है। ऐसा पश्चिमी बंगाल के कई मामलों में हो चुका है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बात सभी मानते हैं। उन की हर जगह चलती है। बंगाल के सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट मिल गई थी। इस क्रिया के द्वारा पश्चिमी बंगाल के लगभग ९० प्रतिशत निर्माणशालाओं के मज़दूरों को छूट दे दी गई थी। यदि सभी को छूट मिल गई तो फिर केन्द्रीय योजना से लाभ उठाने वाला रहा ही कौन। अतः केन्द्रीय योजना में बहुत थोड़े लोग रह गये हैं और शेष सभी उस में से निकल गये हैं। जितना ही बड़ा मालिक होगा, उस की पहुंच भी उतनी ही अधिक होगी और सरकार उस की इच्छा के विपरीत कुछ कर भी नहीं सकती।

यह मेरा अनुभव है। मैं ने मण्डल को मामले का निर्देश किया तो संचालक को यह स्वीकार करना पड़ा कि ऐसी चीज़ों के विषय में उस ने भी सुना था।

पश्चिमी बंगाल की जूट निर्माणशालाओं की छूट का प्रश्न कई महीनों तक चलता रहा और कोई भी यह न जान सका कि क्या निर्णय होने वाला है। तत्पश्चात् उपमंत्री ने दूसरे सदन में दिये अपने भाषण में बताया कि सरकार ने भली भांति उचित जांच के पश्चात निर्माणशालाओं को छूट दे दी गई है। मैं न्यासधारी मण्डल का सदस्य होने के नाते वस्तुस्थिति को भली भांति जानता हूं। न्यासधारी मण्डल के सम्मुख छूट चाहने वाली निर्माणशालाओं के विषय में पूरा प्रतिवेदन तक नहीं रखा गया था।

श्री आबिद अली : मुझे स्थिति को स्पष्ट करने की अनुमति दी जाये। मैं ने यह नहीं कहा था कि यह मण्डल की अनुमति से किया गया था। मैं ने कहा था कि जब कर्मचारियों तथा मालिक के सम्मिलित हस्ताक्षरित छूट आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो प्रादेशिक आयुक्त सर्वप्रथम जांच-पड़ताल करता है, तत्पश्चात् प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास जाता है और

अन्त में भविष्य-निधि आयुक्त के पास । यदि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि छूट दी जानी चाहिये, तो सम्बन्धित सरकार (केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार) छूट की अधिसूचना देती है । और निश्चय ही यह मण्डल में दी गई नीति के अनुसार ही है ।

श्री तुषार चटर्जी : मेरे अनुभव से उपमंत्री का कथन सही नहीं है । किसी भी मामले में मालिक तथा कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र नहीं भेजे गये थे और न कर्मचारियों की सम्मति ही ली गई थी । यदि सरकार चाहे तो इस की जांच आई० एन० टी० यू० सी० से कर ले कि जूट अथवा इन्जीनियरिंग निर्माणशाला आदि किसी में भी कर्मचारियों की सम्मति नहीं ली गई थी । कर्मचारियों के छः प्रतिनिधियों ने अधिकतर बातों पर सहमति प्रकट की थी । उन्हों ने सम्मिलित मांगें रखीं और सम्मिलित रूप से लड़े भी । उन्हों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की सम्पूर्ण छूट नीति मालिकों के हित में है तथा किसी भी मामले में यूनियन से परामर्श नहीं लिया गया था । सभापति को कहना पड़ा था कि "वास्तव में जूट के मामले में स्थिति बड़ी गम्भीर है, आप शिकायतें कीजिये, हम मामले की जांच करेंगे ।"

इस छूट के विषय में एक बात और भी है कि निर्माणशाला का अपना न्यासधारी मण्डल होना चाहिये । इस में दोनों दलों के पचास प्रतिशत प्रतिनिधि होने चाहियें तथा सभापति का निर्णायक मत होना चाहिये जो मालिकों का प्रतिनिधि होता है । मण्डल के कार्य करने की बात कौन कहे जब कि अधिकतर निर्माणशालाओं में अभी तक यह मण्डल बना ही नहीं है । इन में मालिकों की मनमानी चलती है । वे अपनी पसन्द के कुछ कर्मचारियों के नाम लिखकर प्रादेशिक आयुक्त के पास भेज देते हैं । हम लोग यह अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं क्योंकि हम जूट यूनियन में कार्य करते हैं । मैं ही नहीं वरन् आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि भी इस में हैं वे भी इस से सहमत हैं कि कम से कम पश्चिमी बंगाल जूट तथा इंजीनियरिंग निर्माणशाला में कोई भी न्यासधारी मण्डल के सच्चे अर्थ में नहीं है ।

जहां तक कार्यकरण का सम्बन्ध है, कोई बैठक नहीं की जाती है । यदि कोई प्रस्थापनायें होती हैं, तो मैनेजर उन प्रस्थापनाओं को एक पर्चे पर लिख देता है और उस पर कथित सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर उसे प्रादेशिक आयुक्त के पास भेज देता है । पर्षद् के सभापति तथा केन्द्रीय प्रादेशिक आयुक्त को यह स्वीकार करना पड़ता है कि जूट मिलों में अवस्था बहुत बुरी है और प्रन्यासी पर्षद् कार्य करता ही नहीं है । हमने केवल यही मांग की थी कि यह जांच की जाये कि इन शर्तों का पालन किया जाता है अथवा नहीं । और यह स्थिति है । जितना बड़ा मालिक होता है उतनी ही अधिक छूट उसे मिल सकती है क्योंकि वह समझता है कि वह न केवल सरकार को अपितु कर्मचारियों को भी धोखा दे सकता है ।

इसीलिये इस विधेयक में छूट के सम्बन्ध में जो निर्देश किया गया है उससे हमको चिन्ता होती है । इससे यह अनुमान होता है कि सरकार छूट का क्षेत्र इतना विस्तृत कर देना चाहती है जिससे कि मालिक लोग मनमानी कर सकें और श्रमिकों को अन्त में कष्ट उठाने पड़ें ।

इस विधेयक का सबसे खतरनाक खंड वह है जिसमें आर्थिक आधार पर फ़ैक्टरियों को छूट दिये जाने का उपबन्ध किया गया है । इस खंड के अन्तर्गत आने के पश्चात् कोई भी फ़ैक्टरी इन शर्तों की अवहेलना करके भविष्य निधि योजना को गड़बड़ा सकती है । कोई भी

[श्री तुषार चटर्जी]

फ़ैक्टरी छूट दिये जाने की मांग कर सकती है, और भविष्य निधि योजना का प्रावधान न करके अपने श्रमिकों को इस लाभ से वंचित कर सकती है। हमें यह ज्ञात नहीं कि मालिक लोग छूट पाने के लिए सरकार से किस आधार पर आवेदन करने वाले हैं। आर्थिक आधार पर किसी फ़ैक्टरी को छूट दिये जाने के हम विरोधी नहीं हैं परन्तु श्रमिकों को इस प्रकार दण्ड नहीं देना चाहिए। भविष्य निधि देने की बात को अनिवार्य क्यों नहीं कर दिया जाता है? आर्थिक कठिनाई होने की अवस्था में या तो सरकार अपनी जेब से भविष्य निधि लाभ को दे अथवा ऐसा प्रबन्ध करे जिस से फ़ैक्टरियों की आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो जायें और श्रमिकों को उनके लाभ से वंचित न किया जा सके। भविष्य निधि सुविधा वह न्यूनतम दायित्व है जिसे मालिकों को पूरा करना है। इसे अनिवार्य क्यों नहीं बना दिया जाता है? परन्तु ऐसा न होने की अवस्था में हमें सरकार की नीति पर शंका करने के पर्याप्त कारण हैं और इससे केवल मालिकों का ही भला होगा।

मुझे आशा है कि सरकार ऐसे संशोधन इसमें करेगी जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। हमें आशा है कि इसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया जायेगा और इसे सभी फ़ैक्टरियों पर लागू किया जायेगा। हमें आशा है कि सरकारी फैक्टरियों पर भी इसे लागू किया जायेगा और केन्द्रीय योजना में जैसा प्रावधान है उसकी अपेक्षा मालिकों के अंशदान पर दावे को अधिक उदार बनाया जायेगा। सरकार की भविष्य निधि योजना के अनुसार श्रमिक को मालिक के अंशदान का पूरा लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि वह २५ वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा। अनेकों कार्यालयों इत्यादि में सरकार द्वारा निश्चित की गई र्तों से अधिक उदार शर्तों का पालन किया जाता है। अधिकतर तो १० वर्ष की सेवा के पश्चात् मालिक के अंशदान का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। परन्तु सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि बिना २५ वर्ष की सेवा के मालिक के अंशदान का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। मुझे आशा है कि इस योजना की कार्यान्वित में जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका निराकरण कर दिया जायेगा और श्रमिकों की मांगें स्वीकार कर ली जायेंगी। केन्द्रीय श्रम संगठनों की यही निरन्तर मांग रही है। हमें आशा है कि सरकार इस दृष्टिकोण का आदर करेगी। यदि सरकार इस विधि को संशोधित करना स्वीकार करती है तो उसे सर्वप्रथम मूल अधिनियम को संशोधित करना चाहिये। यह ठीक है कि कुछ कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए प्रशासनिक प्रावधान किये गये हैं, परन्तु उनका प्रभाव इन विषम प्रावधानों के कारण कम हो जाता है। अतः इस विधेयक को इस प्रकार संशोधित किया जाये जिससे कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : विधेयक का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। प्रस्तावक के कथनानुसार इस अधिनियम के कार्यकरण में अनुभव प्राप्त कराने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी, अतः विधेयक में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं किया गया है.

पिछले अवसर पर यह कहा गया था कि अनुभव प्राप्त होने के पश्चात इस का क्षेत्र विस्तृत किया जायेगा, परन्तु इसके विपरीत ऐसा कोई प्रयत्न इस विधेयक में नहीं किया गया है अपितु अनुसूचि मेंसे शब्द 'Production' ('उत्पादन') को निकाल कर इसका क्षेत्र संकुचित कर देने का प्रयत्न किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे श्रमिकों की स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। मुझे आशा थी कि सरकार ऐसा कोई संशोधन

प्रस्तुत करेगी जिससे कि सरकार को इस व्यवस्था को अन्य उद्योगों पर लागू करने का अधिकार भी प्राप्त हो सके। इसके विपरीत इस अधिनियम के क्षेत्र को संकुचित करने की चेष्टा की गई है जो कि इस सदन में दिये गये आश्वासन के बिलकुल प्रतिकूल है।

जहां तक अनसूचि का सम्बन्ध है उसे विस्तृत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है केवल कुछ शाब्दिक परिभाषायें की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत केवल आठ लाख श्रमिक छूट प्राप्त उद्योगों के तथा पांच लाख श्रमिक अमुक्त उद्योगों के आते हैं। यह संख्या तो देश की समस्त श्रमिक संख्या का एक बहुत ही छोटा भाग है। जहां तक स्वास्थ्य बीमा अधिनियम का सम्बन्ध है मैं विस्तार की कठिनाइयों को समझ सकता हूं क्योंकि उस दशा में अधिक अस्पताल बनाने पड़ेंगे, अधिक डाक्टरों की खोज करनी होगी तथा अन्य समायोजन करने होंगे। परन्तु भविष्य निधि के सम्बन्ध में यह कठिनाइयां नहीं हैं। भविष्य निधि एक केन्द्रीयकृत चीज़ है और इसका प्रशासन बीमा योजना की अपेक्षा, जिस के लिए सभी कुछ को विकेन्द्रीकृत करना होगा, बहुत सरल है। अतः इस का विस्तार काफ़ी तेज़ी से होना चाहिये था। अतः मेरा विचार था कि यदि सरकार किसी संशोधन के द्वारा अन्य उद्योगों को इसके अन्तर्गत लाने का अधिकार अपने हाथ में लेती तो अधिक उत्तम होता।

दुर्भाग्य की बात यह है कि साधारणतया उद्योग को फ़ैक्टरियों को एक ही वस्तु समझा जाता है। परन्तु उद्योग एक व्यापक शब्द है। उद्योग मंत्रालय सदैव ही फ़ैक्टरियों के सम्बन्ध में सोचता है, अतः जो भी विधान प्रस्तुत किया जाता है उसमें फ़ैक्टरियों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। उद्योग फ़ैक्टरी से कहीं अधिक विस्तृत चीज़ है। अतः इसे केवल निर्माताओं तक ही सीमित कर देने में ख़तरा है।

अनेकों उद्योगों को इसमें छोड़ दिया गया है। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है। चाय उद्योग को ही लीजिये। सन् १९२१ में नियुक्त की गई आसाम श्रम जांच समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि आयु-वार्द्धिक्यता लाभ के लिए कोई प्रबन्ध किये जाने आवश्यक थे। परन्तु इस सिफ़ारिश पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब मैं कचार गया था तो मैंने वहां पाया कि चाय उद्योग के विधाता एक रुपया प्रति सप्ताह दे रहे थे जबकि प्रति श्रमिक न्यूनतम मजूरी एक रुपया नौ आने प्रतिदिन थी। इससे यह आशा की जाती है कि श्रमिक धीरे धीरे भूखे रह कर मर जायें। इन व्यवस्थाओं का यही तो एक निश्चित परिणाम है। यदि श्रमिकों को एक रुपया प्रतिदिन प्रति श्रमिक आयु-वार्द्धिक्यता लाभ दिया जाये तो भी वह जीवित रह सकते हैं, परन्तु यदि कोई उनको सहायता देने वाला न हो तो वह समय से पहले ही काल के मुंह में चले जाते हैं। इस कारण इस विधान का क्षेत्र बढ़ाना अतीव आवश्यक है।

जहां तक छूट दिये जाने का प्रश्न है मेरे विचार से उसे देने का औचित्य है। प्रत्येक सरकारी क़ानून में कोई न कोई न्यूनतम सीमा रखी जाती है। इंग्लैण्ड में भी उन उद्योगों के श्रमिकों की, जिनके विशाल संगठित कार्मिक संघ नहीं हैं, सुरक्षा के लिए सरकार विधान बनाती है। विशाल कार्मिक संघों (ट्रेड यूनियनों) वाले उद्योगों के श्रमिकों को सहायता देने के लिए सरकार वहां क़ानून नहीं बनाती है, उन श्रमिकों के हितों की रक्षा वह कार्मिक संघ करते हैं और इसी कारण वहां श्रमिकों को मालिकों से वह सुविधायें तक मिल जाती हैं जो साधारणतया उनको न मिलतीं।

यहां भारत में श्रमिकों को क्या मिलता है? यह विधान विभिन्न परिस्थितियों में कार्य कर रहे विभिन्न उद्योगों पर लागू होगा

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

इसलिये इसमें न्यूनतम सुविधायें ही दी जा सकती थीं। परन्तु हम चाहते थे कि न्यूनतम प्रत्याभूति का प्रावधान होने के साथ साथ यह व्यवस्था भी होनी चाहिये थी कि यदि उद्योग स्वयं इनसे अधिक उत्तम प्रबन्ध करे तो श्रमिकों को सरकारी योजना को छोड़ देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये।

आसाम में हमने हाल ही में उद्योग के साथ एक समझौता किया है। पहले श्रमिकों को राशन की सुविधा दी जाती थी जिसके बदले यदि वह चाहते थे तो उनको ६० रुपया प्रतिमास नक़द मिल जाता था। पहले तो श्रमिकों ने नक़द लेना पसन्द किया परन्तु बाद को उनको मालूम हुआ कि यह सुविधा ६० रुपये प्रतिमास से अधिक बैठती थी। मांग किये जाने पर मालिकों ने पुरानी व्यवस्था को चालू करने से इन्कार कर दिया। बड़ी खींचतान के बाद मामला सुलझा और इसे व्यक्तिगत भत्ते का रूप दिया गया। इस तरह जहां भी कहीं अधिक सुविधा की सम्भावना हो तो उसके लिए छूट दी जानी चाहिये। अतः उद्योग को इस योजना को छोड़ देने का अधिकार देने का प्रावधान होना चाहिये।

श्री तुषार चटर्जी ने एक बहुत आश्चर्यजनक बात कही थी। उन्होंने कहा कि यद्यपि श्रमिकों तथा मालिकों द्वारा संयुक्त याचिकायें प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था परन्तु तो भी कोई भी संयुक्त याचिकायें नहीं भेजी गई हैं। यदि यह स्थिति है तो माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये। संयुक्त याचिकाओं का प्रावधान करते समय हमने यह प्रावधान भी किया था कि यदि उसकी किसी प्रकार से भी उपेक्षा की जाये तो उसकी जांच की जानी चाहिये। मुझे कार्य समितियों का अनुभव है, वहां ऐसा प्रायः होता रहता है। इन कार्य समितियों को मालिक लोग ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई मांगों को तोड़ने के लिए काम में लाते रहे हैं, ऐसा यहां भी हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में जांच करने तथा इसे रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना करूंगा। इस विधेयक में भी ऐसे प्रावधान किये गये हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को इस बुराई को रोकने के लिए समुचित तरीक़े सोच निकालना बहुत कठिन नहीं होगा।

श्री आबिद अली : श्री चटर्जी ने प्रार्थना पत्रों के विषय में जो आलोचना की उससे मुझे बहुत दुःख हुआ। हम जानना चाहते हैं कि विमुक्ति के बारे में मजूरों की सच्ची राय क्या है। यदि कहीं पर इस विषय में मजूरों को धोखा दिया गया है तो विमुक्ति हटा दी जायगी। मैंने ऐसे मजूरों के प्रतिनिधियों से ऐसे मामले पेश करने के लिये कहा है। जांच होने के पश्चात् कार्यवाही अवश्य की जायगी।

विमुक्ति का अर्थ यह नहीं कि अधिनियम लागू न होगा। इसका अर्थ है कि विमुक्ति पाने पर मजूर अपनी योजनाएं अपने स्थान पर स्वयं चलायेंगे। यदि प्रादेशिक कमिश्नर जांच के बाद यह पाता है कि वे योजनाएं, यहां जिस योजना की चर्चा की गई है उसके तुल्य हैं और मजूरों की राय यह है कि उसका प्रबन्ध स्थानीय तौर पर हो तो राज्य सरकार को वह अपनी रिपोर्ट देता है। राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजती है। इसके पश्चात् ही किसी कारखाने को विमुक्ति मिलती है। ऐसे कारखानों में भी भविष्य निधि योजना होगी परन्तु वह उपयुक्त कमिश्नर के सीधे नियंत्रण में न होगी।

यह कहा गया है कि जूट, कपड़े तथा इंजीनियरिंग के कारखानों को विमुक्ति दी

गई है। मुझे शक है फिर भी यदि मजूरों को सन्तोष न होगा तो हम उनकी सहायता करेंगे।

यह कहना उचित नहीं कि यह विधेयक मिल मालिकों के लाभ के लिये ही बनाया गया है। माननीय सदस्य ने, स्वयं ही कहा है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिनके कारण मिल मालिक बच जाते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विधेयक उन त्रुटियों को दूर करने के लिये ही बनाया गया है ताकि अधिनियम ऐसे लोगों पर भी लागू हो तथा व्यर्थ की मुकद्दमेबाजी न हो।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ में जितने निश्चय हुए हैं वे एकमत से हुए हैं। उनमें मजूरों के प्रतिनिधि भी थे। इस विधेयक के बारे में भी सदस्यों से राय ली गई थी तथा उन पर विचार किया गया था। कुछ ने अपनी राय नहीं दी इसमें हमारा कोई दोश नहीं है। मुझे यह देख कर हर्ष हुआ कि विधेयक के उद्देश्य की सराहना की गई है। यह सब कुछ मजूरों के भले के लिये किया जा रहा है। हम उनकी कठिनाइयां दूर करेंगे। पूर्ण विमुक्ति के लिये संयुक्त रूप से याचना करने पर जो आपत्ति की गई है उसके विषय में मेरा कहना यह है कि यदि हमें विश्वास हो गया कि यदि भविष्य निधि रखने से कारखाना बंद करना पड़ेगा तो उस कारखाने से इस योजना के अंतर्गत अंशदान नहीं लिया जायेगा। यह बात मजूरों के प्रतिनिधियों ने भी मानी है। यदि कारखाने के अधिकांश मजदूर याचना करें कि अमुक कारखाने पर भविष्य निधि अधिनियम लागू न हो तो उनकी याचना पर प्रादेशिक आयुक्त भविष्य निधि आयुक्त तथा भारत सरकार विचार करेगी।

श्री के० के० देसाई : स्थायी अथवा अस्थायी विमुक्ति ?

श्री आबिद अली : जितना आवश्यक हुआ। बाद में मजूर यह भी याचना कर सकते हैं कि विमुक्ति समाप्त की जाय। यह उपबन्ध इसलिये किया गया है जिससे कि भविष्य निधि के कारण कारखाने बंद न हों। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२, में संशोधन करने के लिये विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खंडों पर विचार करते हैं।

खंड २--(संशोधन)

सभापति महोदय : केवल एक संशोधन है और वह नियमानुकूल नहीं है।

प्रश्न है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३ से १० तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

खंड ११-- (धारा १३ का संशोधन)

श्री टी० बी० विट्ठल राव द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभापति द्वारा अनियमानुकूल घोषित किया गया और खंड ११ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १२ से १४ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

खंड १५ --(धारा १६ का संशोधन)

श्री टी० बी० विट्ठल राव का संशोधन सभापति महोदय द्वारा अनियमानुकूल

[सभापति महोदय]

घोषित किया गया क्योंकि यह विधेयक के क्षेत्र से बाहर था ।

खंड १५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १६—(नई धारा का स्थानापन्न)

श्री तुषार चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६ पर पंक्ति ११ में

"not less favourable" ["कम हितकर नहीं"] के स्थान पर "more favourable" ["अधिक हितकर"] शब्द रखे जायें ।

जैसा मैंने पहले भी कहा है मूल अधिनियम की इस धारा में विमुक्ति की शर्त यह थी कि अंशदान की दर केन्द्रीय योजना के समान रूप अथवा उससे अधिक हितकर होनी चाहिये । इस संशोधन विधेयक में "अधिक हितकर" के स्थान पर "कम हितकर नहीं", रखा गया है । इसका क्या अभिप्राय है । इस का अर्थ यही निकलता है कि उस फैक्ट्री अथवा नियोजक को भविष्य निधि की योजना करने की अनुमति दी जायेगी जो किसी रूप में भी कर्मचारियों को विशेष रियायत नहीं देता । विमुक्ति का प्रश्न तो वास्तव में ऐसी ही अवस्था में उत्पन्न होता है जब कहीं कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत प्राप्त वेतन से कुछ अधिक वेतन मिलता हो । यदि इस बात का कोई महत्व नहीं कि कर्मचारी को केन्द्रीय योजना की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो विमुक्ति का प्रश्न उठाया ही क्यों जाये ? विमुक्ति केवल कमकरों के हित के लिये दी जानी चाहिये । इसलिये यह केवल ऐसी दशा में दी जानी चाहिये जहां भविष्य निधि योजना से कमचारियों को केन्द्रीय योजना की अपेक्षा अधिक हित प्राप्त होता हो । परन्तु "अधिक हितकर" के स्थान पर "कम हितकर नहीं" रखने से स्थिति बिल्कुल बदल जाती है । अर्थात् जो फैक्टरी सरकारी योजना की अपेक्षा अधिक हितकर न भी हो उसको भी विमुक्त किया जा सकता है । इस प्रकार से कर्मचारियों के लिये यह विमुक्ति हितकर नहीं रहती । इस लिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय के यह कहने पर कि माननीय सदस्य अपने अन्य संशोधन भी प्रस्तावित करें श्री तुषार चटर्जी ने अपने सारे संशोधन रखे ।

श्री तुषार चटर्जी : "Not less favourable" ["कम हितकर नहीं"] के स्थान पर "more favourable"["अधिक हितकर"] रखने के बारे में जो कुछ मैंने कहना था मैं कह चुका हूं ।

एक और संशोधन संख्या १४ (१) में मैंने यह सुझाव दिया है कि ३९ से ४६ की पंक्तियों के स्थान पर एक नई उपधारा (ग) रखी जाये । धारा १७ (२) को ऐसे रूप में रखा गया है कि १७ (१) का परन्तुक अर्थात् "Subject to such conditions as may be specified in the notification" ["ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में बताई गई हों"] इसमें से हटाया गया है । इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण जो विमुक्ति चाहते हैं उन्हें इस विमुक्ति के लिये कोई शर्त नहीं रहेगी । मूल अधिनियम में विमुक्ति के लिये कुछ शर्तें रखी गई थीं । मेरा सुझाव है कि इस सारी धारा को ऐसे ढंग से पुनः लिखा जाये कि धारा १७ (२) के बारे

में भी वह शर्तें रहें जो इसकी पूर्ववर्ती उप-धारा में हैं।

सभापति महोदय : सदन की बैठक स्थगित होने से पूर्व मैंने एक घोषणा करनी है।

कल इस विधेयक पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् प्राचीन स्मारक सम्बन्धी संशोधन विधेयक के स्थान पर बैंकिंग समवाय अधि-नियम का अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर चर्चा आरम्भ की जायेगी।

अब मैं अभी रखे गये संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तावित करता हूं।

सभापति द्वारा संशोधन प्रस्तावित किये गये।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार १ दिसम्बर १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।